खण्ड-427, अंक-3
बुधवार, 1 आश्विन, शक संवत् 1920
(23 सितम्बर, 1998 ई0)

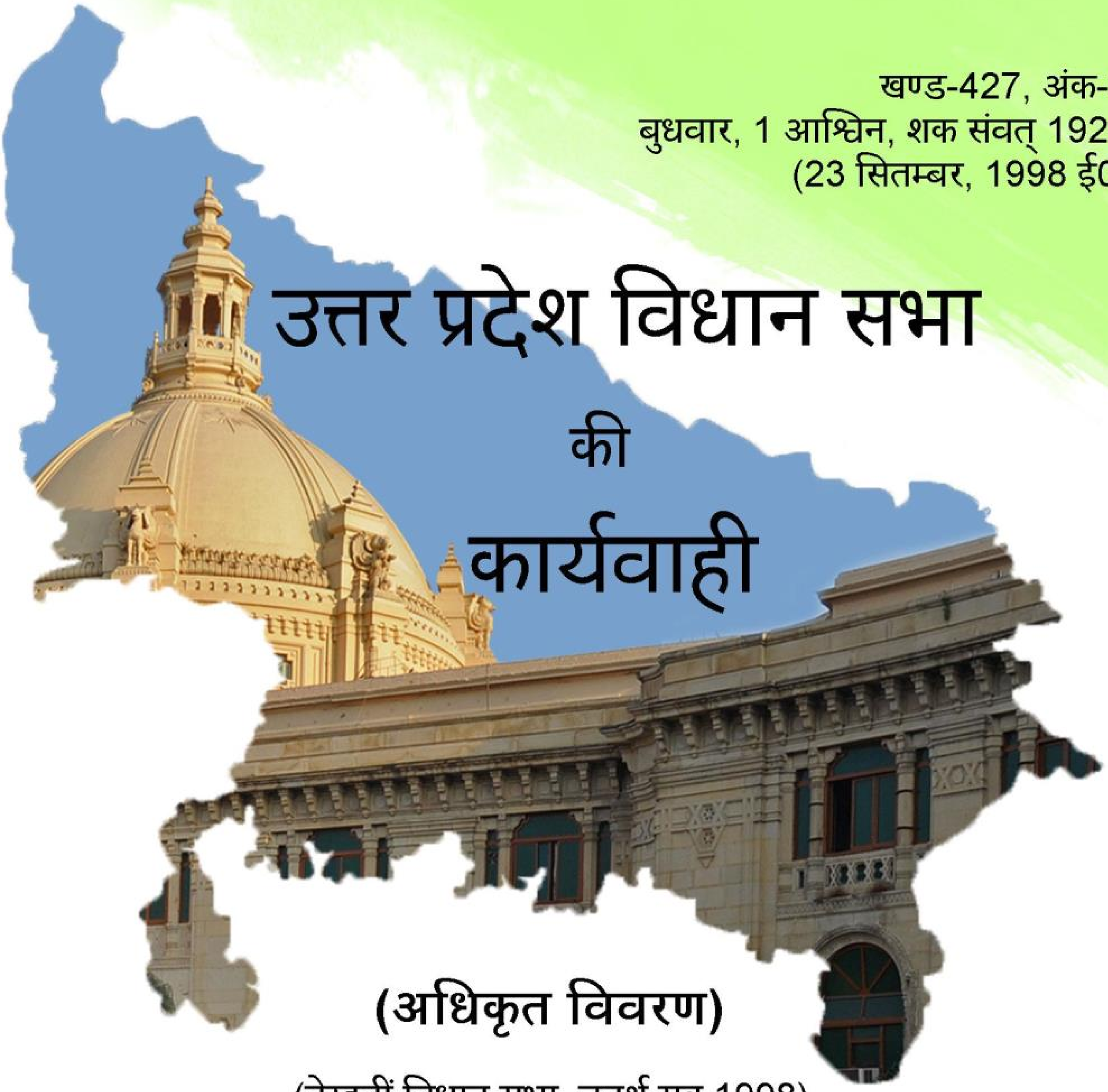

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, चतुर्थ सत्र 1998)

खण्ड 427 में 3 अंक है
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1998

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	v –vi
— नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	1
— मुरादाबाद पश्चिम के असालतपुरा स्थित बधशाला को हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना--------	1
— ज्ञानपुर क्षेत्र में गंगा नदी पर डेंगूपुर धन तुलसीघाट पर पीपे का पुल बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना----------	2
— जनपद प्रतापगढ़ के सदर ब्लाक एवं मान्धाता ब्लाक में स्थित गांवों के नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना--------	2
— प्रतापगढ़ के सदर तहसील में हैण्ड पम्पों के लगाये जाने में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना—	2
— अवर अभियन्ता सिंचाई विकास खण्ड हरियांवा जिला हरदोई द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना में गबन एवं धांधली किए जाने की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-------	3
— जनपद प्रतापगढ़ में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ----------	3
— जनपद इलाहाबाद के जर्जर भवन में चल रहे विकलांग कर्मशाला भवन को खाली कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ----------	3–4
— जनपद सीतापुर के क्षेत्र हरगांव के थानाध्यक्ष द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ----------	4
— गोरखपुर/महराजगंज जनपद की सीमा पर राप्ती नदी पर तीस वर्ष पूर्व बने करमैनी खड़खड़िया व करमैनी बेलसड़ बंधों में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ---------	4–5
— तहसील सरधना, जिला मेरठ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ----------	5

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय सूची | पृष्ठ-संख्या

— मेरठ से बागपत 50 कि०मी० सड़क के निर्माण में किये गये घोटाले की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना------- 5

— जनपद मेरठ में कार्यरत मेट स्व० बलराम के आश्रित को अवशेष का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना -- 5–6

— जनपद कुशीनगर व महराजगंज में दियारा क्षेत्र के कतिपय गांवों में ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु टास्क फोस लगाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना---------- 6

— शहर प्रतापगढ़ तथा टाउन एरिया में हैण्ड पम्प लगाने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 7

— प्रतापगढ़ जनपद की विभिन्न ग्राम सभाओं में इन्डिया मार्का हैण्ड पम्पों के लगाने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना— 7

— सीतापुर के विसवां विकास खण्ड के ग्राम सरोरा के सस्ते गल्ले की दुकान पर सामान उपलब्ध न होने तथा उसे बाजार में बेचे जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना— 7–8

— सीतापुर के विसवां विकास खण्ड के ग्राम सरोसा के ग्राम प्रधान द्वारा मनमानी किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना---- 8

— जनपद उन्नाव के थाना असोहा की पुलिस द्वारा दलित उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना---------- 8

— जनपद हरदोई के कस्बा मल्लावां में जिला मुख्यालय बनाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना---------- 8–10

— जनपद पौड़ी गढ़वाल को बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने तथा आवश्यक धनराशि आवंटित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना---------- 10

— लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा वित्तीय अनियमितताओं एवं फर्जी वेतन आहरण के मामले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 10–11

- आशुलिपिक सहायक महानिरीक्षक निबन्धन बलिया व अन्य 5 आशुलिपिकों की उप निबन्धक पद पर हुई पदोन्नति में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ------ 11

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय सूची पृष्ठ-संख्या

— मथुरा के फरह कस्बा स्थित पं० दीनदयाल उपाध्याय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु मनमानी किये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ------- 11–12

— मेरठ की प्रमुख सड़कों पर नाला बनवाने प्रकाश व्यवस्था आदि कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ---------- 12

— आगरा महानगर में सड़कों की मरम्मत एवं नालों की सफाई आदि की समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ---------- 12–13

— जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पूरनपुर में थाना माधो टाण्डा के पुलिस कर्मियों द्वारा दो मासूम छात्राओं के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ---------- 13

— टिहरी गढ़वाल की जिला योजना मद में लोक निर्माण विभाग को आवंटित धनराशि का उपयोग करने हेतु शीघ्र शासनादेश जारी करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ---------- 13–14

— जिला टिहरी गढ़वाल में बाढ़ क्षेत्र से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ---------- 14

— आजमगढ़ में बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ---------- 14–15

— जनपद मैनपुरी में बेवर मोटर मार्ग को ठीक कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ---------- 15

— औचित्य के प्रश्न की सूचनायें ---------- 15

— प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लाटरी पर लगाये गये प्रतिबन्ध के बावजूद भी लाटरियों की हो रही बिक्री के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ---------- 15–17

— किसानों के लिए भूमि बीमा योजना लागू किए जाने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद उसका अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ---------- 18

— ड्रेनेज खण्ड (प्रथम) जनपद गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने पर अध्यक्ष पीठ के निर्देश के बावजूद शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ---------- 18–19

विषय सूची पृष्ठ-संख्या

— नगर विकास मंत्री द्वारा नगर निगम मेरठ में तीन नलकूपों की री-बेरिंग हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था का आश्वासन दिये जाने के बावजूद उक्त कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 19–20

— उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 को सीधे सचिव विधान सभा को न भेजकर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से भेजे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ---------- 20–23

— विधायक निधि की स्थापना किये जाने का आश्वासन शासन द्वारा किये जाने के बावजूद भी, उसका क्रियान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ---------- 23–24

— प्रदेश में आयी बाढ़ पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सदन में गलत तथ्य रखकर सदन को गुमराह किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ---------- 24–25

— कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग—2 की विज्ञप्तियां -------- (सदन के पटल पर रखी गयीं) ---------- 25

— विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का विशेष प्रतिवेदन ---------- (प्रस्तुत किया गया) 26

— उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टर मीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998 (पुरः स्थापित) 26

— उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 1998 ---------- (पुरः स्थापित) 26–27

— उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998---------- (पुरः स्थापित) 27

— उत्तरांचल की तरह पश्चिमांचल को अलग राज्य गठित किये जाने सम्बन्धी दिये गये संशोधनों को कार्य सूची में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न ---------- 27–28

— उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प एवं दिये गये संशोधनों पर चर्चा एवं मतदान ----------(जारी) 28–79

— सदन की दर्शक दीर्घा से उत्तराखण्ड के समर्थन में कतिपय व्यक्तियों द्वारा लगाये गये नारों के सम्बन्ध में पीठ का निर्देश ---------- (जारी) 79

— उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प एवं संशोधनों पर चर्चा एवं मतदान ----------(जारी) 79–85

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1998

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजय प्रताप सिंह, उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
आर० के० सिंह पटेल, श्री	बांदा
इन्द्रजीत सरोज, श्री	इलाहाबाद
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
ओंकार सिंह, श्री	एटा
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
किशन लाल बघेल, सेठ श्री	आगरा
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जगदीश नारायण (मुन्ना), श्री	जौनपुर
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पूरन सिंह, बुन्देला, श्री	ललितपुर
फरीद महफूज किदवाई, श्री	बाराबंकी
बी० आर० वर्मा, श्री	जौनपुर
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
भगवती प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र पाल निषाद, श्री	बांदा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुराद लारी, श्री	देवरिया
मुहर सिंह अम्बाडी, श्री	इटावा
मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	पडरौना
राजा राम पाल, श्री	कानपुर देहात
राजेन्द्र, श्री	गाजीपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक सिंह, श्री	इलाहाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ

लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर	श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती	श्रीराम पाल, श्री	जालौन
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़	सतीश जतारिया, श्री	झांसी
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
विभूति प्रसाद निषाद, श्री	आजमगढ़	हर प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1998

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 23 सितम्बर, 1998 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुईं, जो स्वीकार हुईं। यह सूचनायें श्री मेजर जगतपाल सिंह, श्री गोरख नाथ पाण्डेय, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री जगदीश सिंह राणा, श्री मुस्ताक सोलंकी, श्री कैलाश यादव, श्री जोखू लाल यादव, श्री रमेश राही, श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री विनोद मणि, श्री समर पाल सिंह, श्री कौकब हमीद, श्री तेजभान सिंह, श्री दीपलाल भारती, श्री चन्द्र नाथ सिंह, श्री कमला प्रसाद रावत, श्री श्याम प्रकाश, श्री जटा शंकर सिंह, श्री उदय राज यादव, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री भारत सिंह रावत, श्री बनवारी लाल दोहरे, श्री सुधाकर सिंह, श्री अजय कुमार पोइया, डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी, डा० राम बाबू हरित, श्री गोपाल कृष्ण, श्री लाखी राम जोशी, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री राम औतार शाक्य की हैं।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं।)

मुरादाबाद पश्चिम के असालतपुरा स्थित बधशाला को हटाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

मेजर जगतपाल सिंह—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करना चाहता हूँ मेरे विधान सभा क्षेत्र 32–मुरादाबाद पश्चिम के असालतपुरा मुहल्ला में एक वधशाला स्थित है। उक्त वधशाला शहर के बीच में है। चारों तरफ गांधी नगर, खुशालनगर लाजपत नगर, मण्डी चौक, कठघर आदि हिन्दू सम्पन्न लोगों की बस्ती है।

उक्त वधशाला में लगभग 130 पशुवध करने की स्वीकृति महापालिका द्वारा दी गयी है। उक्त वधशाला में लगभग एक हजार से भी अधिक पशुओं का वध किया जाता है तथा बैटनरी डाक्टर रिश्वत लेकर अधिक जानवरों का वध करवाता है। यह मांस बाहर विदेशों को निर्यात होता है, जिसका सरकार द्वारा कोई लाइसेंस भी नहीं दिया गया है।

पशुवध करने के पश्चात् वधशाला में मल, खाल, खून, हड्डियों की सफाई हफ्तों नहीं होती है जिसकी गन्दगी से सड़ान पैदा होती है और क्षेत्र में संक्रामक रोग अधिक हो रहे हैं।

क्षेत्र के लोगों में असंतोष व्याप्त है। अस्तु मैं सरकार से मांग करता हूँ कि असालतपुरा से वधशाला जनहित में हटवाकर शहर के बाहर कर दी जाय। ताकि क्षेत्र की जनता में स्वास्थ्य के प्रति असुरक्षित भावना को ठेस न पहुंचे तथा शहर का दूषित वातावरण से सुरक्षा हो सके और सरकार को वित्तीय क्षति न हो।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ज्ञानपुर क्षेत्र में गंगा नदी पर डेंगूपुर धनतुलसीघाट पर पीपे का पुल बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोरखनाथ पाण्डेय —

[मान्यवर, ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद संत रविदास नगर भदोही में कोनियां क्षेत्र जो तीन तरफ गंगा नदी से घिरा है जिसके दूसरे तरफ डेगुरपुर घाट जो मिर्जापुर इलाहाबाद जनपद को जोड़ता है तथा 10 किमी० की दूरी पर मध्य प्रदेश को जोड़ता है। इस पुल के निर्माण के लिए पिछले कई वर्षों से शासन से मांग की गई, जो जनहित के लिए अति आवश्यक है। यदि इस पुल की शासन से स्वीकृति हो जाती है, तो ज्ञानपुर विधान सभा का पिछड़ा क्षेत्र को कोनियां तथा पूरे जनपद के लिए इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही के लिए लाभदायक होगा तथा उ०प्र० तथा मध्य प्रदेश को जोड़ने में सहायक होगा तथा प्रदेश वासियों को करोड़ों रुपये का फायदा होगा तथा लगभग 125 किमी० की दूरी कम होगी।

अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र में गंगा नदी पर डेंगुपुर धनतुलसी घाट पर पीपे का पुल तत्काल स्वीकृत कर जनता की कठिनाई को दूर करने हेतु आदेशित करने की कृपा करें।]

जनपद प्रतापगढ़ के सदर ब्लाक एवं मान्धाता ब्लाक में स्थित गांवों के नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भीम प्रसाद सोनकर —

[मान्यवर प्रतापगढ़ जनपद में भीषण वर्षा से सदर ब्लाक एवं मान्धाता ब्लाक में सैकड़ों घर गिर गये हैं सदर तहसील में कुसफरा अन्तपुर सराय बाबू पूरे केशवराय, दैवनी रिकरी में किसानों के घर गिरे हैं तथा उक्त गांव की फसल नष्ट हो गयी है अगर इन गांव सभा में प्राकृतिक नालों की सफाई करा दिया गया होता तो कई लाख रुपये के फसल की क्षति नहीं होती सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत अविलम्ब इन प्राकृतिक नालों को साफ कराया गया होता, तो सम्भवतः जल भराव से इन गांवों को बचाया जा सकता था। मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अविलम्ब इन गांवों के नालों की सफाई हेतु जिला अधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देश दिया जाय।]

प्रतापगढ़ की सदर तहसील में हैण्ड पम्पों के लगाये जाने में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदीश सिंह राणा —

[मान्यवर, प्रतापगढ़ की सदर तहसील में कई हैण्ड पम्प व्यक्तिगत लगाये गए जिसमें सुविधा शुल्क लिया गया है। श्रीनाथपुर कोपा ग्रामसभा 6 हैंड पम्प व्यक्तिगत लोगों के यहां लगाये गए जिसमें ग्रामसभा का प्रस्ताव नहीं है। ग्राम प्रधान तथा क्षेत्रीय विधायक श्री चन्द्र नाथ सिंह के निरन्तर विरोध के बावजूद हैंड पम्प लगा दिया गया। ग्राम सभा राजगढ़ में 200 मीटर के अन्दर 6 हैंड पम्प लगा दिये गये हैं।

मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उपरोक्त व्यक्तिगत हैंड पम्प लगाने के कारण जल निगम के अभियन्ता को निलम्बित करके उनसे धन वसूली किया जाय अथवा हैंड पम्प उखड़वा करके सार्वजनिक स्थल पर नियमानुसार लगाया जाय।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवर अभियन्ता सिंचाई विकास खण्ड हरियावां जिला हरदोई द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना में गबन एवं धांधली किये जाने की जांच कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुस्ताक सोलंकी —

[मान्यवर, श्री मदन मोहन मिश्र अवर अभियन्ता सिंचाई विकास खण्ड हरियावां जिला हरदोई द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत लाखों रुपये की धनराशि गबन कर जनता एवं सरकार की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है। उपरोक्त अवर अभियन्ता द्वारा वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम मोदीपुर पड़री फकीराबाद अहमदी तथा डिंगवापुर के लाभार्थियों के नाम फर्जी बोरिंग दिखलाई गई जबकि मौके पर जांच कराने पर कोई बोरिंग नहीं मिली संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा धनबल का प्रयोग कर उक्त प्रकरण को ठंडे बस्ते में डलवा दिया गया है जिससे ग्रामीणों को रोष व्याप्त है।

अतः संबंधित अवर अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उपरोक्त प्रकरण की जांच किसी उच्च तकनीकी सेल से करवाने एवं श्री मिश्रा की चल एवं अचल सम्पत्ति की सतर्कता विभाग से जांच कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कैलाश —

[मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद में सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों पर अनेक अनियमितताएं प्रकाश में आ रही हैं, मान्धाता ब्लाक में छितपालगढ़ से हजरतनूरशाह के मजार में कागजों पर कार्य दिखा करके जिला परिषद् के अभियन्ता एवं दलाल आवंटित धनराशि में से 90 प्रतिशत धनराशि हड़प कर गये 10 प्रतिशत मात्र मिट्टी का कार्य हुआ है, उसी प्रकार सदर ब्लाक के हिमायूंपुर नमक जायर सम्पर्क मार्ग में ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराके धन हड़पा जा रहा है, लोहंगपुर में 10 लाख कूप योजना के अंतर्गत कागज पर बंधे बन करके ठेकेदार तथा अधिकारी धनराशि हड़प कर गये मैं जनहित में मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस गम्भीर भ्रष्टाचार के मामले में टी०ए०सी० अथवा बिजलेंस विभाग से जांच कराके भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित कराया जाय तथा मुझे उन, श्रमिकों का नाम दिया जाय जिससे स्पष्ट हो जाय कि ठेकेदारों ने कार्य किया अथवा सुनिश्चित रोजगार के अन्तर्गत बेरोजगार श्रमिकों को कार्य दिवस का वास्तव में भुगतान किया गया है।]

जनपद इलाहाबाद में जर्जर भवन में चल रहे विकलांग कर्मशाला भवन को खाली कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जोखू लाल यादव एवं श्री ज्वाला प्रसाद यादव —

[मान्यवर, मेरे गृह जनपद इलाहाबाद के उ०प्र० शासन के विकलांग निदेशालय द्वारा 10/3 बन्द रोड़ इलाहाबाद में एक विकलांग कर्मशाला श्री संजय सिंह के भवन में चल रहा है। वह भवन जर्जर हो गया है 25 वर्ष से उक्त भवन का किराया नहीं बढ़ाया गया मात्र 500 रुपया मासिक

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भवन स्वामी को मिलता है । जिससे वे भवन की मरम्मत अधिक कमी के कारण नहीं करा सके उनका कई लाख का नुकसान हो गया है। भवन को खाली करने हेतु अनुरोध कर रहे है किन्तु भवन खाली नहीं हुआ। इस वर्षात में भवन के छत से सारा पानी भवन के अन्दर आ गया गरीब असहाय निराश्रित विकलांग बच्चे बुरी तरह से पानी में भीगते रहे । शासन ने भवन खाली कराना उचित नहीं समझा । माननीय समाज कल्याण मंत्री उ०प्र० ने भी उक्त भवन को खाली करने का आदेश दिया है । विकलांग निदेशालय ने एक भवन पत्रकार कालोनी में किराये पर लेने हेतु निश्चित भी कर दिया।

अतः जनहित में अविलम्ब उक्त भवन को खाली कराया जाये। मैं शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।]

जनपद सीतापुर के क्षेत्र हरगांव के थानाध्यक्ष द्वारा की गयी अनियमितताओं के विरुद्ध जांच की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रमेश राही —

[मान्यवर, आपका ध्यान मैं अपने विधान सभा क्षेत्र हरगांव जनपद सीतापुर की ओर दिलाना चाहता हूँ मान्यवर थाना तलगांव के अंतर्गत माह जून में मूर्ति चोरी हुई परन्तु डेढ़ माह तक इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई चोरी गई मूर्ति हरगांव पुलिस ने डेढ़ माह बाद बरामद की परन्तु पुलिस द्वारा मूर्ति बरामद होने के उपरान्त भी लगभग 20 दिनों तक मुकदमा पंजीकृत करने की कोशिश नहीं की मूर्ति थानाध्यक्ष राम चरित्र पाण्डेय के आवास पर रखी रही मेरी जानकारी में लाया गया था थानाध्यक्ष हरगांव द्वारा मूर्ति का सौदा 80 लाख रुपये में बम्बई की एक पार्टी द्वारा तय किया गया था । इसी बीच क्षेत्रीय जनता को जानकारी हो गई और जनता में आक्रोश पैदा हो गया मेरे द्वारा भी थानाध्यक्ष को 28-7-98 को चेतावनी दी गई उसके उपरान्त तब कहीं जाकर मुकदमा कायम किया गया इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक सीतापुर को दी कि मूर्ति प्रकरण की लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करें।

दिनांक 1-8-98 को पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेश्वर तिवारी को पत्र लिखा गया जिसमें लिखा गया है कि थानाध्यक्ष हरगांव द्वारा मूर्ति चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न कराया जाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। थानाध्यक्ष श्री रामचरित्र पाण्डेय को बार-बार पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा फोन करने पर सही जवाब नहीं दिया गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि थानाध्यक्ष हरगांव राम चरित्र पाण्डेय को तत्काल निलम्बित करके इनके विरुद्ध जांच की जाये तथा अन्य दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच किये जाने के आदेश सरकार को देवें।]

गोरखपुर/महराजगंज जनपद की सीमा पर राप्ती नदी पर तीस वर्ष पूर्व बने करमैनी खड़खड़िया व करमैनी बेलसड़ बंधों में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विनोद मणि

[मान्यवर, गोरखपुर/महराजगंज जनपद की सीमा पर राप्ती नदी पर तीस वर्ष पूर्व बने करमैनी खड़खड़िया व करमैनी बेलसड़ बंधों में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अब तक नहीं मिला है। यह बंधा ड्रेनेज खण्ड प्रथम गोरखपुर के अधीन बंधों में अधिग्रहीत की गयी किसानों की जमीन का मुआवजा तीस वर्ष बीत जाने के बाद भी शासन ने भुगतान में कोई रुचि नहीं ली। कई गांवों के हजारों किसानों से यह मामला संबंधित है व जनता में व्यापक रोष है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इन तटबन्धों में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों में तत्काल वितरण कराने के लिये निर्देशित करने की कृपा करें।]

तहसील सरधना, जिला मेरठ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री समरपाल सिंह

[मान्यवर, तहसील सरधना जिला मेरठ में मुंसिफ कोर्ट न होने के कारण वहां के नागरिकों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ अदालत स्थापित हो जिससे वहां के नागरिकों को आसानी से न्याय मिल सके। बहुत ही खेद की बात है कि अनेक वर्षो से तहसील सरधना जिला मेरठ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना को लेकर स्थानीय स्तर पर आन्दोलन चल रहा है परन्तु सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है और स्थानीय लोगों को इसके लिये मेरठ जाना पड़ता है। इससे समय व धन की अतिरिक्त हानि होती है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की तरफ आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि तत्काल सरधना में मुंसिफ अदालत स्थापित की जाय।]

मेरठ से बागपत तक 50 कि०मी० सड़क के निर्माण में किये गये घोटाले की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौकब हमीद–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरठ से बागपत 50 किमी० सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृति की गई थी। जिसकी लागत 12 करोड़ की थी। जिस पर 6 करोड़ रुपये का काम कराया गया। जितनी सड़क का निर्माण कराया गया जिसमें मानक के अनुसार कार्य नहीं किया, जिससे वह इस वर्ष की पहली ही बरसात में टूट गयी है, जिसमें अधिकारियों ने काफी घोटाला किया है, जिससे जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालना है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त किये गये कार्य की जांच कराने और जांच कराने के बाद ही शेष बचा 6 करोड़ रुपये को व्यय किया जाये। इस कार्य के दोषी लोगों को दण्डित करने का कष्ट करें।]

जनपद मेरठ में कार्यरत मेट स्व० बलराम के आश्रित को अवशेष का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तेजभान सिंह–

[मान्यवर, जनपद मेरठ के उपरोक्त खण्ड में उक्त मेट की मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रितों के भुगतान के प्रति घोर उपेक्षा बरतने से इस प्रकरण को बार-बार विधान सभा में उठाना पड़ रहा है।

नोट: [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन् उक्त मेट के तीन पुत्रियां थी जिनमें श्रीमती शिवकला को ड्राफ्ट सं०, 814128 दिनांक 5-8-97 तथा चेक संख्या 183151 दिनांक 7-8-97 व श्रीमती उभकला जो ड्राफ्ट सं० 814129 दिनांक 5-8-97 तथा चेक सं० 19/3151 दिनांक 7-8-97 द्वारा भुगतान किये गये इसी की तीसरी लड़की श्रीमती रजकला (मृतक) को जिनमें वारिश की बलराम पुत्र सुखलाल जिन्हें पत्र सं० 2811-/I तथा 2886 -/II द्वारा दिनांक 29-10-92 को बुलाकर हस्ताक्षर आदि करने को कहा गया था जिसमें उसके वहां जाने पर किसी कर्मचारी ने उसे संज्ञान में नहीं लिया जिससे इसका अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ।

श्रीमन् इस तरह से मृतक आश्रितों के भुगतान को जहां उपेक्षा से परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं शासन की छवि भी खराब हो रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये बलराम आश्रित का जहां शेष भुगतान की मांग करता हूं वहीं ऐसे कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध जांच कर सख्त कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर व महराजगंज में दियारा क्षेत्र के कतिपय गांवों में ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु टास्क फोर्स लगाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दीप लाल भारती–

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के थाना खड्डा अन्तर्गत बड़ी गण्डक नदी (नारायणी नदी) के रेता क्षेत्र में बसे गांव शिवपुर मरवहवां, नरायनपुर बालगोविन्द छपरा, हरिहरपुर, बहुलादह, सालिकपुर, महदेवा उ०प्र० विहार सीमा पर बसा हुआ है, जहां थाना सोहगीबरवां (महराजगंज) तथा दो-तीन पुलिस चौकियां भी सुरक्षा के लिए स्थापित हुई है। किन्तु जंगल पार्टी के कई दुर्दान्त दस्यु गिरोह एक खेमे में होकर पुलिस को डरा धमका कर अपने साथ कर लिया है तथा ग्रामीण जनता पर तरह-तरह के जुल्म व अत्याचार ढा रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार, घरों में दिन दहाड़े लूटपाट खेतों में खड़ी फसल धान व गन्ने की उपज को आधा आधा ले लिया गया है, इस प्रकार के जुल्म व अत्याचार से त्रस्त व पीड़ित ग्रामीण घर छोड़कर बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के खेतों में खड़ी फसल को भी छोड़ने पर मजबूर हो गये हैं।

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर व डी०आई०जी० गोरखपुर को भी इसकी सूचना दी जा चुकी है परन्तु जंगल पार्टी के डकैतों के आगे पुलिस हथियार डाल दे रहे हैं। स्थानीय पुलिस व दस्यु गिरोह, खेरा बेंत शीशम की कटान कर तस्करी कराने में मशगूल हैं, इससे ग्रामीण जनता काफी भयभीत है।

ज्ञातव्य हो कि गत वर्ष स्थानीय सैकड़ों पुलिस के बदले मात्र टास्क फोर्स की एक कम्पनी के ही लगने से जंगल पार्टी का आतंक समाप्त था तथा डकैत बिहार या नैपाल चले गये थे।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नेपाल, बिहार सीमा के बड़ी गण्डक नदी के दस्यु प्रभावित जनपद कुशीनगर व महराजगंज दियारा क्षेत्र के उक्त गांवों के ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु पुनः टास्क फोर्स तत्काल लगाने की मांग करता हूं।]

नोट: [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शहर प्रतापगढ़ तथा टाउन एरिया में हैण्डपम्प लगाने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र नाथ सिंह —

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि शासनादेश के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारियों को विधायक एवं निकाय अध्यक्षों के माध्यम से हैंडपम्प लगाने हेतु धनराशि अवमुक्त किया गया। मैं प्रतापगढ़ जनपद के शहरी क्षेत्र से विधान सभा का सदस्य हूँ मेरे क्षेत्र में शहर प्रतापगढ़ तथा दो टाउन एरिया कटरा मेदनीगंज प्रतापगढ़ सिटी आता है । अत्यधिक खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझसे शहर प्रतापगढ़ तथा टाउन एरिया में हैण्ड पम्प लगाने हेतु कोई राय नहीं ली गई तथा नगर पालिका अध्यक्ष प्रतापगढ़ की राय से उनके चहेते सभासदों के घर में हैंड पम्प लगा दिया गया। उदाहरण हेतु श्री श्याम सुन्दर के यहां व्यक्तिगत हैंड पम्प लगा दिया गया इस प्रकार मेरे अधिकारों का हनन हुआ है कृपया उपरोक्त प्रकरण की जांच करायी जाय। यदि मेरे द्वारा दिये गये तथ्य सत्य हैं तो मुझे अतिरिक्त हैंड पम्प नगर विकास से दिये जायं।]

प्रतापगढ़ जनपद के विभिन्न ग्राम सभाओं में इन्डिया मार्का हैण्डपम्पों के लगाने में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कमला प्रसाद रावत —

[मान्यवर, मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि प्रतापगढ़ जनपद के विभिन्न ग्राम सभा में जल निगम एवं अधिकारियों द्वारा सुविधा शुल्क लेकर के इण्डिया मार्का हैंड पम्प स्थापित किये जा रहे हैं। जिसके अनेक उदाहरण हैं। जो निम्नवत हैं –

1—भगैसरा ग्राम सभा में ग्राम सभा के प्रस्ताव के विरुद्ध सदस्य विधान सभा सदस्य विधान परिषद् एवं ग्राम प्रधान तथा क्षेत्र पंचायत सदस्य के विरुद्ध के बावजूद श्री उमाशंकर त्रिपाठी के घर के सामने एक हैंड पम्प लगा दिया गया जबकि उस बस्ती की जनसंख्या 100 से कम है श्री उमाशंकर त्रिपाठी के घर से 50 फीट की दूरी पर एक हैंड पम्प पहले से लगा है उस बस्ती में 3 हैंड पम्प पहले से लगे हैं। श्री उमाशंकर त्रिपाठी के घर के सामने चालू हालत में एक पक्का कुआं है।

भगेसरा गांव सभा में कई पुरवे स्रोत विहीन है, पेयजल समस्या है, ग्राम सभा के प्रस्ताव पर विचार न करके हैंड पम्प स्थापना में भ्रष्टाचार हुआ है। कृपया संबंधित अधिकारी को निलम्बित करके उक्त हैंड पम्प को गलत स्थान से जो व्यक्तिगत हैंड पम्प के रूप में स्थापित हुआ हैं, हटा करके नियमानुसार ग्राम सभा के प्रस्ताव पर लगाया जाय। मुझे बताया जाय कि उक्त हैण्ड पम्प की स्थापना में किस मद से धन गया है तथा स्थल चयन किसके द्वारा किया गया है।]

सीतापुर के बिसवां विकास खण्ड के ग्राम सरोसा के सस्ते गल्ले की दूकान पर सामान उपलब्ध न होने तथा उसे बाजार में बेचे जाने की शिकायत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम प्रकाश —

[मान्यवर, जनपद सीतापुर के तहसील मिश्रिख के विकास खण्ड बिसवां के ग्राम सरोसा के कोटेदार प्रधान से मिलकर जनता को दी जाने वाली सस्ते मूल्य की चीजों को बाजार में बेच देते हैं

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसे जनता में नहीं वितरित किया जाता है। जिससे गांव वासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त कोटेदार के कोटे को तत्काल निरस्त करें और किसी अन्य व्यक्ति को कोटा आवंटित कर जनता का राशन, चीनी आदि सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करायें।]

सीतापुर के बिसवां विकास खण्ड के ग्राम सरोसा के ग्राम प्रधान द्वारा मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जटाशंकर सिंह —

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि ग्राम सभा सरोसा विकास खण्ड बिसवां जनपद सीतापुर की प्रधान श्रीमती रामपती द्वारा विगत 3 वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा में कोई विकास कार्य नहीं किया तथा ज०रो० योजना से विकास हेतु मिले धन को अपने निजी विकास कार्य में लगा रहे हैं उनके खिलाफ शिकायतों की जांच होने पर पैसे के बल पर दबवा देते हैं, उल्लेखनीय है कि ग्राम के तालाबों को अन्य लोगों को आवंटित किया है जबकि ग्राम सभा में पात्र लोग उपलब्ध थे, जिसकी पूर्व में जांच आई प्रधान का वस्ता भी जमा कराया गया परन्तु प्रधान द्वारा पैसा देकर जांच दबवाने की प्रयास किया जा रहा है। जिससे प्रधान के रूप में उनके देवर जो बी०डी०सी० सदस्य है, कह रहे थे कि 5000/ रुपया देकर वस्ता वापस लेना है। अब विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा है।

आपके माध्यम से अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही कराने का आदेश दें तथा ग्राम प्रधान द्वारा की गई मनमानी की जांच कराई जाय और सरकारी धन की रिकवरी की जाय।]

जनपद उन्नाव के थाना असोहा की पुलिस द्वारा दलित उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उदय राज यादव —

[मान्यवर, आपके संज्ञान में उन्नाव जनपद में लगातार दलितों के ऊपर हो रहे पुलिस अत्याचार की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ । दिनांक 24-8-98 को थाना असोहा के थानाध्यक्ष पुलिस दल के साथ ग्राम भवलिया में श्री राम सेवक को पकड़ कर ले जाने लगे इसका विरोध गांव के नागरिकों ने किया विरोध करने पर पुलिस ने वहां पर दलित महिलाओं तथा पुरुषों को बुरी तरह मारा पीटा जिससे 70 वर्षीय वृद्ध श्री राम औनार की मृत्यु हो गयी। जिसके विरोध में वहां के लोगों ने आन्दोलन किया।

अतः इस दलित उत्पीड़न के महत्वपूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के मल्लावां में जिला मुख्यालय बनाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र —

[मान्यवर, मैं हरदोई के मल्लावां की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि वर्ष 1859 से पूर्व मल्लावां जिला मुख्यालय रहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जबरदस्त आन्दोलन एवं ब्रिटिस हुकूमत से जमकर लोहा लेने वाले सेनानियों से परेशान एवं आतंकित अंग्रेजी हुकुमत ने जिला मुख्यालय मल्लावां से हटाकर जिला मुख्यालय हरदोई में स्थापित कर दिया। तब से जिला हरदोई बरकरार है। अभिलेखों में आज भी जिला मुख्यालय मल्लावां होने के प्रमाण देखे जा सकते हैं। अंग्रेजी शासन में आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व आवागमन के साधन बैलगाड़ी पैदल घोड़ा गाड़ी इत्यादि थे। अंग्रेजी शासन द्वारा आन्दोलन कुचलने तथा जनता को परेशान करने की नीयत से जनपद मुख्यालय मल्लावॉं से हरदोई स्थानान्तरित किया गया।

डिप्टी कमिश्नर कैपर के बंगले के अवशेष आज भी मल्लावां में है। इस समय मल्लावां नगर की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है। नगर की आबादी लगभग 70 हजार तथा नगर मल्लावां जनपद मुख्यालय से लगभग 47 कि०मी० दूर है। इस नगर की सीमायें उन्नाव, कन्नौज, हरदोई, फर्रूखाबाद, सीतापुर, लखनऊ, जनपदों से मिलती हैं–पूर्व में जिला मुख्यालय मल्लावां की अपनी सीमा निर्धारित थी। इसमें सई, कबीरा, गौरया, गंगा नामक नदिया प्रवाहित हैं। इस नगर में लगभग 305 अति प्राचीन मंदिर व मस्जिद बनी हुई हैं इसलिए इस नगर को छोटी काशी भी कहते हैं। यहां बाबा सनाथी नाथ का अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। जनआस्था का केन्द्र यह मंदिर अनेक किंवदंतियों से जुड़ा है। यहां सावन के महीने में विशाल मेला लगता है। देश एवं प्रदेश के कोने-कोने से लोग आते मनौती मानते व पूजन अर्चन करते हैं। इसी मल्लावां नगर में प्रसिद्ध सूफी सन्त मकदूम मिस्वाहुल आशकीन चिस्ती रहमतुल्लाह अल्लैह दादा मिया की मजार है हर वर्ष मजार पर उर्स के मेले में लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते एवं चादरे चढ़ाते व मनौती मानते हैं। यहां के मंदिर व मजार हिन्दू मुस्लिम दोनों की गहरी आस्ता के केन्द्र हैं। इस नगर मल्लावां में बैंक, ब्लाक, कार्यालय, डाकघर, अस्पताल, इण्टर कालेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं निर्माणाधीन चीनी मिल डिग्री कालेज हैं तथा स्वयं सेवी संस्थायें जनता की सेवा कर रही हैं। मल्लावां कस्बा विभिन्न मुक्ति मार्गों एवं रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है।

यातायात के साधनों से जुड़ा हुआ है। इसके आस पास का क्षेत्र जिला मुख्यालय हरदोई से लगभग 60-70 किमी० से दूर पड़ता है। पूर्व में मल्लावां संस्कृत की शिक्षा आध्यात्म आयुर्वेद ज्योतिष एवं स्वतंत्रता सेनानियों का केन्द्र भी रहा है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के विकट आन्दोलन के भय से मजबूर होकर अंग्रेजों ने मल्लावां जिला मुख्यालय को हरदोई स्थानान्तरित किया। अमर शहीद नरपति सिंह की रूइया गढ़ी मल्लावां जिला मुख्यालय से मात्र 12 किमी० दूर थी। रुइया गढ़ी के पास लड़ाई में नरपति सिंह के हाथों अंग्रेज सेनापति जनरल होम मारा गया था, जिसकी कवर आज भी माधौगंज चौराहे पर बनी हुई है। अंग्रेजी शासन में जनता का आन्दोलन कुचलने के लिए बालामऊ कानपुर रेलवे लाइन बाया मल्लावां अंग्रेजों द्वारा बन्द कर दी गयी थी तथा इसी तरह बालामऊ से औहदपुर साण्डी रेलवे लाइन भी अंग्रेजों द्वारा बन्द कर दी गयी थी। इसी तरह भारी यातनायें जनता एवं सेनानियों को देकर अंग्रेजों ने आन्दोलन कुचल दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बालामऊ कानपुर बाया मल्लावां रेलवे लाइन तो चालू करा दी गयी, परन्तु बालामऊ साण्डी रेलवे मार्ग आज भी बन्द है तथा पूर्व जिला मुख्यालय मल्लावां आज तक जिला नहीं बनाया गया है।

आज भारत स्वतंत्र है। प्रदेश सरकार द्वारा नये नये जिलों का गठन किया जा रहा है तथा तहसीलों को इधर उधर जोड़ा जा रहा है जबकि पूर्व में जिला मुख्यालय मल्लावां की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट होते हुए भी जनसुविधा तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में मल्लावां को जिला मुख्यालय नहीं बनाया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्र की जनता में भीषण आक्रोश है तथा जनता अपनी भावना व्यक्त करने हेतु प्रदर्शन व आन्दोलन करने पर उतारू है।

अतः क्षेत्र की जनभावनाओं से आपको अवगत कराते हुए अनुरोध है कि जनहित में मल्लावां को जिला बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें जो स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती यादगार एवं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अमर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि होगी। यह एक लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिए सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है। जिससे पुनः मल्लावां में जिला स्थापित हो सके।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने तथा आवश्यक धनराशि आवंटित करने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत —

[जनपद पौड़ी गढ़वाल में अत्यधिक वर्षा व भूस्खलन से सड़कें पुल नहरें पेयजल योजनाएं विद्यालय भवन नष्ट हो गये हैं। बहुत से गांव भू-स्खलन के कारण रहने योग्य नहीं है। खेती योग्य भूमि नदियों एवं नालों के कारण बह गए हैं स्थिति भयावह हो गयी है। ऐसी परिस्थिति में जनपद पौड़ी गढ़वाल को बाढ़ग्रस्त घोषित न करना जनपद पौड़ी गढ़वाल के साथ न्याय नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर जनपद पौड़ी गढ़वाल को बाढ़ग्रस्त घोषित करने एवं उपरोक्त सार्वजनिक सम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि आवंटन हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा वित्तीय अनियमितताओं एवं फर्जी वेतन आहरण के मामले की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बनवारी लाल दोहरे–

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं एवं अनियमित धन आहरण की ओर ले जाना चाहता हूं। विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 49 पैरा 2.17 के द्वारा अधिष्ठाता छात्र कल्याण को फिजिकल एजूकेशन तथा डिस्पेन्सरी से संबंधित अधिकारियों के पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया। विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के आदेश दिनांक 25-10-97 के द्वारा अधिष्ठाता छात्र कल्याण को यह अवगत कराया गया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय डिसपेन्सरी के कर्मचारियों के कार्य की पुष्टि ट्रेनिग कालेज की डिस्पेन्सरी के मेडिकल आफीसर से करा लिया जाए तत्पश्चात् उनके वेतन बिलों के भुगतान की संस्तुति अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा किया जाए जिससे वित्तीय अनियमितता एवं अनावश्यक आडिट आपत्तियों से रोका जा सके। इसके बावजूद भी अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा कई कर्मचारियों के वेतन उस अवधि के लिए आहरित कराया गया है। जिसमें न तो संबंधित कर्मचारी कार्यरत रहे न अवकाश पर ही रहे। ऐसी ही एक घटना का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा विश्वविद्यालय डिस्पेन्सरी के कर्मचारी श्री अजय कुमार सिंह माह अप्रैल, 97 मई जून, एवं जुलाई 1997 में विश्वविद्यालय परिसर डिस्पेन्सरी में अपनी ड्युटी से लगातार अनुपस्थित रहे और इनकी सूचना मेडिकल आफीसर इंचार्ज द्वारा दिये जाने के बावजूद भी अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा उनकी उक्त अवधि का वेतन आहरित कराया गया है। यही नहीं माह नवम्बर, 1997 का वेतन भी मेडिकल आफीसर इंचार्ज के इस स्पष्ट आख्या कि उक्त कर्मचारी अपनी ड्यूटी से अप्रैल, 97 से ही फरार है। अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा उनका वेतन आहरित

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कराया गया इस प्रकार इस एक मामले में ही लगभग 30 हजार रुपये का वित्तीय गोलमाल किया गया।

मैं इस सूचना के माध्यम से यह मांग करता हूं कि विगत दो वर्षों में अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा इस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं एवं फर्जी वेतन आहरण के मामले में किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये।]

आशुलिपिक, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन बलिया व अन्य 5 आशुलिपिकों की उप निबन्धक पद पर हुई पदोन्नति में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुधाकर सिंह–

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान आशुलिपिक, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन बलिया व अन्य 5 आशुलिपिकों की उप निबन्धन के पद पर हुई पदोन्नति के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं।

पदोन्नति के प्रकरण पर श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव, आशुलिपिक के प्रत्यावेदन दिनांक 16 सितम्बर, 97 पर शासन द्वारा कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–5 के कार्यालय ज्ञाप सं० क०सं०वि०–5-3266-11-98-311(225)/97, दिनांक 7 अगस्त, 1998 में यह निर्णय लिया गया कि फरवरी 97 में बनायी गयी एकल पात्रता सूची जिसके द्वारा उपनिबन्धक के पद पर विभागीय कोटे से चयन हुआ है, त्रुटिपूर्ण है एवं नियमानुसार नहीं बनायी गयी है। इस पर शासन ने महानिरीक्षक निबन्धन को निर्देशित किया कि पुनः ज्येष्ठता एकल पात्रता सूची अविलम्ब बनाते हुये श्री श्रीवास्तव को उनकी वरिष्ठता के आधार पर स्थापित करते हुये, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

स्पष्ट निर्देश के बावजूद महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा शासन के उपरोक्त आदेश का अनुपालन लगभग डेढ़ माह व्यतीत होने के बाद भी नहीं किया गया है।

मा० सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये आपसे अनुरोध है कि आप शासन को उक्त आदेश का तत्काल अनुपालन कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें।]

मथुरा के फरह कस्बा स्थित पं० दीनदयाल उपाध्याय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु मनमानी किये जाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय कुमार पोइया–

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

मथुरा जनपद के फरह कस्बा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में विगत सत्र 1997-98 में कक्षा 6, 7, 8 में प्रवेश मा० मंत्री माध्यमिक शिक्षा के आदेशानुसार प्रवेश दिया गया तथा वर्तमान सत्र 1998-99 में कन्याओं को विद्यालय से निकाल दिया गया तथा टी० सी० तक नहीं दी गयी, इस प्रकार से छात्राओं का भविष्य जानबूझकर खराब किया गया यही नहीं कक्षा 11 एवं 12 की भी घोषणा धारा 9 में भी आदेश जारी किये परन्तु अभी तक कोई किसी प्रकार की कार्यवाही शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में त्राहि-त्राहि मची हुई है तथा छात्रायें शिक्षा से वंचित होकर घर पर ही बैठ गई हैं अन्य कोई

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्यालय कन्याओं को प्रवेश हेतु नहीं है इस संबंध में सभी को अवगत, शासन तक को, करा चुका हूं।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फरह जनपद मथुरा में प्रवेश हेतु कक्षा 6,7,8 तथा 11,12 में इसी सत्र में आदेश जारी करें तथा लापरवाह एवं दोषी सभी अधिकारियों को दण्डित करने का कष्ट करें।]

मेरठ की प्रमुख सड़कों पर नाला बनवाने प्रकाश व्यवस्था आदि कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, मेरठ की प्रमुख 12 सड़कों पर से नाले नाली तथा उनके आगे सड़क पर अतिक्रमण को हटाकर 5 फिट से लेकर 20 फिट तक का भाग साफ किया गया है। इसमें जहां यातायात हेतु अधिक स्थान सुलभ हुआ है इसमें वहीं मेरठ की जलभराव जल निकासी की समस्या का 90 प्रतिशत निदान हो जाने की समस्या बलवती हुई है।

उल्लेखनीय यह भी है कि मेरठ की जनता ने भी कष्ट उठाकर इसमें सक्रिय सहयोग दिया है लोगों ने सामान्यतः अपने अतिक्रमित भागों को स्वयं हटाया है। यह अभियान 25 अगस्त से शुरू होकर 16 सितम्बर तक चला मेरठ के इतिहास में अब तक जनसहयोग प्राप्त कर नाला नाली खाली करो अभियान न तो आज तक चल पाया न प्रभावी हो पाया था। लेकिन इससे पूर्व जनता को यह विश्वास दिलाया गया था कि आपसे खाली कराये भाग पर हम सड़के बनाकर खम्भों (बिजली टेलीफोन, मार्ग प्रकाश) पीछे हटाकर नाले नाली की तरफ ढालकर नाले नाली की मरम्मत तथा तलीझाड़ सफाई कर संभव होने पर सड़क को मध्य से विभाजित कर आपको बेहतर सुविधा प्रदान करेंगे।

इसमें सड़कें पी०डब्लू०डी० नगर निगम दोनों की हैं नगर निगम की आर्थिक हालत सर्वविदित है विकास प्राधिकरण मद में बहुत कम राशि उपलब्ध है। उपरोक्त अभूत पूर्व न भूतो न भविष्यति जनसहयोग के बदले में आवश्यक मूलभूत उपरोक्त कार्यों हेतु 50 लाख रुपया विशेष सड़क नाला अनुदान तथा 20लाख रुपये मार्ग प्रकाश अनुदान की व्यवस्था तत्काल आवश्यक है।

इस अभियान में पूर्णतः बेरोजगार हुए लगभग 200 लोगों के लिये रोजगार स्थल व्यवस्था भी करना आवश्यक है। इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा महानगर में सड़कों की मरम्मत एवं नालों की सफाई आदि की समस्याओं का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० राम बाबू हरित–

[मान्यवर, आगरा महानगर एक एतिहासिक नगर है जहां देश-विदेश के पर्यटक काफी मात्रा में आते रहते हैं। यहां नालों की सफाई न होने की वजह से बरसात के मौसम में गन्दा पानी डामर रोडों पर भरने से डामर रोडें जगह-जगह टूट गयीं हैं। उदाहरण के तौर पर बोदला चौराहे से सिकन्दरा रोड तक जगह-जगह 2-2, 3-3 फिट गढ्ढें हो गये हैं जिसमें पानी भरने से बाहर के ट्रक ड्राइवरों को रोड की स्थिति का सही अन्दाजा न होने से आये दिन इस चौराहे पर ट्रक पलटते रहते हैं और दुर्घटनायें होती रहती हैं। इसी प्रकार मास्टर प्लान, खन्दारी रोड ताज फिरोज खां, मधुनगर रिंग रोड मदिया कटरा रोड आदि रोड़ों पर जगह-जगह गढ्ढे हो गये हैं जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं तथा आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे जनता में

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिन प्रतिदिन आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। नगर निगम आगरा के प्रति लोगों का विश्वास हटता जा रहा है तथा नगर निगम सदन की बैठक में सभासदों द्वारा सफाई, पानी भराव की निकासी व सड़कों की परम्मत हेतु पूर्व में काफी हंगामा किया गया था उक्त समस्याओं के निदान न होने से आगरा वासियों में सरकार व नगर निगम के अधिकारियों के प्रति सम्मान की भावना कम होती जा रही है।

अतः आपसे मांग करता हूं कि इन उक्त समस्याओं का निराकरण जनहित में तुरन्त कराने का कष्ट करें।]

जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पूरनपुर में थाना माधो टाण्डा के पुलिस कर्मियों द्वारा दो मासूम छात्राओं के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपाल कृष्ण–

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर जनपद पीलीभीत में थाना माधो टाण्डा के पुलिस कर्मियों द्वारा 16/17 अगस्त की रात को दो मासूम छात्राओं के साथ बलात्कार किया गया था। पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों को बचाया जा रहा है और निर्दोष नागरिकों को जेल भेजा गया जनता में अत्यधिक रोष इस पर समस्त राजनैतिक दलों ने पूरनपुर बंद का सफल आयोजन किया। अब पुलिस ने मजबूरी में और जनता के आगे घुटने टेके तथा इस सत्य को स्वीकार किया कि इस घटना में पुलिस कर्मी हैं। इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न को लेकर जिसमें पुलिस के सिपाही जो समाज के रक्षक कहे जाते हैं। वही भक्षक निकले, और जिला पुलिस तमाम तरीकों से उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है।

अतः 8 सितम्बर से बाबू धीरेन्द्र सहाय पूर्व मंत्री उ० प्र० शासन एवं प्रादेशिक मंत्री महामंत्री समाजवादी पार्टी सैय्यद जमीर अख्तर हसमी जिला अध्यक्ष सपा और श्रीराम गुलाम जी (ब्लाक अध्यक्ष सपा) श्री राजीव दीक्षित ब्लाक अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पूरनपुर श्री चन्द्रपाल त्रिपाठी अध्यक्ष समाजवादी पार्टी बंजरिया श्री गुलाम नवी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी यूथ ब्रिग्रेड श्री बृजपाल यादव अध्यक्ष लोहिया वाहिनी तथा हजारों लोग शांन्ति पूर्ण धरना देकर मांग कर रहे थे कि दोषी को दंड दिया जाय और निर्दोषों को रिहा किया जाय परन्तु 21 सितम्बर की रात को पुलिस ने बर्बरता पूर्वक शान्ति पूर्ण धरने पर बैठे उपरोक्त लोगों को जेल के सिखचों के अन्दर कर दिया है। जनता में भारी आक्रोष व्याप्त है। मान्यवर, प्रजातंत्र में शांन्ति पूर्ण तरीके से अहिंसात्मक धरने को दबाना एक अपराध है जनता की आवाज को दबाने वाला ज्यादा दिन शासन नहीं कर सकता।

अतः निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण लोक महत्व के मामले की जांच कराकर निर्दोष लोगों को रिहा कराने एवं दोषी लोगों को दण्डित करने के निर्देश दें।]

टिहरी गढ़वाल की जिला योजना मद में लोक निर्माण विभाग को आवंटित धनराशि का उपयोग करने हेतु शीघ्र शासनादेश जारी करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लाखीराम जोशी–

[मान्यवर, जिला टिहरी गढ़वाल की जिला योजना वर्ष 98-99 के लिए लोक निर्माण विभाग को आवंटित धनराशि से निर्मित होने वाली सड़कों के निर्माण हेतु शासन स्तर से धन आवंटन व सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश जारी नहीं किया गया है जबकि 7 माह व्यतीत हो चुके हैं यदि शीघ्र शासनादेश जारी न किया गया। तो गत वर्ष की तरह इस वर्ष की जिला योजना की लोक

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्माण विभाग को आवंटित धनराशि कालातीत हो जाएगी इस आशंका से जनता में भारी असंतोष है।

आपसे अनुरोध है कि टिहरी गढ़वाल की जिला योजना मद में लोक निर्माण विभाग को आवंटित धनराशि का उपयोग करने हेतु निर्धारित सड़कों को निर्माण की स्वीकृति शासनादेश शीघ्र जारी कराने का कष्ट करें।]

जिला टिहरी गढ़वाल में बाढ़ से क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, जिला टिहरी गढ़वाल में 12 अगस्त, 97 को आई बाढ़ से बाल गंगा घाटी में बाल गंगा नदी के किनारे विद्युत पोल बह जाने से विकास खण्ड भिलंगना की पट्टी बासर कालीकरुड एवं गोनगढ़ में विद्युत आपूर्ति ठप्प पड़ी है, विद्युत विभाग द्वारा एक वर्ष से बाढ़ से क्षति ग्रस्त विद्युत लाइन में सुधार करने का प्रयास नहीं किया गया और एक वर्ष से अधिक अवधि से सैकड़ों गांव अंधकार में डूबे हुए हैं।

इस गंभीर महत्व के मामले में तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

आजमगढ़ में बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, इस विलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद मुख्यालय जो तीन तरफ से टौंस नदी से घिरी हुई है सम्प्रति बाढ़ की विभिषिका से वहां की आबादी पूर्ण रूप से ग्रसित है आजमगढ़ शहर के किनारे काघ बांध कभी टूट सकता है क्योंकि लोगों द्वारा बांध काटकर के मकान बना लिये गये हैं। जिससे बंधा कमजोर हो गया है यह भी कहना है कि बंधे के किनारे बने बाढ़ पम्पिंग स्टेशन खराब पड़े हैं जिससे शहर का पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है इस समय पानी पूर्ण रूप से बंधे के किनारे तक पहुंच चुका है। इस समय बांध के टूटने से लोगों के जान माल का खतरा बना हुआ है। इसी तारतम्य में टोंस नदी के बाढ़ से आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र के निम्न गांव पूरी तरह से प्रभावित हैं फसलें नष्ट हो रही हैं।

पूरब पट्टी, पश्चिम पट्टी, चकिया दूबे, रामपुर, बनहरा, देवकली, शिराजपुर, मदारपुर, खलिया, मुस्लिम पट्टी, सोटरी, चन्दाभारी, त्रिमोहीनी महासदपुर, वेगपुर, चकबुढान, तथा बुढानपट्टी, सिरेपुर, जहांगीरपुर, शिब्ली, चकइनामी, मतौलीपुर, एकरामपुर, बागलसरांव हरैया, कोल्हचौहान, बस्ती, के कोल्हवाज बहादुर, सम्मोपुर, हथिया, बद्दोपुर, सर्फद्दीनरा भोजपुर, ककरहटा, इस प्रकार शहर के मुहल्लों में भी जल भराव से जनता का जीना दूभर हो गया है। मुहल्ले हरिवंशपुर, सिंहवल, लाइन, रैदोपुर, मड़या, धर्म का नाला, गुलामीपुरा, रहमतपुर, नगर आदि पानी से भरे रहते हैं नाले पूरे तरह से पट गये हैं उनकी सफाई नहीं हुई है इसी तरह खिलनी नदी जो आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र से होकर बहती है तथा बाढ़ के दिनों में बसे गांवों को तबाह कर देती है। इस समय इस नदी से प्रभावित गांव है :–बड़सरा, गौरा, बनकटा, सुरियाडिह, बीबीपुर नेवादा, शम्भूपुर, विसोजी, बड़या दुधनारा, ग्यासपुर, येहदाख, मातनपुर एवं मुजफ्फरपुर

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदि तथा यह भी बताना है कि आजमगढ़ आजमपुर नाला एवं कोठिहार नाला जो पूर्ण रूप से मिट्टी से पट गये हैं वर्षो से खुदाई नहीं हुई है जिससे आजमपुर गौरा उकरौडा डेउवाडा आदि गांव बेहमपुर नाला तथा भदसिया नाले से गांव प्रभावित है तथा खरीफ की फसलें नष्ट हो गयी हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष जी मैं मांग करता हूं कि उक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रभावित किसानों की लगान माफ कर नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।।

जनपद मैनपुरी में बेवर मोटर मार्ग को ठीक कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जी० टी० रोड छाछा से जाने वाली सड़क पर वाया आलीपुर खेड़ा मोटा बेबर तक जनपद मैनपुरी में तमाम गढ्ढे होने से व उसमें पानी भरने के कारण आवागमन अवरुद्ध होने की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त सड़क में ग्राम आलीपुर खेड़ा, बरहत रकरी, भैसरोली, ग्रामों में बरसाती पानी व दैनिक उपयोग के पानी के कारण इतने बड़े बड़े गढ्ढे होने से पानी भर गया है और सड़क ने तालाब जैसा रूप धारण कर लिया है परिणामतः आवागमन अवरुद्ध हो गया है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी है। पैदल साइकिल मोटर साइकिल जीप व बसे निकलना मुश्किल हो गया है । इस तरफ लो०नि०वि० का कई बार ध्यान आकर्षित किया गया परन्तु इस समस्या के निराकरण की तरफ कोई ध्यान नहीं गया, क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है, मरम्मत के कार्य में विभागीय अधिकारियों ने इसमें भारी घपला भी कर लिया है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर उक्त बेबर मोटा मार्ग जनपद मैनपुरी की सड़क पर गढ्ढों को भरवाकर सड़क को दुरुस्त कराने की मांग करता हूं।।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

औचित्य के प्रश्न पर भी कुछ सूचनायें आई हैं, इनमें एक सूचना माननीय श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार की लाटरी के संबंध में है, पाल जी, यह नियम 301 में कैसे आयेगी?

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लाटरी पर लगाये गये प्रतिबन्ध के बावजूद भी लाटरियों की हो रही बिक्री के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इस सम्मानित सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश में जो भी लाटरी प्रचलित है, उसके संबंध में करोड़ों जनता के हितों को देखते हुये स्वयं स्वीकार किया था कि लोगों के परिवार बरबाद हो रहे हैं, लोग लुट रहे हैं, पिट रहे हैं। इसकी गम्भीरता से और परिणामों से आप भी अवगत हैं और सदन में इस पर सर्वसम्मति से सहमति बनी थी और उन्होंने इसे बंद करने की घोषणा की थी, जिसका सभी दल और सम्मानित सदन ने स्वागत किया था, इससे करोड़ों लोगों के परिवारों की आशा जगी थी कि परिवार की गाढ़ी कमाई से बच्चों की फीस,

---

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बीमारी इलाज के लिये, घर के खाने के लिये, जो पैसा अभी घर का सदस्य लाटरी, जुआं में बरबाद कर देता था। वह बच सकेगा। इस प्रकार लाटरी पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा हुई और 29 अक्तूबर, 97 को अधिसूचना जारी हुई कि प्रदेश में समस्त लाटरियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जायेगा। इस अधिसूचना को सुनिश्चित कराने के लिये पूरे प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था की गई, तब उत्तर प्रदेश के लाटरी विक्रेता माननीय उच्च न्यायालय में गये और उन्होंने फिर से लाटरी खोलने की मांग की तो सम्मानित उच्च न्यायालय ने 29 अक्तूबर, 97 के लाटरी रेगुलेशन आर्डीनेन्स 20/91 पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुय यह माना कि जो प्रतिबंध लगाया गया है, वह वैध है।

इसके बाद लाटरी विक्रेता गोहाटी हाईकोर्ट चले गये और उन्होंने नागालैन्ड, मणिपुर, मिजोरम की लाटरियों के संबंध में स्टे ले लिया और फिर 16-1-98 के निर्णय को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टे को नहीं माना, उसके परिप्रेक्ष्य में लाटरी विक्रेता इलाहाबाद हाईकोर्ट में आये और कहा कि इस प्रतिबंध के दायरे को मुक्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में तो नहीं आता।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इससे उत्तर प्रदेश सरकार के 200 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है, हम लोग इस सदन में निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिये हमारी जिम्मेदारी है और हम जनता के प्रति उत्तरदाई हैं। आज 5 महीने से लाटरी बिक रही है और 8 सितम्बर, 98 को इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इनकम टैक्स वसूला जायेगा।

[××××]

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य की आप बात कर रहे हैं, वह कहीं से नहीं आता।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्रीपाल जी को सुन लिया है।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जो अनावश्यक आरोप लगाया गया है, उसे निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

निकाल दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार—

क्या है?

नोट:–[××××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह–

वह स्वयं जानते हैं। मान्यवर, औचित्य के प्रश्न की क्या परिधि होगी, इस सम्बन्ध में कल भी आपने निर्देश दिये थे कि नियमावली के नियमों का उल्लंघन होता हो या उसका पालन न होता है, तो औचित्य का प्रश्न उठाया जाता है, जब कोई नीतिगत प्रश्न हो, तब उठाया जाता है। लाटरी का मामला कहां से कहां चला गया, वह उठाया जायेगा? आपके कक्ष में यह सूचनायें आती हैं। जो सवाल ऐसे हैं, जिनका सम्बन्ध नियमावली से नहीं है, उनकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। आरोप लगा दिये जाते हैं और सरकार उन पर कुछ कह नहीं पाती है।

श्री अध्यक्ष–

आप बतायें कि यह नियम 300 में कैसे आता है?

* श्री प्रमोद कुमार–

जब कोई घोषणा सरकार करती है, तो यह मान कर चला जाता है कि उसका पालन कराया जायेगा। लाटरी का विषय ऐसा विषय है, जिसके सम्बन्ध में सत्ता पक्ष, विपक्ष और सम्पूर्ण सदन एक मत था कि किस प्रकार से इससे मुक्ति मिले। मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं हजारों परिवार नष्ट हो गये और करोड़ों रुपया बरबाद हो गया। राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके एक अक्तूबर, 1997 को इसे बन्द किया।

श्री अध्यक्ष–

संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ लगाने की बात है?

श्री प्रमोद कुमार–

जब शासन कोई घोषणा करता है, अगर मंत्रि परिषद् कोई घोषणा करती है, तो उसका पालन करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

तो आश्वासन समिति को चला जायेगा, नियम 300 में कैसे आयेगा?

श्री प्रमोद कुमार—

निर्णय लेना तो आपका काम है। लाटरी के परिणामों को देखते हुये शासन कहता है कि लाटरी नहीं चल रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जिस जिले में आप चले जायें तो पायेंगे कि लाटरी चल रही है। एक तरफ शासन कहता है कि लाटरी नहीं चल रही है और दूसरे खुले रूप से लाटरी के टिकट बिक रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शासन और प्रशासन की मिली भगत से लाटरी का व्यवसाय चल रहा है। आप इसको स्वीकार करते हुये शासन से कहें कि जो वह कहता है वह करे। अब इसमें कौन कौन शामिल हैं, आप गम्भीरता से विचार करें और अगर शासन घोषणा करता है, तो उसका पालन करायें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री जगदम्बिका पाल और श्री प्रमोद कुमार को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिये इसको निरस्त किया जाता है।

---

*नोट :–वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों के लिए भूमि बीमा योजना लागू किये जाने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद उसका अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना माननीय समरपाल जी की है। माननीय समर पाल जी आपने कहा है कि शासन ने जो आश्वासन दिया था वह पूरा नहीं किया तो आप आश्वासन समिति के लिए सूचना दीजिए। यह नियम 300 में नहीं आती है।

*श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, यह बात बहुत दिनों से चल रही है पिछले सत्र में भी यह मामला आया था सरकार की तरफ से आश्वासन आया कि शीघ्र ही किसानों की फसल बीमा योजना लागू कर दी जायेगी यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्यापारियों और अन्य प्रतिष्ठानों की जो सम्पत्ति होती है वह सारी बीमा के माध्यम से सुरक्षित रहती है लेकिन किसानों की समस्या यह है कि चाहे दैवी आपदा हो चाहे बाढ़ आयी हो या और किसी कारण से सारी फसल नष्ट हो जाती है तो उसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार किसानों को नाम मात्र की सहायता देती है। हजार रुपये सरकार की तरफ से दिया जाता है वह 1 हजार रु० से ज्यादा उसकी मजदूरी बनती है। जब बाढ़ आये या अतिवृष्टि हो जाए या बिजली टूटने से खेतों में आग लग जाए तो सारी फसल उनकी नष्ट हो जाती है किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जाता है।

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना नियम 300 में कैसे आती है यह बताइए?

श्री समरपाल सिंह—

किसान के पास बच्चों की फीस देने के लिए पैसा नहीं है खाने के लिए पैसा नहीं है इससे पहले भी सरकार आश्वासन दे चुकी है कि फराल बीमा योजना अतिशीघ्र लागू करेंगे इसके बावजूद यह नहीं कर रहे हैं यह सदन की अवमानना है। भारतीय जनता पार्टी के मैनोफैस्टो में भी यह बात थी और उसके आधार पर प्रदेश की जनता से इन्होंने वोट लिया और यह शासन में आने के बाद उसे लागू नहीं कर रहे हैं प्रदेश के करोड़ों किसान से यह संबंधित हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय समरपाल सिंह जी की सूचना पर उन्हें सुनने के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। माननीय मंत्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन में आश्वासन समिति विचार करती है इसमें कोई औचित्य का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है इसलिये यह निरस्त किया जाता है।

ड्रेनेज खण्ड (प्रथम) जनपद गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने पर अध्यक्ष पीठ के निर्देश के बावजूद शासन द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना माननीय विनोद मणि की है आपकी सूचना भी नियम 300 में नहीं आती है। आप कार्यवाही निकाल कर देख लें। अध्यक्ष पीठ से केवल शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था और सूचना निरस्त कर दी गयी थी।

---

* नोट :–वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री विनोद मणि —

मान्यवर, 23 जुलाई को जब नगवानाला बंधा टूट गया था तो उस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था पूर्वांचल में उससे तबाही हुई थी वहां के अधिशासी अभियन्ता विजय राज सिंह ड्रेनेज खण्ड (1) गोरखपुर ने बड़े पैमाने पर सरकारी धन की लूट की है। इसकी जांच की मांग मैंने की थी । संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि सूचना अभी मिली है इसको देखकर कार्यवाही की जायेगी । 23 जुलाई से आज तक कितने दिन हो गये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न जांच कराई गयी।

मेरे विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया गया है । इसके संबंध में भी आपकी तरफ से कहा गया था कि विधायक का उत्पीड़न न होने पाये आपकी पीठ से निर्देश गया था और सरकार से कहा था कि इस पर देख लिया जाए। मेरे खिलाफ अभियोग पंजीकृत है इसे अभी तक निरस्त नहीं किया गया है। जो लूट हुई उसकी जांच की जाय और बंधे के टूटने से किसानों की जो क्षति हुई है उसके संबंध में भी कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष —

दिनांक 23 जुलाई, 98 को प्रश्नगत मामले में अध्यक्ष पीठ से केवल शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था और तदुपरान्त उक्त सूचना निरस्त कर दी गयी थी । अतः इस मामले में औचित्य का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है इसे अस्वीकार किया जाता है।

अगली सूचना माननीय अजय कुमार पोइया की है। यह 13वीं और 12वीं विधान सभा से संबंधित है और अस्पष्ट है। आप दूसरी सूचना दीजियेगा। यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिये इसको मैं अस्वीकार करता हूँ। सुसंगत नियमों के अंदर सूचना दीजियेगा तब मैं इसको देखूंगा।

नगर विकास मंत्री द्वारा नगर निगम मेरठ में तीन नलकूपों की री-बोरिंग हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था का आश्वासन दिये जाने के बावजूद उक्त कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष —

अगली सूचना डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी की है। आपने आश्वासन की बात कही है। आप आश्वासन समिति को सूचना दीजिये।

*डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी —

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न 30 जून को किया था उसका उत्तर मंत्री जी ने 7 जुलाई, 1998 को दिया था और यह कहा था कि ट्यूबवेलों की री-बोरिंग की व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, 13 तारीख को बजट पेश हुआ। 27-7-98 को आगणन बना। मैंने जो नियम 51 में प्रश्न उठाया था सरकार ने उस संबंध में लिखित आश्वासन दिया था। लेकिन बजट में उसके लिये कोई प्राविधान नहीं किया गया है तो फिर ऐसे उत्तर या आश्वासन से लाभ क्या है। आप अगर आश्वासन समिति को संदर्भित करें तो वह अलग बात है। मेरा निवेदन है कि सरकार ने सदन में जो आश्वासन दिया था उसको पूरा करने के लिये आप निर्देश दे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष —

सदन में जो आश्वासन दिये जाते हैं उन पर आश्वासन समिति विचार करती है। माननीय डा० बाजपेयी की सूचना में औचित्य का कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है इसलिये नियम 300 के अन्तर्गत मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 को सीधे सचिव, विधान सभा को न भेजकर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से भेजे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष —

अगली सूचना माननीय गोरखनाथ पाण्डेय और माननीय मुन्ना चौहान की हैं।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय —

मान्यवर संविधान के आर्टिकिल 3 में नये राज्यों का निर्माण, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने के संबंध में प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने अगस्त 94 में और अप्रैल, 97 में संकल्प पारित किया उसी के कारण उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 राय जानने हेतु परिचालित किया गया।

यह विधेयक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया जबकि इसको सचिव विधान सभा को भेजा जाना चाहिये था। मान्यवर, आर्टिकिल-3 को आप देखने की कृपा करें। आर्टिकिल-3 में यह भी कहा गया है कि इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहां जब तक उस राज्य के विधान मंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाय या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाय प्रकट किये जाने के लिये वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गयी है, संसद के किसी सदन में पुरःस्थापित नहीं किया जायगा। मान्यवर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मुन्ना चौहान —

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जिस विषय के संबंध में नोटिस दिया है यह संविधान के अनुच्छेद-3 जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जब भी कभी किसी राज्य या किसी राज्य के किसी भाग को मिलाकर कोई नया राज्य बनाया जायगा तो उस राज्य के संबंध में जो विधेयक होगा वह विधेयक उस समय तक संसद में प्रस्तुत नहीं हो सकता है जब तक वह विधेयक भारत के राष्ट्रपति उस राज्य या उन राज्यों के विधान मंडलों की राय न ले लें जिनकी सीमाओं में परिवर्तन होने वाला है जो निर्देश दिया जाना है वह सम्बंधित विधान मण्डल को दिया जाना है। इस संबंध में राष्ट्रपति जी का जो संदेश निर्देश था वह आपके सचिवालय को इस विधान मण्डल के सचिवालय को प्राप्त होता तो विधि सम्मत होता, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप होता और इस सदन की जो कार्य संचालन नियमावली है जिससे सदन का कार्य विनियमित होता है, उसके अनुरूप होता। लेकिन श्रीमन् मैं आपके सम्मुख जो पटल कार्यालय से इस विधेयक को टेबल किये जाने के सम्बन्ध में जो पत्र मिला उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। श्रीमन् पत्र के अन्दर लिखा गया कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति का यह संदेश और यह संदर्भ विधान मण्डल के सम्मुख उसके विचार जानने के लिए निर्दिष्ट अवधि के अन्दर विचार जानने को प्रेषित किया जाता है। यह इस विधान मण्डल का विशेष अधिकार है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संविधान में प्रबन्ध है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय का जो संदर्भ आएगा उस पर विधान मण्डल विचार करेगा। लेकिन विधान मण्डल को बाईपास करके भारत के अपर सचिव द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर किया गया यह प्रारूप है। यही नहीं इस सम्मानित सदन के सम्मान को गिराने का एक तरह से काम किया गया। इसके अधिकार क्षेत्र को ओवर स्ट्रेप करने का काम किया गया। आपके अधिकार को बाईपास करने का काम किया गया। मुख्य सचिव से यह कहा गया जब तक बिल विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत न हो तब तक इस बिल को कांफीडेंशियल ट्रीट किया जाए।

मैं आपका संक्षरण चाहता हूँ। सदन संरक्षण चाहता है। यदि बिल को लेजिस्लेचर से सीक्रेट रखा जा सकता है और मुख्य सचिव को उसकी जानकारी दी जा सकती है तो यह सदन का अपमान है। इस बिल को जो लेजिस्लेचर को आना चाहिए था वह मुख्य सचिव को आया इससे दुविधा की स्थिति हो गई है। क्या यह हमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को या मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को भारत सरकार के माध्यम से भेजा गया विधेयक है। जिस पर सदन विचार करेगा। यह संवैधानिक प्रश्न है। जो विधेयक आया है वह भारत सरकार के अपर सचिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के माध्यम से इस सदन में टेबल किया गया है। यह विधेयक सीधे विधान मण्डल को नहीं सौंपा गया है। यह आने वाले दिनों में जो लोग इस विधान मण्डल में बैठेंगे, जो पार्लियामेन्ट के अन्दर बैठेंगे जिनसे अपेक्षाएं की जाती हैं तथा संवैधानिक व्यवस्था है कि जब तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय, सम्बन्धित राज्य के विधान मण्डल की राय नहीं जान लेंगे तब तक यहां तक सरकार को भी कोई अधिकार नहीं है–चाहे केन्द्र सरकार ही क्यों न हो कि उस बिल को पार्लियामेंट में इन्ट्रोड्यूज करे। उनके अधिकार में कटौती है। यह एक गम्भीर विषय है। सम्भवतः मुख्य सचिव का निर्देश हमको प्राप्त हुआ है कि इसमें सदन के अन्दर विचार होना है। श्रीमन् मैं आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि या तो जानबूझकर एक विधायिका का अपमान करते हुये इस वजह से यह प्रक्रिया अपनाई गयी ताकि सरकारी तंत्र को विधेयक का संज्ञान हो और जो प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, विधान मण्डल के सदस्यों को वंचित करते हुये उनको सूचना न दी जाये। श्रीमन् मैं आपसे संरक्षण चाह रहा था। यदि इस बिल को 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को जानने की अनुमति थी तो इस विधान मण्डल को भी 20 अगस्त को जान लेना चाहिए और उसका उपयोग होता।

संविधान की भावना भी यही थी कि बिल की गम्भीरता से अध्ययन करने और गम्भीरता पूर्वक सदन के अन्दर विचार व्यक्त करते। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझकर लेजिस्लेचर को बाईपास करने का काम किया गया। इस सम्मानित सदन को सूचना के अधिकार से वंचित किया गया और शासन के मुख्य सचिव को सूचना उपलब्ध करा दी गयी। कल ही यह टेबुल हुई और कल ही हमें संशोधन प्रस्ताव देने थे। आप कानून के ज्ञाता हैं, राज्य के निर्माण का बिल हो और उसमें संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए केवल आधे दिन का समय मिला तो हम कितनी गम्भीरता और सुचारू रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करते। इससे महत्वपूर्ण विषय कोई अन्य नहीं हो सकता इसलिए इसे आप औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें और इस पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक इस सम्मानित सदन का प्रश्न है विधान सभा सचिव ने कल महामहिम राष्ट्रपति जी का सन्देश पढ़कर सुनाया और कार्यसूची में पहले यही विषय था। हमारे संज्ञान में एक सदस्य होने के नाते तभी आया जब विधान सभा सचिव ने इस संदेश को पढ़ करके सुनाया। इससे पहले केवल यह था कि एक विधेयक प्रस्तुत होना है और उस पर विचार प्रकट होने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने 20 अगस्त, 1998 को इस पर आदेश किये और जो संविधान के अनुच्छेद–3 की आवश्यकता है, उसके अनुरूप यह सन्देश पढ़कर सुनाया गया। प्रश्न केवल इतना है कि महामहिम राष्ट्रपति जी इस पत्र को किसके माध्यम से विधान सभा में भेंजें? क्या इस सम्मानित सदन के लिए अच्छा होगा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो निर्णय लिया है उस पर हम प्रश्नचिन्ह लगायें। यह विधेयक केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था और गृह मंत्रालय ने महामहिम राष्ट्रपति जी को संदर्भित किया।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि पहले उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विचार जाने जायं। विचार जानने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिया गया तो स्वाभाविक है कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिव थे, इसलिए मुख्य सचिव को भेजा गया। मुख्य सचिव ने उसे यहां भेजा। इसमें दो काम हो सकता था या तो राष्ट्रपति भवन से सीधे यहां पर आता या फिर गृह मंत्रालय के माध्यम से आता। जब गृह मंत्रालय के माध्यम से आया तो वह सीधे मुख्य सचिव के यहां गया। क्या यह उचित है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के विवेक पर प्रश्नचिन्ह लगायें और उस पर चर्चा करें। औचित्य के प्रश्न की भी कुछ सीमायें होती हैं, अगर हम देश के सर्वोच्च फंक्शनरी जिनका संविधान की रक्षा का दायित्व है, वह क्या नीति अपनाते हैं, उस रीति और नीति के ऊपर हमें न चर्चा करनी चाहिए, न प्रश्नचिन्ह लगाने चाहिए। इस पर चर्चा हो गयी वह भी नहीं होनी चाहिए थी। मेरा आग्रह है कि इस पर चर्चा न करें। क्या हमारे कार्य संचालन नियमावली में यह प्राविधान है कि सीधे यहां आयेगा।

अनुच्छेद-3 पढ़ दें इसमें यह प्राविधान है कि सीधे-सीधे सचिव के पास भेजा जायेगा। यह प्राविधान है कि पार्लियामेंट में प्रस्तुत करने से पहले सम्बन्धित राज्य के विधान मण्डल के विचारों को जाना जायेगा। यह प्राविधान कि आयेगा कैसे यह प्रोसीजरल मामला है इसको यहां नहीं उठा सकते। मेरा अनुरोध है कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इसलिए इसको निरस्त किया जाये।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

नियम–300 का उप नियम-4 देखें।

नियम-300 के उपनियम (4) यह कहता है कि किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बातें सुन सकेंगे। मैंने दो माननीय सदस्यों को सुन लिया। अब इस पर आगे वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री मुन्ना चौहान —

मान्यवर, इस बात से हम भी विज्ञ हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के किसी भी कृत्य पर कोई प्रश्नचिन्ह इस सदन में नहीं उठाया जा सकता। मैंने पहले भी कहीं पर महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। हम तो यह कह रहे हैं कि अपर सचिव ने यह बिल मुख्य सचिव को भेजा है। अपर सचिव तथा मुख्य सचिव के कंडक्ट पर सवाल उठाने का अधिकार तो हमें है ही और न ही संविधान में निषिद्ध किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी इसके बीच में कहीं पर नहीं आ रहे हैं। यह एक पत्र का मामला है। हमारा तो यह कहना है कि आपके सचिवालय के माध्यम से हमें इसकी सूचना मिलती तो अच्छा होता। विधान सभा सचिवालय के माध्यम से राष्ट्रपति जी का संदेश हमें प्राप्त होना चाहिये था।

(श्री राम जग के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष —

आप कृपा करके बैठ जायं। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। बिना अनुमति के कुछ नहीं लिखा जायेगा।

*श्री अम्बिका चौधरी —

मान्यवर, मेरी प्रार्थना भिन्न है। मान्यवर, जब कल हमें पटल कार्यालय से इसका प्रारूप प्राप्त हुआ तो इस पर संशोधन हमें सायं 5 बजे तक देना था। उस समय सदन की कार्यवाही चल रही थी तो किसी भी सूरत में माननीय सदस्य उसे गम्भीरता से पढ़कर अपने सुझाव/संशोधन नहीं दे सकते थे। सरकार ने तो विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही उसे पढ़कर 26 संशोधन प्रस्तुत कर दिये।

श्री अध्यक्ष —

यह कोई सूचना का विषय नहीं है। यह तो विषय ही दूसरा है। समय 5 बजे से बढ़ाकर 7 बजे कर दिया गया था। अब आप मुझे इस पर व्यवस्था देने दें।

अनुच्छेद-3 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिये यह अनिवार्य है कि वह नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के लिये जो विधेयक प्रस्तुत होने वाला हो, उसको संबंधित राज्य विधान मंडल को निर्दिष्ट करेंगे। अनुच्छेद-3 में इस बात का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय किसके माध्यम से इस विधेयक को राज्य के विधान मण्डल को निर्दिष्ट करेंगे। वर्तमान प्रकरण में यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति महोदय ने केन्द्र सरकार के अपर सचिव के माध्यम से और प्रदेश के मुख्य सचिव के माध्यम से इस विधेयक को राज्य के विधान मण्डल की राय जानने के लिये निर्देशित किया है। माननीय श्री मुन्ना चौहान और श्री गोरखनाथ पाण्डेय जी का कहना है कि यह विधेयक सीधे विधान मंडल को आना चाहिए था लेकिन चूंकि किसी माध्यम का अनुच्छेद-3 में उल्लेख नहीं है तो इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। जो तर्क प्रस्तुत किया गया है इस सूचना के द्वारा संविधान में उसमें भले ही महामहिम राज्यपाल के आचरण पर आक्षेप न किया गया हो परन्तु महामहिम के विवेक का किसी माध्यम से व संदर्भित कारणों से इस विधेयक को उसे लौटाना एक प्रकार से अन्तर निहित है।

नियम-289 के उप नियम-च के अन्तर्गत राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल तथा न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं किया जा सकता है, इसलिये मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ।

विधायक निधि की स्थापना किये जाने का आश्वासन शासन द्वारा दिये जाने के बावजूद भी उसका क्रियान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष —

अगली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह जी की है।

* कुंवर रेवती रमण सिंह —

माननीय अध्यक्ष जी, अभी पिछले बजट सत्र में बजट की चर्चा में और बजट में इस बात का प्राविधान किया गया था कि माननीय सभी विधायकों को विधायक निधि 50-50 लाख रुपया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विकास कार्यों के लिये दी जायेगी। मान्यवर, दो महीने बीत गये हैं और जो घोषणा यहां विधान सभा में हुई थी वह कदाचित् आज तक क्रियान्वित नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार कम से कम जिस बात की घोषणा करे उसे कार्य रूप देने के लिये सरकार को प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होना चाहिए। लेकिन मान्यवर, मुझे शंका हो रही है कि सरकार जो कहती है उसको करने के लिये कदाचित् तैयार नहीं है अगर तैयार है तो उसका कार्य रूप कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है।

यह इसलिये आवश्यक है कि विधान सभा में जो बात कही जाय तत्काल उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। दो महीने का पर्याप्त समय मिला लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर सरकार इस सदन को बताने का कष्ट करे कि कब तक यह लागू हो जायेगा, कब तक उसका क्रियान्वयन हो जायेगा। अभी तक क्यों नहीं हुआ इसका क्या कारण था? सदन को सूचित करने का कष्ट करें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को बुलाने पर)।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर दो मिनट अम्बरीष जी को भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात आ गयी है। अब मंत्री जी का उत्तर आ जाने दें।

*पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं रेवती रमण सिंह जी को आश्वस्त करता हूं कि यह आयेगा और पहुंचेगा और मिलेगा भी। आप लोग अपने क्षेत्र में काम भी करेंगे। रही बात कि कब तक होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में इसकी घोषणा की थी इसके बाद कुछ प्राथमिकता होती है उस तरफ देखना पड़ता है। पूरे प्रदेश के सामने एक चुनौती थी कल यहां पर चर्चा भी हुई तो उससे प्राथमिकता तो विधायक निधि को नहीं दी जा सकती थी। प्रक्रिया चल रही है। यह सरकार जो कहती है करके दिखाती है। यह उनकी तरह नहीं है कि कह कर चले गये और करके कुछ नहीं दिखाया।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)।

श्री अध्यक्ष—

कुंवर रेवती रमण जी व माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। यह नियम–300 में नहीं आती। अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की है। आपने अपनी सूचना में कहा है कि गलत बयानी की है, उसके लिये तो अलग से नियम में प्राविधान है।

प्रदेश में आयी बाढ़ पर चर्चा के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा सदन में गलत तथ्य रखकर सदन को गुमराह किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद कल जो विधान सभा में हुआ। मैं एक लाइन माननीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य की बता रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों के लिये अभी तक 6 करोड़ 40 लाख रुपये प्राप्त हो चुका है। यह बात यहां से बाढ़ की चर्चा के दौरान शुरू हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि बाढ़ की समस्या के निराकरण के लिये धन की कमी आड़े हाथों नहीं आयेगी। उन्होंने स्वयं कहा कि 3556 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है। वैसे तो सदस्यों की विपक्ष की राय थी कि 10 हजार करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। 3 हजार 536 का नुकसान मुख्य मंत्री जी के हिसाब से हुआ। 6 करोड़ 40 लाख मुख्य मंत्री जी के कोष से प्राप्त होना था ऐसा लगता है माननीय प्रधान मंत्री जी की आलोचना माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। या तो इससे अधिक प्रधानमंत्री जी ने रुपया दिया है जिसका खुलासा मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य में नहीं किया है अगर ज्यादा दिया है तो इसका खुलासा करना चाहिए था। डेढ़ सौ करोड़ रुपया तात्कालिक सहायता दी, उसमें खर्चा किया तो डेढ़ सौ करोड़ रुपया सरकार द्वारा खर्चा करना था और मुख्य मंत्री जी द्वारा यह कहना कि धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

तात्कालिक सहायता पांच सौ करोड़ होनी चाहिए थी माननीय सदस्यों ने यह कहा। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है। सदन ही नहीं इस प्रदेश की जनता को भी गुमराह किया है। जब यह भाषण दे रहे थे तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने व्यवधान उत्पन्न कर दिया उससे सारी स्थिति सामने नहीं आ पाई जब मैंने नियम—300 में सवाल उठाया सदन का समय बढ़ाया जाए, मैं जानता हूं आप समय बढ़ाना चाहते थे लेकिन सरकार ने प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं पर चर्चा नहीं होने दी मैं व्यवस्था चाहता हूं अगर सदस्य खड़े होकर अपनी बात कहते हैं तो सत्ता पक्ष के सदस्य व्यवधान उत्पन्न करते हैं। व्यवधान में हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं इस औचित्य के सवाल पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम औतार शाक्य जी को सुनने के उपरान्त मैं समझता हूं। सदन में किसी मंत्री ने कोई गलत बयानी की है तो उसके लिए संगत नियमों मे अलग से सूचना देने का प्राविधान है। वाद-विवाद में जहां तक टोका-टोकी की बात है वह चलती है इससे सदन की कार्यवाही जीवन्त बनी रहती है। मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं।

कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां*

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से क०सं०वि०–2–1902/ग्यारह–9(14)–97–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश–98, दिनांक 29 अगस्त, 1998 तथा

(2) क०सं०वि०–2–1952/ग्यारह–9(1)–86–उ०प्र०–अधि०–15–48–आदेश–98, दिनांक 8 सितम्बर, 1998, को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3-क की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या–2 में कुछ नहीं है।

---

* छापी नहीं गई।

विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, का विशेष प्रतिवेदन **

डा० सरजीत सिंह डंग—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति का विशेष प्रतिवेदन, जो उ०प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के विषय में है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मद संख्या 4, 5, 6 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998†

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री चन्द्र किशोर—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998†

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

** छापा नहीं गया।

नोट :–† दिनांक 9-10-98 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री हुकुम सिंह —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 ††

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 1998 पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तरांचल की तरह पश्चिमांचल को अलग राज्य गठित किये जाने संबंधी दिये गये संशोधनों को कार्य सूची में सम्मिलित न किये जाने के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री कौकब हमीद—

मान्यवर, कल हमने भी एक अलग राज्य बनाने के लिए संशोधन दिया था।

श्री अध्यक्ष —

वह इसकी परिधि से बाहर है उसके लिए आप अलग से मूल प्रस्ताव लेकर आयें।

श्री कौकब हमीद—

मान्यवर, जब एक स्टेट बन रहा है तो दो स्टेट बन जायेंगे तो क्या हर्ज है?

* श्री समरपाल सिंह—

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर विचार हो रहा है। मान्यवर, जिस तरह से उत्तरांचल के लोग यह चाहते थे कि अलग से एक उत्तरांचल राज्य बने। उसी तरह से हम लोग भी यह चाहते हैं कि पश्चिमांचल राष्ट्र बने। मान्यवर, आज जिस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग इस बात के लिये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री कह रहे हैं कि अलग से राज्य बनाया जाय बुन्देलखंड में लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर गोली तक चली लोगों के ऊपर। वे लोग अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो इसी तरह से पश्चिम के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं।

---

†† दिनांक 12–10–98 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं कि अलग से एक पश्चिमांचल राज्य बने। यह जो हमारा संशोधन है यह करोड़ों लोगों की भावनाओं का संशोधन है। यदि आपका संरक्षण मिले तो हमारे संशोधन का प्रस्ताव भी इसमें शामिल कर लिया जाय। हम वहीं बात कर रहे हैं कि वहां के करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं। आज उनके विकास के लिए पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज जब सदन एक विधेयक पर विचार कर रहा है तो इस पर भी विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष —

इसके लिए आप अलग से मूल प्रस्ताव लेकर आयें। इस विधेयक की परिधि सीमित है। जब आप विधेयक पर विचार रखेंगे तो उस समय अपनी बात रख दीजियेगा।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प एवं दिये गये संशोधनों पर चर्चा एवं मतदान †

*श्री अम्बिका चौधरी —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अनुसरण में राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा विचार प्रकट करने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दिनांक 22 सितम्बर, 1998 को प्रस्तुत संकल्प में संशोधन :–

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए :–

"किन्तु संकल्प में निम्नलिखित प्राविधानों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है,

1—विधेयक के खण्ड (3) में प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित किये जाने वाले जनपदों में ऊधमसिंह नगर जनपद को सम्मिलित न किये जाने और तदनुसार विधेयक में परिभाषित किये जाने के संबंध में,

2—विधेयक के खण्ड–9 में उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य को 80 स्थान और उत्तराखण्ड राज्य को 5 स्थान के स्थान पर क्रमशः 81 तथा 4 कर दिये जाने के संबंध में,

3—विधेयक के खण्ड 12(1) में नियत दिन को उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या 403 और 60 होगी, के स्थान पर क्रमशः 409 तथा 60 रख दिये जाने के संबंध में,

4—विधेयक के खण्ड 14(1) में विधान सभा के 21 सदस्यों के स्थान पर 16 सदस्यों को रख दिये जाने के संबंध में।"

श्री अध्यक्ष —

शेष जो अन्य संशोधन है, वह प्रस्तुत किये हुए मान लिये जायेंगे।

नोट :–† संकल्प दिनांक 22-9-98 की सदन की कार्यवाही में प्रस्तुत किया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

2—श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

[संकल्प के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

किन्तु संकल्प में निम्नलिखित प्राविधानों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है–

संकल्प के पैरा (2) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द ''हरिद्वार'' के पश्चात् तथा प्रयुक्त शब्द ''जनपद'' के पूर्व शब्द ''और ऊधमसिंह नगर'' रख दिया जाने के संबंध में।

* 3—श्री राम जग—

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु संकल्प में निम्नलिखित प्राविधानों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है–

(1) विधेयक के खण्ड (3) में प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित किये जाने वाले जनपदों में ऊधमसिंह नगर जनपद को सम्मिलित न किये जाने, तदनुसार विधेयक में परिणामिक संशोधन कर दिये जाने के संबंध में, (2) उत्तराखण्ड के क्षेत्र में उसके विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए, उस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा रहते हुए वहां स्वायत्तशासी परिषद् का गठन किये जाने, जिसको विकास कार्यों को सम्पन्न करने के लिए पूरे अधिकार के साथ स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार हो, किये जाने के संबंध में।''

4—श्री मुन्ना चौहान—

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :–

''किन्तु संकल्प में निम्नलिखित प्राविधानों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है–

(1) संकल्प के बिन्दु संख्या 2 जो कि उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित किये जाने वाले जनपदों में हरिद्वार जनपद को सम्मिलित न करने के संबंध में है, संकल्प से निकाल दिये जाने के संबंध में,

(2) संकल्प के बिन्दु संख्या 7 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय–

''खण्ड 26 में उत्तरवर्ती'' राज्य उत्तराखण्ड के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित किये जाने तथा जब तक उच्च न्यायालय की स्थापना न हो तभी तक दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के लिए उपबंध कर दिये जाने तथा उत्तरवर्ती उत्तराखण्ड राज्य में पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना होने तक सामान्य उच्च न्यायालय (कामन हाई कोर्ट) की एक पीठ उत्तरांचल राज्य की सीमान्तर्गत स्थापित किये जाने के संबंध में,

(3) संकल्प के बिन्दु संख्या 20 से 24 तक (जो कि जल स्रोत के विकास और प्रबन्ध के लिए इंतजाम से सम्बन्धित है) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय–

विधेयक के भाग 9 के खण्ड 78 से 82 तक निकाल दिये जाने के संबंध में,

(4) उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के भाग 10 में जिसमें कि उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य में ''अल्प संख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के गठन के निमित उपबंध किए जाने तथा नया खण्ड 93 जोड़ दिए जाने के संबंध में तथा उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जन्तु बिहार, बायो स्पीयर रिजर्व एवं आरक्षित वन क्षेत्रों जिनका संरक्षण एवं संवर्धन राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में आवश्यक है और जिनके कारण समीपवर्ती आबादी की आर्थिक गतिविधियां बाधित हैं, वे एवज में समीपवर्ती क्षेत्रों में ही विकास एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित धनराशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराये जाने के विषय में खण्ड 94 रख दिये जाने के सम्बन्ध में।''

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

5—डा० अशोक बाजपेयी—

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय–

"किन्तु संकल्प में निम्नलिखित प्राविधानों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है–

(1) विधेयक के खण्ड 3 में प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित किये जाने वाले जनपदों में हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर को सम्मिलित न किये जाने और तद्नुसार विधेयक में परिणामिक संशोधन कर दिये जाने के सम्बन्ध में,

(2) विधेयक के खण्ड 26 में यह जोड़ दिया जाय कि जब तक उत्तरांचल के लिए अलग उच्च न्यायालय की स्थापना न हो जाय तब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के क्षेत्राधिकार में उत्तरांचल को रख दिये जाने के सम्बन्ध में।" ।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, एक शंका रख रहा हूँ, केवल जानकारी के लिए जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, जो वहां से विधेयक आया है तो विधेयक के रूप में तो कोई संशोधन आपका नहीं आया, केवल विचार करना यह है क्या संशोधन में संशोधन ला रहे हैं या जो विधेयक आया है उसमें संशोधन करने की बात है।

श्री अध्यक्ष—

शासन की ओर से विधेयक में संशोधन करते हुए संकल्प प्रस्तुत किया गया है अब उनका यह कहना है कि उसमें इतना और जोड़ दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, आगे भी आप देखेंगे, धाराओं का जो उल्लेख है इन धाराओं में संशोधन पहले प्रस्तावित है, मेरे कहने का आशय यह है कि इससे ओवरलैपिंग होगी। हमने एक संशोधन प्रस्तावित किया है, संकल्प रखा है, केवल जोड़ने मात्र से तो कोई बात नहीं है, अगर केवल जोड़ने मात्र से इनका उद्देश्य पूरा होता है तो कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने तकनीकी बात रखी है, जब आप चर्चा करायेंगे तो उनकी शंकाओं का स्वतः ही निराकरण हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

अनुच्छेद–3 के अन्तर्गत विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, निर्दिष्ट किया गया है इस सदन की राय जानने के लिए शासन ने उसमें संकल्प प्रस्तुत किया है। आपका संशोधन यह है कि संकल्प में भी वह बात होनी चाहिए। यह आपत्ति तकनीकी है।

श्री अम्बिका चौधरी—

मान्यवर, मैं अनुरोध करता हूँ कि संशोधन पर राय रखने के लिए कृपया अम्बरीष कुमार जी को मौका दे दें।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, इस उत्तरांचल राज्य के गठन की बात सम्भवतः इसलिए हुई है कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है वहां के लोगों की जो विकास की आकांक्षाएं थीं वह पूरी नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष—

मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि जो इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहें वे कृपया अपना नाम भेज दें ताकि उनको बुलाने में सुविधा हो सके।

श्री अम्बरीष कुमार—

मान्यवर, पिछले 50 साल के काल में वहां के लोगों को यह महसूस हुआ कि उनकी जो विकास की आवश्यकताएं हैं, वह पूरी नहीं हो पा रही हैं इसलिए पृथक राज्य की मांग की जो अवधारणा है वह उसका मूल है। मान्यवर, चाहे हमने आज पर्वतीय क्षेत्र में कितना ही विकास किया हो, कितनी भी सड़कें बनाई हो, कितने भी उद्योग आदि लगाये हों अन्य सुविधाएं जो लोगों को दी जा सकती हैं दी हों लेकिन जो परस्पर अविश्वास की भावना मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की बीच चली आ रही थी उस भावना को हम 50 सालों में समाप्त नहीं कर पाये हैं जिसकी परिणति यह हुई कि एक लम्बे आन्दोलन के बाद एक आम राय उत्तर प्रदेश में बनी कि पर्वतीय क्षेत्र के भू-भागों को सम्मिलित करते हुए एक अलग उत्तरांचल राज्य की स्थापना की जाय।

जो हमारी पहले की सरकारें रहीं उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पारित किये और केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुति की। उसी के परिपेक्ष्य में यह विधेयक के रूप में आज हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है। मान्यवर, कल एक संकल्प प्रस्तुत हुआ प्रदेश सरकार के माध्यम से, जिसमें जो केन्द्र सरकार से विधेयक आया है उसमें कुछ संशोधनों की बात कही गयी है। उसमें सबसे पहले यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने जो प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य की बात कही है उसमें जिन जनपदों को शामिल किया गया है उसमें जनपद हरिद्वार शामिल न किया जाय। मैं हरिद्वार के निवासियों की तरफ से विपक्ष के सभी दलों को और खासकर सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित सहयोगी दलों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हरिद्वार के लोगों की भावना का सम्मान करते हुए एक आम राय बनाई जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा और यह संकल्प संशोधन के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा।

मान्यवर, कल यहां पर प्रदर्शन भी हुआ जो ऊधम सिंह नगर के लोग हैं उनकी ओर से कि ऊधमसिंह नगर को भी उत्तरांचल राज्य से पृथक रखा जाय।

मान्यवर, अलग राज्यों के गठन के सम्बन्ध में समय-समय पर आन्दोलन हुए हैं और देश में समस्याएं पैदा हुई हैं। राज्यों का पुनर्गठन हुआ है और उस पुनर्गठन के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोग भी बने हैं। 1948 में एक दर कमीशन बनाया गया जिसमें यह बात साफ तौर पर कही गयी कि जब हम किसी नये राज्य का गठन करते हैं तो उसमें यह देखना रहता है कि प्रशासनिक इकाई का गठन ऐसा हो जिससे प्रशासन में सुविधा हो लेकिन साथ ही साथ उसमें यह भी बात कही गयी है कि वहां के जो लोग हैं उनकी इच्छा, आंकाक्षा की पूर्ति के लिए नये राज्य का गठन होना चाहिए और इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया था कि भाषाई और नस्ली समानता हो, एकता बनी रहे, उसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

[समय 12.00 बजे]

(इस समय 12.00 बजे अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुये।)

साथ ही साथ जो भविष्य में विकास की संभावनायें हैं उनकी कितनी क्षमता राज्य में हो सकती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो ऐतिहासिक परम्परायें हैं, जो भाषा की बात है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह कुछ ऐसे मापदण्ड हैं जो कमीशन ने निर्धारित किये थे और कहा था

कि यदि कोई नया राज्य बन रहा है और उसके फलस्वरूप वहां आपस में लोगों में मनमुटाव, तनाव रहता है और वे समरसता के साथ नये राज्य में शामिल नहीं होते हैं तो ऐसे राज्य के निर्माण के निर्णय के रास्ते में बाधायें आयेंगी।

इसके साथ ही साथ जो देश के प्रति समर्पित अखंडता की भावना है उस राष्ट्रीय भावना में ह्रास होता है। इसलिए ऐसा जो तनाव का वातावरण है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि 1955 और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था और उसने जो सिद्धान्त तय किये उसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब नये राज्य का गठन करें तो जो लोगों की इच्छायें हैं, जिन क्षेत्रों को शामिल कर रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र के सदस्य श्री इन्द्रजीत जी ने उत्तर प्रदेश के विभाजन के बारे में आयोग की सिफारिशों की आलोचना करते हुए कहा था कि पुनर्गठन आयोग ने जर्मनी, अमेरिका और रुस की बात किया तो वह देश प्रजातांत्रिक नहीं थे बल्कि वहां डंडे के बल पर विभाजन हुआ।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से और इस सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि ऊधमसिंह नगर के साथ यह व्यवहार हुआ और डंडे के बल पर उत्तरांचल में उसे शामिल किया गया तो प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों का हनन होगा और इससे उत्तरांचल राज्य में नफरत के बीज बोयेंगे जो नये राज्य की प्रगति में बाधा पैदा करेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को अलग पृथक राज्य की मांग करने का अधिकार है और आप उनकी इच्छाओं के सम्मान की दोहाई देते हैं और केन्द्र सरकार पृथक उत्तरांचल राज्य बनाने की बात करती है और कहती है कि नये उत्तरांचल राज्य का गठन पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए कर रहे हैं, तो यह विरोधी बातें कैसे हैं कि एक ओर नये राज्य का गठन कर रहे हैं और दूसरा तरफ जो क्षेत्र उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, ऊधमसिंह नगर के लोगों को आप गोलबन्द करते हैं और वहां के लोगों की इच्छाओं को रौंदने का काम आप कर रहे हैं, तो इस प्रकार प्रजातंत्र नहीं चलने वाला है। इसलिए इस सरकार और इस सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग उत्तरांचल के समर्थक हैं, ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल राज्य में शामिल हो उनका कहना है, जब विधान सभा ने प्रस्ताव पास किया था तो उस समय ऊधमसिंह नगर नैनीताल जिले में था, नैनीताल का वह हिस्सा था इसलिए उसको अलग नहीं करना चाहिए।

ब्रिटिश सरकार ने ऊधमसिंह नगर 1901 में नैनीताल में इसलिए शामिल किया था चूंकि उस समय प्रशासकीय कठिनाइयां थीं। लेकिन इसके पहले ऊधमसिंह नगर में सम्मिलित भाग रुहेलखण्ड, मुरादाबाद के भाग थे। इस क्षेत्र में आज भी पहाड़ क्षेत्र के कानून लागू नहीं होते हैं। यह तर्क देते हुए कहना है कि ऊधमसिंह नगर नैनीताल का हिस्सा नहीं है और इस आधार पर उत्तरांचल राज्य में शामिल करने का औचित्य नहीं है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि विकास की दृष्टि से देखें तो पर्वतीय क्षेत्र में विकास नहीं हुआ इसलिए पृथक राज्य हम बनाना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्र के मुकाबले उत्तर प्रदेश में नोएडा जनपद के बाद ऐसा जनपद है जिसकी आय दो नम्बर पर है और इस प्रकार ऊधमसिंह नगर सबसे उन्नत जिला है।

तो आज यह हमारे प्रदेश में समृद्धतम जिला है, अब यह दोहरी मानसिकता चलने वाली नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हरियाणा और पंजाब के बंटवारे पर कालका के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 540 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में नहीं माने जायेंगे और इसलिए कालका हरियाणा को वापस दिया गया था। इसी प्रकार उधमसिंह नगर भी निर्धारित सिद्धान्त से कम ऊंचाई पर है, इसलिए भी मैं निवेदन

करना चाहता हूँ कि सरकार अपने संकल्प में संशोधन करे और हरिद्वार जनपद के साथ ही ऊधमसिंह नगर को भी नव प्रस्तावित उत्तरांचल प्रदेश से अलग करने का काम करें।

मान्यवर, एक बात और कही जाती है कि वहां पर 10 प्रतिशत लोग सिख और 10 प्रतिशत पूरब के बंगाली लोग ही इस आन्दोलन को चला रहे हैं, इसमें वहां के मूल निवासी शामिल नहीं हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वहां 20 लाख की आबादी है जिसमें 4 लाख लोग पिछड़े हुये दलित हैं, 4 लाख पंजाबी आबादी है, 10 प्रतिशत बंगाली आबादी है और 10 प्रतिशत थारू और बुक्सा जनजाति के लोग हैं। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या हालत पहाड़ में होती है, इसका मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में गढ़वाल में भूस्खलन हुआ और सैकड़ों लोग मारे गये, वहां के स्वयंसेवी संगठनों ने लोगों के दाहकर्म करने का काम किया।

श्री अधिष्ठाता—

इस समय मेरे पास 30 माननीय सदस्यों की सूची आ चुकी है। कृपया समय का थोड़ा ध्यान रखे और 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री के० सी० सिंह "बाबा"—

मान्यवर, मैं ऊधमसिंह नगर का अकेला विधायक हूँ, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अम्बरीष कुमार—

तो मान्यवर, रुद्रप्रयाग में घटना घटित हुई, सैकड़ों लोग त्रासदी के फलस्वरूप मारे गये। दलित और पिछड़े लोगों की पहाड़ में क्या हालत होती है, इसका मैं चित्रण करना चाहता हूँ। जो स्वयंसेवी संगठन थे, उनके सामने जब दलितों की लाशें आईं, जो 7 दिनों से सड़ रही थीं, जिनके ऊपर से पानी बह रहा था, जिससे पानी भी प्रदूषित हो रहा था, उन स्वयंसेवी संगठनों ने यह कहकर कि यह दलितों की लाशें हैं, उठाने से मना कर दिया, इन्सानियत की इससे गिरी हुई मिसाल कहीं और कोई हो नहीं सकती, उसके बाद जिलाधिकारी का बयान आया और दलितों की उन लाशों को पुलिस से तथा आई० टी० बी० पी० से उठवाया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि ऊधमसिंह नगर में 4 लाख दलित हैं, वह जानता है कि उत्तरांचल राज्य में उसकी क्या हालत होने वाली है, इसलिए भी वह उसमें शामिल नहीं होना चाहते। ऊधमसिंह नगर की जमीन, जिस पर कभी केवल साँप रहते थे, पानी भरा हुआ था, उसको अपनी मेहनत से वहां के लोगों ने समृद्ध बनाया है, यह इलाका मैदान का इलाका है।

यह ऊधमसिंह नगर उस साहसी ऊधमसिंह के नाम से है, जिसने मात्र 13 वर्ष की आयु में जलियां वाला बाग का नरसंहार देखा था, बर्बर अत्याचार देखा था और 21 वर्ष बाद उस नरसंहार का बदला लिया था। मैं कहना चाहता हूँ कि संख्या बल के आधार पर, अपनी ताकत के बल पर ऊधमसिंह नगर को आप जबरन उत्तरांचल में शामिल कर देंगे लेकिन मैं महाभारत की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, जब दुर्योधन ने श्रीकृष्ण से कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। इस पर महाभारत हुआ और पूरे देश को उसका नुकसान उठाना पड़ा था। ऊधमसिंह नगर में वहां के लोगों की जी-जान जुड़ी हुई है वह अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करेंगे। वह अपने स्वतंत्रता के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। अगर सरकार ने ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल से अलग करने की घोषणा नहीं की तो समाजवादी पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वक्त रहते सरकार नहीं चेती तो जो आन्दोलन होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री भारत सिंह रावत—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विचार प्रकट करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल को निर्दिष्ट किया गया है, पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी और उसके मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूँ कि पिछली बार उन्होंने इस प्रस्ताव को 12 अगस्त, 1991 को सदन में रखा था और प्रस्ताव को पास कराया था और आज वही उस प्रस्ताव को अंतिम रूप से पास कराने जा रहे हैं, मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की भावनायें उत्तरांचल के साथ सदैव रही हैं और उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं की आज पूर्ति हो रही है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल की मांग नयी नहीं है, इसकी मांग सन् 1952 से होती रही है। 1955–56 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उस समय भी अलग हिल स्टेट की बात रखी गई थी। उत्तरांचल का इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है और इसकी विषम भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं और इसी कारण एक अलग प्रदेश की मांग की जाती रही है। हिमालय की तलहटी में बसे कई प्रदेशों कश्मीर से अरुणांचल तक को देखकर यह मांग की जाती रही है कि उत्तरांचल प्रदेश बनाया जाये। मान्यवर आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, जब कि उत्तरांचल की मांग पूरी हुई है और इस के लिए मैं माननीय अटल बिहारी जी की केन्द्र सरकार एवं कल्याण सिंह जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, अभी मेरे पूर्व वक्ता माननीय अम्बरीष जी ने कुछ बातें कहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार को इसकी सीमा में रखा जाये। मैं भारत सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उसने हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल में रखा है। मान्यवर, जब कोई व्यक्ति चारों धाम करने जाता है, तो हरिद्वार चारों धामों का द्वार माना जाता है। गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने के लिए हरिद्वार से ही जाना होता है, इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है, लेकिन अम्बरीष कुमार जी इसका विरोध कर रहे हैं जो कत्तई उचित नहीं। वह राजनीति कर रहे हैं। ऊधमसिंह नगर के बारे में, मैं भाई अम्बरीष जी से कहना चाहता हूँ कि 322 प्रधानों में से ऊधमसिंह नगर के 270 प्रधानों ने हमारा समर्थन दिया है, प्रस्ताव लिख कर दिया है। वहां के 7 ब्लाकों में से 6 ब्लाक प्रमुखों ने उत्तरांचल के समर्थन में लिख कर दिया है। वहां के तीन विधायक है वह हमारे समर्थन में है। वहां की जनता से चुनकर जो जनप्रतिनिधि आये हैं जिनको जनता का समर्थन प्राप्त है वह इस का समर्थन कर रहे हैं। यह कहना कि वहां की जनता अलग राज्य में मिलना नहीं चाहती है यह गलत है। उत्तरांचल में सिखों का पवित्र तीर्थस्थान हेमकुण्ड साहब और नानकमत्ता है।

यह सिख भाइयों के सबसे बड़े पवित्र स्थल हैं। इस प्रकार हमारे सिख भाई उत्तरांचल से जुड़े हुये हैं। कुछ गिने चुने सिक्ख जिनका निहित स्वार्थ है वह इसका विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर चंद राजाओं के अधीन था जो यहां के पहाड़ी मूल के थारू एवम बोक्सा जन-जातियों के शासक थे। उनकी जमीनों पर पंजाब व बंगाल के शरणार्थियों को बसाया गया। हरिद्वार को प्रस्तावित विधेयक में सम्मिलित किया गया है यह केन्द्र सरकार ने समझबूझ कर ही किया है,

इस संकल्प में भले ही हमारी सरकार की कुछ विवशता रही अन्यथा वह भी चाहते हैं कि हरिद्वार उत्तरांचल में ही रहे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री भारत सिंह रावत—

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ इस संकल्प में परिसम्पत्तियों के संबंध में खण्ड 62, 63 व 78 में अचल संपत्तियों को यथावत बनाये रखा जाय वहां जो बिजली आदि जो पैदा होगी उसके बटवारे की व्यवस्था उचित नहीं है। जब दो भाइयों में बटवारा होता है तो दूसरे भाई का छोटे भाई की संपत्ति पर दखल नहीं रहता है। इससे तो यह उसे छाया प्रदेश या एक उपनिवेश बनाना चाहते है। जब हमारा अलग राज्य बन रहा है उसकी संपत्ति पर कोई शर्त लगाना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री भारत सिंह रावत—

पर्वतीय क्षेत्र के लोग वहां के जल एवं विद्युत संसाधनों में किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ कि किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठे।

श्री भारत सिंह रावत—

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां की व्यवस्था ठीक करने के लिए जिस प्रकार जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमांचल प्रदेश तथा अन्य पर्वतीय प्रदेशों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की गयी है उसी तरह से उत्तरांचल के लिए भी 10 हजार करोड़ रुपयों का आर्थिक पैकेज किया जाय । उसको वह सभी सुविधायें दी जाय जो इन राज्यों को मिली हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठे।

श्री भारत सिंह रावत—

एक और बात मैं हाईकोर्ट की खण्डपीठ के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे यहां हाई कोर्ट की खण्डपीठ देहरादून में हो और इसके लिए अलग हाई कोर्ट की व्यवस्था इसमें की जाय। इस राज्य में हरिद्वार को भी सम्मिलित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री अम्बिका चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरी प्रार्थना है कि जिन माननीय सदस्यों के संशोधन पर हस्ताक्षर हैं, उनको प्राथमिकता दे दें । सूची में मैंने सैनी जी का नाम भेजा है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने विश्वनाथ जी को बुला लिया है, मैं अवसर दूंगा।

* श्री विश्वनाथ—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर दिया। आज उत्तर प्रदेश के 2 खण्ड होने जा रहे हैं। जब किसी प्रदेश का या घर का बंटवारा होता है तो दर्द और पीड़ा होना स्वाभाविक है। यह बंटवारा अवश्यंभावी है। पहाड़ के लोगों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है इसके लिए पहाड़ के लोगों को मैं बधाई दूंगा कि उनको कामयाबी मिली।

प्रस्ताव हमारी सरकार ने भी भेजा था। आज यह प्रयास फलीभूत हुआ है और कामयाबी मिली है इसके लिये मैं आपके माध्यम से पहाड़ के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, प्रशासन की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से जब प्रदेश का या परिवार का या जिले का बंटवारा होता है तो कुछ विचारणीय मुद्दे हुआ करते हैं। लोगों का रहन सहन, उनकी संस्कृति उनकी भेषभूषा और उनकी भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जाता है। यह जो ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल में शामिल किया गया है न तो वह न्याय संगत है और न लोकतांत्रिक है।

लोकतंत्र में लोक इच्छा सर्वोपरि हुआ करती है जैसे आपने हरिद्वार को बाहर किया है और उसको उत्तरांचल में नहीं रखा है उसी तरह से आप ऊधमसिंह नगर के लिए विचार करें और वहां की संस्कृति, भाषा और रहन-सहन को और भौगोलिक स्थिति को देखते हुये ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल से अलग रखें। वहां के लोगों की इच्छाओं की बलि न दें। अगर आपने ऐसा बंटवारा किया कि जहां दो लोक संस्कृतियां हैं, जीवन स्तर अलग है, दो भाषाओं के लोग हैं तो प्रशासनिक दृष्टि से अनेक समस्यायें पैदा होंगी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ऊधमसिंह नगर की बलि देने का काम आप न करें। हमें ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे वहां के लोगों को न्याय मिले। मैं आपके माध्यम से विरोधी दल की ओर से अनुरोध करता हूँ कि ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल से अलग करने का काम करें नहीं तो बड़ी विकट स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ऊधमसिंह नगर की जनता आन्दोलित होगी और लोग जीने मरने के लिये तैयार हो जायेंगे। ऐसा बंटवारा करने से कोई लाभ नहीं होगा। उत्तरांचल बनाते समय वहां के जल स्रोत, विद्युत और वहां की संपदा का ऐसा बंटवारा करना चाहिए जिससे दोनों राज्यों को लाभ हो ऐसा प्रस्ताव करना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के संबंध अच्छे बने रहें। इन शब्दों के साथ मैं आपको साधुवाद देता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन् 1998 पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर मैने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उस पर बल देने के लिए आपकी अनुमति से खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे इस पर बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन् 1998 इस बात का द्योतक है कि आज की तारीख में केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकार सिद्धान्ततः इस बात को कबूल करती है कि विशाल उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होना चाहिए। अब इस बात में कोई सन्देह नहीं है क्योंकि इस विधेयक की जो मूल भावना है वह इस विशाल राज्य के पुनर्गठन की है। विगत दिनों में भी अनेक महापुरुषों की यह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कल्पना और अवधारणा रही हैं कि छोटे राज्यों का निर्माण विकास के लिए आवश्यक है। कम जनसंख्या वाले जो राज्य हमारे देश के अन्दर हैं वह पिछले 50–51 वर्षों में, स्वाधीनता के बाद प्रगति की दृष्टि से औद्योगिक, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। छोटे राज्य उन राज्यों की तुलना में ज्यादा तरक्की किये हैं जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की कोटि में आते हैं।

माननीय अधिष्ठाता जी, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की आबादी तकरीबन 16 करोड़ हो गयी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है, जो महामहिम राष्ट्रपति जी ने विधेयक विधान मण्डल की राय और परामर्श जानने के लिए भेजा है से सम्बन्धित है, उस मूल विधेयक पर 25–26 संशोधनों के साथ सरकार ने यह संकल्प इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया है। हमारे कुछ मित्रों की राय आयी और मैं भी इस राय का हूँ कि प्रस्तावित उत्तरांचल राज्य से जो हरिद्वार को अलग करने का संशोधन राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है, हरिद्वार के साथ उसे ऊधमसिंह नगर जनपद को भी रखना चाहिए था क्योंकि इन दोनों जनपदों की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थिति पहाड़ से भिन्न है इसलिए इन दोनों जनपदों को उत्तरांचल में ढकेलना उचित नहीं हैं। आज उत्तरांचल की आबादी 59 लाख है और उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तरांचल बनाने का प्रस्ताव पास कराने जा रही है। जबकि पूर्वी उत्तर की 6 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या 28–29 जनपदों में रहती है तो श्रीमन्, मेरा कहना है कि इस पुनर्गठन विधेयक की जो भावना है, उसके मुताबिक राज्य सरकार को एकमुश्त पूरे उत्तर प्रदेश को 5 भागों में पुनर्गठित करने का संकल्प इस सम्मानित सदन से पारित करा करके महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1962–67 के समय योजना आयोग ने नियोजन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया था। उत्तराखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड और मध्य उत्तर प्रदेश। सबसे बुरी स्थिति आज लगभग 7 करोड़ जनसंख्या वाले पूर्वांचल की है। जहां 29 जनपद हैं। विगत दिनों पूर्वांचल के लोगों को भ्रमित करने के लिए लालीपाप, पूर्वांचल विकास निधि बनाकर दे दिया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में जहां 677 करोड़ रुपये 59 लाख आबादी वाले उत्तरांचल की प्रगति के लिए दिए गए तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तरांचल के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां लगभग 7 करोड़ आदमी रहते हैं, जहां 29 जनपद हैं, पूर्वांचल विकास निधि में पिछले वर्ष 92 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था इसे बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये कर देने पर प्रदेश सरकार नगाड़ा बजाने का काम कर रही है, कि हमने पूर्वांचल की तरक्की के लिए पूर्वांचल विकास निधि में बढ़ोत्तरी कर दी।

आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ वित्तीय नाइंसाफी कर रही है। इस बात का आज तक की सरकारों ने ख्याल नहीं रखा कि प्रदेश में क्षेत्रीय विषमता न हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 88 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। 1977 की जनता पार्टी के शासन काल को छोड़कर पूर्वांचल के गांवों में रहने वाली जनता के ऊपर प्रति व्यक्ति चार आना प्रति साल के हिसाब से सरकार खर्च कर रही हैं। जो जनता शहरों में रहती है वहां के लिए प्रति व्यक्ति प्रति साल 4 रुपये खर्च अब तक की सरकारें कर रही हैं। आज यह सरकार संतुलित विकास की बात करती हैं। इस प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से इसे 5 भागों में पुनर्गठन करने की कल्पना जो की गई थी इसे स्वीकारते हुए, यह सही वक्त है और राज्य पुनर्गठन विधेयक की जो भावना है उस भावना के साथ, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश को 5 भागों में विभक्त करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित करे। जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय इस प्रदेश की जितनी आबादी थी आज पूर्वांचल की आबादी उससे भी अधिक है। आज हमें सर्वसम्मत, राजीखुशी के साथ इस आशय का प्रस्ताव इस असेम्बली में पारित करना चाहिए। इसे समग्र विकास की दृष्टि से देखना

चाहिए। श्रीमन् पंजाब की आबादी आज दो करोड़ 2 लाख 81 हजार है, और वहां औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक आय है 12, 219 रुपये। हरियाणा की आबादी एक करोड़ 64 लाख है और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 10,359 रुपये है। केरल की आबादी 2 करोड़ 96 लाख है वहां प्रति व्यक्ति आय है 5,065 रुपये जबकि उत्तर प्रदेश की स्थिति आठवीं पंचवर्षीय योजना के समापन के बाद यहां का विकास दर 2.0 प्रतिशत पर आ गया है जबकि राष्ट्रीय विकास दर 6 प्रतिशत है। इससे ज्यादा आर्थिक बदहाली का स्वरूप और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश की आबादी 16 करोड़ और यहां वार्षिक आय प्रति व्यक्ति 4,487 रुपये है। पूर्वांचल की आबादी 6 करोड़ है और प्रति व्यक्ति वार्षिक आय तीन हजार रुपये से कम है। यदि वर्तमान राज्य सरकार के हृदय में जरा सी भी उदारता है और समुचित तथा संतुलित विकास चाहती है तो राज्य के पुनर्गठन विधेयक से सम्बन्धित जो संकल्प इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसके समग्र भाव को जहां तक मैं समझता हूँ कि आज यह उपयुक्त समय है, ठीक समय पर एक कदम ही उठाना प्रर्याप्त होता है, केवल उत्तरांचल ही नहीं अपितु पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुन्देलखण्ड का भी निर्माण करें तभी प्रदेश के 16 करोड़ लोगों के साथ इन्साफ होगा । (धन्यवाद) ।

* श्री लाखीराम जोशी—

मान्यवर, मैं उत्तरांचल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। काफी लम्बे समय से उत्तरांचल की मांग उठ रही थी और इसके लिए वहां के लोगों ने काफी बलिदान भी दिया और परेशानियां भी उठायीं। आज वह समय आ गया है कि उत्तरांचल के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तरांचल राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए उत्तरांचल राज्य की जनता की तरफ से माननीय कल्याण सिंह जी को तथा भारत सरकार को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ।

उत्तरांचल राज्य की मांग की मुख्य कारण वहां की भौगोलिक वातावरण है और आर्थिक विषमताएं हैं तथा सामाजिक विषमतायें हैं। उसी को लेकर यह मांग की जाती रही है। इसी भावना को समझते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा ने 3 बार यहां से प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा। इसी दौरान काफी शान्तिपूर्ण आन्दोलन भी हुए परन्तु पहाड़ की जनता के इन शान्तिपूर्ण आन्दोलनों को कुचलने के लिए [× × ×] वहां के लोगों के खिलाफ अपशब्द कहे, इतिहास इसके लिए उन्हें माफ नहीं करेगा। आज भी कुछ इसी प्रकार की भूल वह कर रहे हैं। जब [× × ×] की सरकार थी तो उन्होंने विधान सभा में उत्तरांचल का प्रस्ताव पास कराया था और उस समय ऊधमसिंह नगर जो जनपद नैनीताल में था, अलग जिला नहीं था, उसे प्रस्ताव में रखा था। हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वही समाजवादी पार्टी आज इसका विरोध कर रही है। रणबाकुरों की भूमि जिन्होंने देश की रक्षा हमेशा की है, दुर्भावना से ग्रसित होकर [× × ×] ने अपशब्द कहे। आज भी उससे इन्होंने सीख नहीं ली। उसका परिणाम यह है कि [× × X] करते हैं उत्तरांचल के लोग [× × ×] को देखना नहीं चाहते, [× × ×] सुनना नहीं चाहते और मान्यवर, आज वही पहाड़ के लोगों को...

(समाजवादी पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री लाखी राम जोशी—

मान्यवर, हम जो हकीकत है, वह बता रहे हैं। यह लोग सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट—

माननीय अधिष्ठाता जी, एक मिनट हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है सुन लें।

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)—

मान्यवर, यह कोई तरीका नहीं है। यह लोग हर बात पर खड़े हो जाते हैं कभी व्यवस्था का प्रश्न शुरू कर देते हैं कभी कुछ आखिर एक तरीका होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें। जोशी जी आप भी बैठ जायं। जो मैं व्यवस्था दे रहा हूँ उसको सुन लें उसके बाद अपनी बात कहें। आप में से कोई माननीय समाजवादी पार्टी के विधायक एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे मैं सुन नहीं पाया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप में से कोई एक व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे कह लें।

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट—

मान्यवर, अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे तो बार-बार माननीय मुलायम सिंह जी का नाम ले रहे थे।

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम लेकर उन पर आक्षेप लगा रहे हैं और नाहक ऐसी बातें ला रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कार्यवाही दिखवा लें उसमें इस तरह की बातें जो उनके लिए कही गई हैं उनको कार्यवाही से निकलवा लें चूंकि वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं। उनका बार-बार नाम लेना व उन पर आक्षेप लगाना ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् जो शब्द संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं, प्रतिकूल हैं, निकाल दूंगा। जोशी जी आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री लाखी राम जोशी—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि आज भी कुछ ऐसे राजनैतिक दल हैं जो हर समय अपना रंग बदलते रहते हैं और आज उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश की जनता को आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मैं इस सदन के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज ऐसे लोगों की जो घटिया सोच है, घटिया राजनीति है, लोगों को आपस में लड़ाने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा।

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर के बारे में स० पा० पहले प्रस्ताव लाई और आज उसका विरोध कर रहे हैं उसको हटाने की बात कर रहे हैं। आज इनकी पार्टी में एक फूट पड़ गई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुन्ना चौहान जी उनका विरोध कर रहे हैं। इनकी पार्टी में आपस में फूट पड़ गई है यह उत्तरांचल में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, इनका यह प्रयास कभी सफल नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

श्री लाखीराम जोशी—

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग राज्य का विरोध करते हैं।

(व्यवधान)

इनकी जो नीतियां हैं इनकी परिभाषा है यह सबके सामने उजागर हो गई हैं।

श्री अधिष्ठाता—

समाप्त करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लाखी राम जोशी—

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता—

अंकित नहीं किया जा रहा है। मैं सभी माननीय सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूँ अगर अनुशासन समय का नहीं रखेंगे अपने को सदन के ऊपर लादने की चेष्टा करेंगे तो कार्यवाही ठीक से नहीं चल पाएगी। मैं आपको पर्याप्त समय दे चुका हूँ।

(व्यवधान)

श्री लाखीराम जोशी —

इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरिद्वार कुंभ मेला क्षेत्र और ऊधमसिंह नगर को उत्तराखण्ड में शामिल करने की पुरजोर मांग करता हूँ।

(व्यवधान)

श्री रामजग —

मान्यवर पूरे उत्तर प्रदेश में आम बहस छिड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के बंटवारे की, खंड-विखंड करने की, मान्यवर, मैं किसी भी छोटे राज्य का पूर्ण विरोधी हूँ। संविधान में व्यवस्था है राज्य का निर्माण भाषा के राज्य में हुआ। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल है, उत्तरांचल हो, पिछड़ेपन के आधार पर बंटवारा हो रहा है। पिछड़ापन किन कारणों से हैं। कहीं उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं आदि। मान्यवर, मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड को अलग करें। जो उत्तराखण्ड पिछड़ा हो गया है यह अलग हो गया उसका विकास नहीं कर सकते हैं सरकार की मान्यता है, जो केन्द्र में सरकार कार्य कर रही है वह छोटे प्रदेशों को बनाकर केन्द्र शासित प्रदेश बनाकर, उसकी मंशा है कि उत्तराखण्ड दिल्ली की सरकार से भीख मांगे यह मंशा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड बना है मेरा कहना है कि उत्तराखण्ड राज्य बनाने के बजाए स्वयंशासी विकास परिषद् की स्थापना हो। पूर्वांचल की बात उठ रही है कि पूर्वांचल पिछड़ रहा है तो उसके लिये पूर्वांचल विकास

नोट-[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

परिषद् की स्थापना होनी चाहिए। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश को बांटने का काम यह सरकार कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता के भावनाओं के विपरीत जो प्रदेश में आज महंगाई, तबाही, बेरोजगारी और जो दोहरी शिक्षा नीति से अशिक्षा का माहौल है जिससे जनता पिछड़ रही है, आज जिस प्रकार से प्रदेश में भय का वातावरण व्याप्त है इससे ध्यान हटाने के लिए प्रदेश का बंटवारा करके जनता का ध्यान हटाना चाहती है।

दूसरा हमारा संशोधन यह है कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग न किया जाय। अगर आप वहां के पिछड़ेपन को हटाना चाहते हैं तो वहां पर स्वायत्तशासी विकास परिषद् का गठन कर दें। तीसरी बात यह है कि अगर आप अलग करना ही चाहते हैं तो हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जो कि मैदानी क्षेत्र हैं और वहां की जनता उत्तरांचल में जाना भी नहीं चाहती है और वहां पर बड़े-बड़े आंदोलन हो रहे हैं उसे अलग रखा जाय। मुख्यमंत्री जी ने संशोधन पेश करते समय हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग करने का प्रस्ताव रखा है लेकिन ऊधमसिंह नगर में जनता सड़कों पर उतर आयी है और वहां पर जगह-जगह पर आंदोलन हो रहे हैं, वह उत्तरांचल में जाना नहीं चाहती है तो बगैर उनकी राय लिये उनकी भावनाओं के विपरीत उनको उत्तरांचल में शामिल न किया जाय। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा।

पूर्वी भारत में जो छोटे-छोटे राज्य बने हुए हैं जैसे मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा उनकी क्या हालत है? वह कितने पिछड़े हुए हैं। सरकार की नियत उत्तर प्रदेश की जनता के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नहीं, बेहतर जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, किसानों के पक्ष में अच्छी नीति बनाने के लिए नहीं है। वह जनता के बीच में असंतोष पैदा कर रही है। अगर वह इस प्रदेश को उत्तरांचल में बांटेगे फिर पूर्वांचल में बांटेगे तो यह जो उत्तर प्रदेश की सरकार और केन्द्र की सरकार कर रही है वह संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, उसकी भावनाओं के विपरीत काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश की जनता का हृदय बांटा जा रहा है आज उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग किया जा रहा है। उसके समर्थक भाई आज उसके पक्ष में है लेकिन यह उनके हित में नहीं है। अभी हमारे एक साथी ने मार्क्सवादी पार्टी का नाम लिया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में गोरखालैण्ड आंदोलन शुरु हुआ और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसको हवा दी लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने कहा कि हम गोरखालैण्ड नहीं बनने देंगे और उसके विकास के लिए हम स्वायत्तशासी विकास परिषद् की स्थापना करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री जोशी जी आप बैठ जायें मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम जग–

मान्यवर, लगता है कि इन्होंने मार्क्सवादी पार्टी का इतिहास नहीं पढ़ा है, पश्चिम बंगाल का इतिहास नहीं पढ़ा है, वामपंथियों का इतिहास नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो यह बात न करते। अगर आप उत्तरांचल को अलग करेंगे तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि उत्तरांचल को अलग राज्य का दर्जा न दिया जाय। अगर आप उसके पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं तो स्वायत्तशासी विकास परिषद् की स्थापना की जाय। इसके साथ ही साथ पूरा ध्यान उन हिस्सों में दिया जाय जहां से आवाज उठ रही है। जैसे पूर्वांचल से आवाज उठ रही है तो वहां पर विकास परिषद् की स्थापना की जाय।

आपने हरिद्वार की जनता की भावनाओं को समझ लिया और संकल्प में संशोधन कर दिया। उसी प्रकार ऊधमसिंह नगर की जनता की भावनाओं को समझते हुए उसे उत्तराखण्ड में शामिल न करें।

* श्री ज्ञान चंद्र–

मान्यवर, आपने मुझे उत्तरांचल के पक्ष में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में सरकार है इसके और जो सहयोगी दल हैं तथा उत्तराखण्ड की जनभावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी उत्तरांचल की जनता की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के संबंध में जो संशोधन यहां से प्रस्तावित किये जा रहे हैं उसमें कुछ सुझाव अपनी ओर से भी उत्तरांचल राज्य भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए देना चाहूंगा। मान्यवर, उत्तरांचल जिसका स्वरूप हरिद्वार से शुरु हो जाता है।

मान्यवर, हरिद्वार उत्तरांचल का प्रवेश द्वार है। उत्तरांचल राज्य में उसका शामिल होना अति आवश्यक है। मान्यवर, जो परिसम्पत्तियों का बंटवारा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करुंगा कि वह जनसंख्या के आधार पर न होकर भौगोलिक आधार पर होना चाहिए। वहां आर्थिक नीति भविष्य में बनेगी जो वहां नदियां हैं गंगा, यमुना, शारदा और अन्य जो सहायक नदियां उन पर उत्तरांचल का ही स्वामित्व होना चाहिए। मान्यवर, उत्तरांचल की 1991 की जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति की जो जनसंख्या है वह 20.24 प्रतिशत थी अब वह लगभग 23 प्रतिशत हो गयी है।

आज वहां 4 संसद सदस्यों की सीट हैं वह 5 होनी चाहिए और उसमें एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण होना चाहिए और इसी तरह से 12-15 अनुसूचित जाति, और जनजाति के बीच में सीटें होनी चाहिए। ताकि जो कमजोर वर्ग के और दलित वर्ग के लोग हैं उनकी भागीदारी विधान सभा के अन्दर और सरकार में बनी रहे। मान्यवर, इन सारी बातों को लेकर उत्तरांचल की जनता ने वर्षों से अपने पूर्ण राज्य के निर्माण के लिए भौगोलिक विषमताओं के लिए मद्देनजर रखते हुए संघर्ष किया उसका लाभ मैं समझता हूं कि उत्तरांचल की जनता को मिलने जा रहा है। मान्यवर, मैं निवदेन करना चाहूंगा कि इस राज्य के निर्माण में वहां की भौगोलिक और आर्थिक विषमता को मद्दे नजर रखते हुए वहां व्यवस्था पहुंचाने के लिए सहयोग प्रदान करें।

(समय 1.00 बजे)

श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन्, अधिष्ठाता महोदय, आज मेरे लिए यह दिन कुछ मायने में ऐतिहासिक दिन है। श्रीमन् आजादी के बाद इस विशाल उत्तर प्रदेश के अन्दर 1950 में यह महसूस किया गया कि क्षेत्रीय संतुलन और क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से उत्तराखण्ड क्षेत्र को मिलाकर उत्तराखण्ड को एक पृथक राज्य के रूप में गठित किया जाय। बहुत ज्यादा ऐतिहासिक विवरण में न जाकर संक्षिप्त में मैं कहना चाहूंगा कि 1950 में श्रीनगर के अन्दर एक सम्मेलन के माध्यम से पंडित जवाहर लाल नेहरू के सामने इस मांग को रखा गया तत्पश्चात् 1952 के कामरेड पी०सी० जोशी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा अल्मोड़ा के अन्दर इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अन्दर यह मांग की गयी कि विकास की दृष्टि से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पृथक राज्य का गठन किया जाय।

श्रीमन् मैं बहुत सयंम से अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जब हम इस सदन के अन्दर राज्य निर्माण की बात करते हैं तो हमें इस बात की संवेदनशीलता होनी चाहिये कि देश के विभिन्न हिस्सों में देश की आजादी के बाद उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को सुदृढ़ बनाने के लिए हम किसी राज्य के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम किसी देश की मांग नहीं कर रहे हैं। यदि दुर्भाग्यवश इतिहास के पन्नों में कोई ऐसी बात दर्ज भी हो जिससे देश की एकता अखण्डता का प्रश्न संवेदनशील हो जाय तो मैं अपने दायित्व को बखूबी समझता हूँ और उस प्रसंग की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ वह मेरा दायित्व है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जब पृथक उत्तराखण्ड राज्य बनेगा तो मुझे संकोच नहीं होगा, मैं सिर ऊँचा करके कहा करूँगा कि मैं पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी था और मुझे आज फक्र है कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं उन लोगों से भिन्न राय रखता हूँ जो कहते हैं कि उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण केवल पहाड़ मूल के लोगों के लिए होना चाहिए। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वह या तो देश की एकता अखण्डता के बारे में विज्ञ नहीं है या सम्भवतः जानबूझकर उन बिन्दुओं को नजरन्दाज कर देते हैं जो इस देश की आवाम हमसे अपेक्षा करती है और वह भी विधान मण्डलों के अन्दर बैठकर। मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान का एक दर्शन है हिन्दुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें भिन्नता में एकता है। मुझे अफसोस है और मलाल हुआ इस बात को सुनकर।

मान्यवर, कई विद्वान साथियों ने अपनी बात में कहा है कि जैसे राज्य का निर्माण नहीं बल्कि देश के अंदर जातियों के अन्दर बंटवारा करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड के निर्माण में किसी भी कीमत पर क्षेत्रवाद की भावना, जातिवाद की भावना, मैदान और पहाड़ की भावना के आधार पर राज्य का गठन नहीं चाहते बल्कि बुनियादी सिद्धान्तों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य का गठन चाहते हैं। हमारे एक विद्वान साथी ने 1955 में गठित राज्य पुनर्गठन कमीशन का रिफरेन्स दिया। मान्यवर, मैं उसी रिआर्गनाइजेशन कमीशन का हवाला देते हुए कहना चाहता हूँ कि राज्य के पुनर्गठन में बुनियादी सिद्धान्त है प्रशासकीय इकाई के आधार पर गठन होना चाहिये। उदाहरण के लिए यदि हरिद्वार को उत्तराखण्ड में सम्मिलित किया गया तो कुंभ मेले का आयोजन मुश्किल हो जायेगा इसलिए हम इस सवाल पर कभी लड़ाई नही लड़ना चाहते हैं कि हरिद्वार मैदानी क्षेत्र है कि तराई या पहाड़ी क्षेत्र है। ऊधमसिंह नगर को भी हम इन आधारों पर उत्तरांचल में शामिल करने की बात नहीं करते हैं।

बल्कि हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर को उत्तराखण्ड में सम्मिलित करने के अनेक ठोस कारण हैं। मान्यवर मैंने आज यह साबित किया है अपने संशोधन प्रस्ताव के जरिये जिसकी अंतिम प्रस्ताव को यदि आप पढ़े तो राज्य सरकार की तरफ जो संकल्प प्रस्तुत हुआ उसमें जोड़ दिया जाए–एक अतिरिक्त नया खण्ड 93 जोड़ दिया जाय जिससे व्यवस्था की जायेगी अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग वर्ग के गठन के निमित्त उपबन्ध किये जाने तथा नया खण्ड 93 में जोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तरांचल राज्य क्षेत्र में आने वाले राष्ट्रीय उद्यान, वन जन्तु विहार, वायो स्पीयर रिजर्व एवं आरक्षित वन क्षेत्रों जिनका संरक्षण एवं संवर्धन राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में आवश्यक है। समीपवर्ती आबादी के कल्याण व विकास के लिए केन्द्र सरकार से विशेष राशि की मांग है। इससे मैं समझता हूँ कि व्यापकता बढ़ेगी। इसलिए भविष्य में उत्तराखण्ड के अन्दर उसकी सीमाओं के अन्दर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पंजाब से लेकर बंगाल की खाड़ी और देश के किसी भी कोने के जो भी लोग आकर निवास कर रहे हैं आज उन सभी के इज्जत व अधिकारों की सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा सवाल इस बात को लेकर था और हमने कहा था कि उत्तराखण्ड राज्य का हम निर्माण करेगें। हम उत्तराखण्ड निर्माण क्यों करना चाहते हैं, इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ 1981में योजना आयोग ने एक स्पेशल कमेटी बैठाई थी और उस समिति ने अपनी सिफारिशों में लिखा था कि उत्तराखण्ड का जो क्षेत्र है वह अधिकांशतः आर्थिक

क्षेत्र में पिछड़ा है और उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अलग से कोई व्यवस्था किए जाने की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अपनी बात संक्षेप में कहें चूंकि अभी 25 माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करना है।

श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, अभी तो मैंने प्रस्तावना पर ही कहा है। उधर बैठे माननीय सदस्य मुझे सहयोग करेंगे और अपना समय मुझे देने की कृपा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अन्दर रहते हुए हमारे साथ भेदभाव हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड के अवाम के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने अत्यन्त सम्मान का व्यवहार किया है और बहुत इज्जत दी है और उसी का परिणाम है कि इस विशाल उत्तर प्रदेश के अन्दर इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पंत, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री सी० बी० गुप्ता और श्री नारायण दत्त तिवारी, इन सभी की जन्म स्थली उत्तराखण्ड ही रही, मुख्यमंत्री बनाये लिहाजा मैं इस बात का प्रतिकार करता हूँ कि हमारे साथ यहाँ कोई भेदभाव हुआ है।

मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हमें यहां पूरा सम्मान मिला, इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि रिप्रेजेन्टेशन में यह कहा गया कि उत्तराखण्ड के विकास के लिए तब तक अलग से नियोजन का इन्तजाम नहीं हो सकता, जब तक राज्य का गठन नहीं हो जाता। हम इसी आधार पर राज्य के गठन की बात करते हैं। जहां तक राज्य की सीमाओं का सवाल है, ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड का हिस्सा था। जो 1930 का कुमाऊँ प्रोविन्स का रिप्रेजेन्टेशन है, उसको माननीय सदस्य पढ़ने का काम करें, उसमें लिखा है कि ऊधमसिंह नगर अनिवार्य रूप से कुमाऊँ प्राविन्स का हिस्सा है, इसलिए इसके अलग होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैं एक बात यह भी कह देना चाहता हूँ कि कुछ लोग आज अलग प्रदेशों में बैठकर उत्तराखण्ड की सीमाओं को तय करने की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्हें इसके लिए क्या नैतिक अधिकार है। पंजाब की अकाली दल की सरकार उत्तर प्रदेश की सीमा में रहने वाले सिख समुदाय के खैरख्वाह नहीं है, इसके लिए यहां के रहने वाले लोग ही पर्याप्त हैं। इसके लिए पंजाब की सरकार को चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूँ कि जो लोग यह तर्क देते हैं कि हरिद्वार मैदान है, हरिद्वार उत्तराखण्ड में नहीं है, जिस दस्तावेज का मैं जिक्र करूंगा, संभवतः उनका जन्म उससे पहले का नहीं होगा। केदारखण्ड, मानखण्ड ग्रन्थों के अनुसार केदार मंडल की व्याख्या की गयी है। मैं कुछ पंक्तियां संस्कृत की उद्धृत करना चाहता हूँ–

आ गंगाद्वारमर्यादं श्वेतांतं वरवर्णिनि।

तमसातटतः पूर्वमर्वाक बौद्धाचंल शुभम्।

केदारमंडलं स्यातंभूम्यास्त दभिनंक स्थलम्॥

अर्थात् दक्षिण में गंगा द्वार (हरिद्वार) से लेकर उत्तर में श्वेत पर्वत तक यानि हिमालय तक एवं पश्चिम में तमसा टोंस नदी केदार से लेकर पूर्व की और बौद्धाचंल का पठार (नन्दा देवी) तक अति पुनीत केदारमण्डल का विस्तार है। यह भी कहना गलत है और मैं अपने इधर बैठे माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि पहले किस आधार पर यह बात कही गई थी।

मैं पहले माननीय मुलायम सिंह को बधाई देता रहा, उन्होंने बताया था कि राज्य का स्वरूप क्या हो, लेकिन आज न जाने कौन सी मजबूरी उनके सामने आ गई कि अपने ही कहे को नकारने लगे। कौशिक साहब ने लिखा है कि हरिद्वार को शामिल करने की स्पष्ट संस्तुति हम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे पास जो सूचनायें लोगों से प्राप्त हुई हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि हरिद्वार का आदमी उत्तराखण्ड के साथ पृथक राज्य में शामिल किया जाय, यह बात मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूँ। श्रीमन् मैंने आज जो यहां पर संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके संबंध में मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ कृपापूर्वक आप मुझे अपनी बात कहने का मौका देंगे। हम उम्मीद कर रहे थे, राज्य बनेगा और इसी बात से मैंने अपनी बात शुरू की थी जिन्होंने आजादी के बाद भाषाई आधार पर प्रदेश बनाने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी प्रदेश का निर्माण नहीं होना चाहिये, मैं इसका विरोध करता हूँ। आई कन्सीडर दि फार्मेशन आफ दि उत्तराखण्ड स्टेट फार दि इकनामिक अपलिफ्टमेन्ट।

तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा तो बुनियादी सिद्धान्त है कि वहां के लोगों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाया जाये, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा किया जाये।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके बिन्दु सं० 20 से 24 और 11 व 12 में लिखा है कि उत्तरांचल के प्राकृतिक संसाधन जैसे जल सम्पदा, वहां पर बने विद्युत गृह, इर्रीगेशन हेड वर्क्स, रिजरवायर्स और अन्य संपत्तियों पर उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश सरकार का स्वामित्व बना रहेगा, मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक साजिश है। इससे बड़ी पीड़ा होती है। लोग कहते हैं कि उत्तराखण्ड बन जायेगा तो वहां के लोग खायेंगे क्या। मैं कहना चाहता हूँ कि आज उ० प्र० में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता 3600 मेगावाट है और इस 3600 मेगावाट में से 1400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन उत्तरांचल में होता है।

मनेरी, भाली, छिबरो, डाकपत्थर, ढकरानी, टालीपुर, कुक्हाल और लखवाड़ डैम आदि सभी उत्तराखण्ड में हैं और जो बड़ी परियोजनायें निर्माणाधीन या प्रस्तावित हैं वह सभी उत्तराखण्ड में हैं और उनको संचालित करने का गौरव भी उत्तरांचल को ही हासिल होना चाहिए।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार रिवर बोर्ड एक्ट का सहारा लेती है। मान्यवर, रिवर बोर्ड जो बना है, उसको यह अधिकार कहने का नहीं है कि वहां पर जो जल संसाधन हैं उन पर उत्तर प्रदेश सरकार को अपना अधिकार कायम रखना चाहिए। मैंने अपने संशोधन प्रस्तावों के जरिए इसीलिए जल संसाधनों के विकास और प्रबन्ध सम्बन्धी भाग को विधेयक से निकालने का प्रस्ताव किया है। मान्यवर, मैं इस बात से विज्ञ हूँ कि रिवर बोर्ड एक्ट के तहत किसी बोर्ड के गठन को विधिक रूप से रोका नहीं जा सकता है, रिवर बोर्ड को केवल जल संसाधनों, वाटर सप्लाई, विद्युत उत्पादन और परियोजनाओं के निर्माण और उनके रख-रखाव में केवल तकनीकी मार्ग दर्शन देने का अधिकार होना चाहिए, परिसम्पत्तियों के परिभाजन का अधिकार नहीं होना चाहिए और वहां की सम्पत्तियों पर अधिकार उत्तरांचल का होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप समाप्त करें। अब आपका लिखा नहीं जायेगा अभी और भी माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने हैं।

श्री मुन्ना चौहान–

[x x x]

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

*श्री केदार सिंह फोनिया–

श्रीमन् मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ जो आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इस संकल्प के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। यह संकल्प सोच समझ कर तैयार किया गया है। मैं कहूंगा कि इस संकल्प में उत्तरांचल की आत्मा का वास है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय कल्याण सिंह जी ने, इस सरकार के सहयोगी दलों के मंत्रीगण ने चाहे वह लोकतान्त्रिक कांग्रेस के लोग हों या जनतांत्रिक बी०एस०पी० के मंत्रीगण हों या समता पार्टी के मंत्रीगण हो या निर्दलीय मंत्रीगण हों उन्होंने उत्तरांचल के लोगों की आवाज सुनी।

मैं इन सबका आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस महान सदन का जो देश का सबसे बड़ा सदन है उसका आभार प्रकट करता हूँ जिसने तीन बार उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को भेजा। मान्यवर, हम लोगों की परम्परा रही है पक्ष में हो या विपक्ष में जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो हम सब लोग एक साथ बैठ कर एक ही तरह की बातें सोचने लगते हैं। सबसे पहले माननीय कल्याण सिंह जी ने प्रस्ताव पारित किया उसमें ऊधमसिंह नगर सम्मिलित था, मैं मानता हूँ कि उसमें हरिद्वार नहीं था अब भी नहीं है। लेकिन ऊधमसिंह नगर जब माननीय कल्याण सिंह की सरकार थी उस वक्त के प्रस्ताव में ऊधमसिंह नगर था, दूसरा प्रस्ताव माननीय मुलायम सिंह की सरकार ने पारित किया था उसमें भी ऊधमसिंह नगर था हम उनके आभारी हैं उन्होंने कहा था कि ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में है। तीसरी बात फिर बहन मायावती ने उत्तरांचल का प्रस्ताव पारित किया और केन्द्र को भेजा। हम बहुजन समाज पार्टी के आभारी हैं और इस महान सदन के आभारी हैं कि उस समय भी ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल का अभिन्न अंग था।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन की परम्पराओं को रखते हुए सदन के सत्ता पक्ष और विपक्ष से अनुरोध करता हूँ कि जब एक बार प्रस्ताव पास कर दिया है तो आज फिर उसी तरह इस संकल्प का सर्मथन करें। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। किसी भाई ने कहा कि प्रदेश खण्डित हो रहा है, प्रदेश खण्डित नहीं हो रहा है विभाजित हो रहा हैं।

विभाजन हमारी संस्कृति की परम्परा है। उत्तराखण्ड के लोग छोटे भाई हैं और उत्तर प्रदेश के लोग बड़े भाई हैं। मैं उम्मीद करता था कि विपक्ष के माननीय सदस्य और सत्तापक्ष के माननीय सदस्य कहेंगे कि अपने छोटे भाई के लिए क्या व्यवस्था की जाय। मैं 1991 से इस महान सदन की छत के नीचे बैठा हूँ। उसके पहले मैं नौकरी करता रहा। मैंने राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के बहुत से लोगों को, बुद्धिजीवियों को यहां देखा है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने अपनी जिन्दगी के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ यहां सीखा है। मैंने माना है कि कुछ चीजें जो अच्छी हैं वह ग्रहण कर लेनी चाहिए और कुछ चीजें देखकर छोड़ देनी चाहिये।

इस सदन से मैं भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा हूँ। जब मैं कल्पना करता हूँ कि उत्तरांचल के सदन में बैठना पड़ेगा तो वह सदन बहुत छोटा होगा जो बुद्धिमता की लहरें यहां पर दोनों तरफ से उठा करती हैं वह शायद वहां पर देखने को न मिलें। इस सदन की मुझे बार-बार याद आयेगी। मैं तो चाहता हूँ कि इस संकल्प में यह प्राविधान हो कि जिस तरह की यहां पर विधान सभा है उसी तरह की विधान सभा उत्तरांचल में बने। मान्यवर, हरिद्वार को लेकर कुछ विवाद है। केवल हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के बारे में कुछ विवाद है। अगर मैं हरिद्वार के बारे में नहीं कहूँगा तो मैं हरिद्वार के साथ और अपने समाज के साथ अन्याय करूंगा। स्कन्ध पुराण में संस्कृत में लिखा है।

---

* नोट :—वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं हिन्दी जानता हूं। उसमें लिखा है कि उत्तराखण्ड की शुरुआत हरिद्वार से होती है और उसकी आखिरी सीमा मानसरोवर है। कैलाश मानसरोवर भारत में नहीं है। हरिद्वार भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर हमेशा उत्तराखण्ड का अंग रहा है। हर यानी केदारनाथ और हरि यानी बद्रीनाथ तो हरिद्वार तो प्राचीनकाल से उत्तराखण्ड का मुख्यद्वार रहा है ऊधमसिंह नगर कुमायूँ का भाग रहा है। इसलिए हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में होने चाहिये।

श्री रामतेज यादव (एडवोकेट)–

मान्यवर, आज का जो विषय है, कभी वह उत्तराखण्ड था आज उत्तरांचल है। सरकार अपनी कही हुयी बात से मुकरना चाहती है यह अपने में हास्यास्पद है। प्रदेश के हर हिस्से का विकास होना चाहिये।

उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि विकास होना चाहिये। आज नये राज्य का सृजन होने जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने चाहा था कि विकास होना चाहिये और प्रत्येक दशा में होना चाहिए यहां जो उत्तराखण्ड के लोग बैठे हुये हैं कुछ तो मुझसे बड़े हैं, कुछ हमारे उम्र के हैं ओर कुछ मुझसे छोटे हैं उनसे स्नेह है और यह बना रहेगा। कुछ ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संशोधन के जरिये संकल्प रखा है जिससे हमारे भाई दुखी हैं क्योंकि दुःखी होना स्वभाविक है।

जब एक परिवार में बंटवारा होता है तो कुछ सामान किसी को मिल जाता है, कुछ किसी को। अगर बंटवारा जिम्मेदारी का होता है तो वह सन्तोषजनक होता है, अगर बँटवारा गैर जिम्मेदारी का होता है तो असन्तोष होता है। 25-26 बातें इन्होंने जोड़ दी। अगर हम लोग कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तराखण्ड के लोगों का नुकसान हो जायेगा। भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने जो संकल्प दोहराया था वह आज भी है कि उत्तराखण्ड का विकास हो।

उत्तराखण्ड की विषम परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वह पिछड़े हुए हैं। वैसे देखा जाये तो इतने संसाधन हैं कि हमसे ज्यादा उनकी तरक्की होनी चाहिये। वह लोग जो आज हमारे बीच में हैं ऐसा नहीं है कि उत्तराखण्ड में चले जायेंगे तो उनसे बातचीत बन्द हो जायेगी, उठना-बैठना बंद हो जायेगा। लेकिन यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर सवार होकर जब अलग हो जायेंगे तो हम सभी लोग कहीं न कहीं से जरूर दुखी हैं। हरिद्वार को अलग करने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गयी है और वहां के लोगों ने भी चाहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा दोहरा मापदण्ड रहा है और यह अपनों के साथ दगा करती रही है। यह इनका चरित्र है। जहां तक ऊधमसिंह नगर की बात है जो वहां की स्थितियां हैं, जो व्यवस्थायें हैं, वहां के लोग हैं वह नहीं रहना चाहते हैं। वहां आन्दोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। जनमानस को दबाकर राजपाठ नहीं चल सकता है। सरकार की तरफ से बहुत से संशोधन आये हैं लेकिन जो किया जाना चाहिये था वह नहीं किया, वह मैंने जोड़ा है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में है, अभी तक यह जान नहीं पाये कि उत्तराखण्ड में भी न्याय की आवश्यकता होगी क्योंकि इनके दिमाग में न्याय नाम की कोई चीज नहीं है।

कानून व्यवस्था की धमक होनी चाहिये। कानून के सामने सभी बराबर हों चाहे बड़ा नेता हो या छोटा आदमी। जब तक पूर्वांचल में हाई कोर्ट की स्थापना न हो जाए तब तक लखनऊ बेंच वहां के मामलों को देखे। अगर हमारे संशोधनों को अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तो बड़ी दिक्कतें होंगी। अभी पूर्वांचल की बात हो रही थी हम जितना अधिक बंटवारा करते जायेंगे वह स्थिति हमारे देश के लिए उतनी ही खतरनाक होगी। मैं कभी भी बंटवारा नहीं चाहता। लेकिन अगर 7 करोड़ लोगों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई है तो एक न एक दिन झगड़ा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 88 प्रतिशत पूर्वांचल की जनता चार आने पर

गुजारा करती है और शहर के लोगों को 4 रुपये की व्यवस्था की गई है । यह तो विषमता बढ़ाने वाली बात है ।

डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा था और मुलायम सिंह जी भी कहते हैं गांव और शहर के बीच विषमता होगी तो झगड़ा होगा इसको बचाने के लिए गांव के विकास की तरफ ध्यान देना होगा । ऊधमसिंह नगर को प्रस्तावित राज्य से अलग रखा जाए इसकी उस प्रदेश में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है । जब अलग राज्य बनेगा उस वक्त हमारे लोगों की जहां आवश्यकता हो हम अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे । लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग दोहरे मापदण्ड अपना रहे हैं, इनके हाथ में सत्ता देना तो उस्तरा देने के समान है जिससे इन्हें काम करना नहीं आता है । समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी का रवैया है कि उत्तराखण्ड के लोग प्रगति करें, जब भी उनके घर जाएं वह बड़े आदमी नजर आयें ।

* श्री राजेन्द्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद । मैं इस पर अपने विचार रखने के पूर्व मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमण्डल के सदस्यों और केन्द्र सरकार का अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ । पूर्वांचल की मांग कब से की जा रही है इस पर अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे । समय-समय पर वहां की प्रगति की धीमी गति को देखते हुए कुमायूँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम की स्थापना की गई । हमारे सामने ही पूर्वांचल विकास विभाग अलग विभाग बना दिया गया । उसके बाद भी लगातार पूर्वांचल के साथ पक्षपात होता रहा है। मैं देहरादून जनपद के मसूरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। कभी-कभी कुछ मामलों में हमें मन मसोज कर रह जाना पड़ता है। मान्यवर, उत्तरांचल विकास विभाग में सभी विभाग आ जाते हैं और सभी विभागों के कामों को देखने का काम उत्तरांचल मंत्री को होना चाहिये था, परन्तु वह आज तक नहीं हुआ। मेरे यहां हाईस्कूल तक एक स्कूल का उच्चीकरण हुआ परन्तु आज तक उसमें एक भी अध्यापक नहीं है। जब उत्तरांचल विकास विभाग बना था तो यह हुआ था कि बिना उसकी सहमति के न कोई नियुक्ति होगी, न प्रमोशन होगा और न ही स्थानान्तरण होगा परन्तु किसी भी सरकार में यह नहीं हुआ।

गढ़वाल मण्डल विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम तथा उत्तरांचल विकास विभाग की स्थापना के बाद भी वहां पर विकास नहीं हुआ, जिसके कारण अलग राज्य की मांग बलवती होती गई। आज वह समय आ गया है हम इस पर गहन चिन्तन कर रहे हैं। हमारे कुछ पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल में शामिल नहीं होना चाहिये। संस्कृति और संस्कारों की बात कही और अलगाववाद की बात कही। मैं कहना चाहता हूँ कि पौड़ी के अन्दर हमारे मुसलमान भाई रहते हैं जो बहुत अच्छी गढ़वाली भाषा बोलते हैं, इसी प्रकार हमारे सिक्ख भाई जो चमोली, देहरादून आदि जगहों में रहते हैं उनके मन में इस प्रकार की कोई भावना नहीं है, कम से कम वह उत्तरांचल को छोड़ने को तैयार नहीं है। कुछ चंद पूँजीपति लोग अपने निहित राजनैतिक स्वार्थों के कारण ऊधमसिंह नगर को अलग करना चाहते है और जनता के बीच इस प्रकार की भावना फैला रहे हैं। इससे उनका हित होने वाला नहीं है। हरिद्वार के बारे में हमारे पूर्व सदस्यों ने कहा बद्री-केदारनाथ और हरी तथा हर।

हरी का हरिद्वार जो उत्तराखंड का हिस्सा रहा है। हम तो श्री अम्बरीष जी का स्वागत करते हैं अगर वह हरिद्वार को उत्तरांचल में जोड़ने की बात करते। यह जो कहा जा रहा है कि उनसे

* नोट :–वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हमारी संस्कृति मेल नहीं खाती, कतई अनुचित है। यदि अम्बरीष जी हमारे साथ आ जाते तो निश्चित रूप से सभी साथ में रहते और एक सभी धर्मों की संस्कृति उत्तरांचल में बड़े पैमाने पर रहती। वैसे तो यह उत्तरांचल में है ही। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि उत्तरांचल को अलग न किया जाय। क्यों अलग किया जाय, इसके कारण मैंने पहले ही बता दिये। मान्यवर, जहां तक जल संसाधनों तथा इसके प्रबंधन की बात है और जो 5 प्रदेशों की कमेटी बनाने की जो बात कही गई है वह पांच प्रदेशों की न होकर केवल उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल की कमेटी हो। हरिद्वार के कुम्भ क्षेत्र को उत्तरांचल में रखा जाय क्योंकि कुम्भ क्षेत्र की व्यवस्था को देखने के लिये 4-4 जिलों का काम है और इसे मेला अधिकारी को देखना पड़ता है। कुम्भ क्षेत्र देहरादून जनपद का हिस्सा है, इसमें पौड़ी, टिहरी तथा हरिद्वार का भी हिस्सा आता है। हाईकोर्ट की एक बेंच देहरादून में बनायी जाय और जब तक बेंच न बने उत्तरांचल के वाद लखनऊ बेंच के द्वारा ही सुने जायं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प के पक्ष में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री केदार सिंह फोनिया पीठासीन हुये।)

* श्री राम सिंह सैनी —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित संकल्प पर अपने विचार रखने का समय दिया है। मान्यवर, मैं अम्बरीष कुमार जी द्वारा व्यक्त विचारों से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और आपसे कहना चाहता हूँ कि यह जो उत्तरांचल का निर्माण हो रहा है। इसमें हरिद्वार जो इनके सहभागी दल हैं उनके नेताओं का आभार हरिद्वार की जनता करती है। इसलिये कि उनके सतत् प्रयास से और हम लोगों के संघर्ष से हरिद्वार को इससे निकाला गया है। मेरे कुछ दोस्तों ने जो पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं फिर हरिद्वार को उत्तरांचल में रखने की वकालत यहां की है।

मैं उनके संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ कि 1824 में जब सहारनपुर में देहरादून को अटैच किया गया था तो वहां के लोगों ने रिप्रेजेन्ट किया था—(इट वाज रिप्रजेन्टेड दैट दि रूल्स एण्ड रेगुलेशन मेड फार दि पीपुल आफ प्लेन वेयर नाट सूटेड टू दी पीपुल आफ दैट डिस्ट्रिक्ट) । जब देहरादून के लोगों ने रिप्रेजेन्ट किया और खुला रोष व्यक्त किया तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट को मान्यवर, सहारनपुर से अलग कर दिया गया था। आज मान्यवर, वही लोग जो पहले रिप्रेजेन्ट करते थे माननीय मुन्ना चौहान जी कहा करते थे कि जो रूल्स एण्ड रेग्युलेशन प्लेन्स के लिये बनेंगे हम लोगों को सूट नहीं करते इसलिये हमको प्लेन्स से अलग रखा जाय। आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्यों फिर चाहते हैं। जो रूल्स एण्ड रेग्युलेशन हरिद्वार के लिये बनेंगे उनको सूट करेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र के लिये बनेंगे कैसे हम लोगों को सूट करेंगे। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि स्टेट रेगुलेशन कमीशन की रिपोर्ट में है कि सबसे पहले वहां के लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को नजर अंदाज न किया जाय दि विशेज आफ दी पीपुल शुड बी रिगार्डेड एज दी इम्पटिन्ट फैक्टर फार दी रिकगनाइजेशन आफ दि स्टेट।

मान्यवर, हरिद्वार के बारे में हमारे एक साथी ने कहा कि हरिद्वार में बहुमत में लोग चाहते हैं कि यह उत्तरांचल में चला जाय। मान्यवर, मेरा क्षेत्र भी हरिद्वार में पड़ता है। अम्बरीष जी और काजी मोहिउद्दीन साहब का भी क्षेत्र हरिद्वार में पड़ता है। बी०जे०पी० का कोई एम०एल०ए० वहां से नहीं है। मेरी तो खुली चुनौती है इस हाउस में कि आप वहां पर रेफरेन्डम करा लें। वहां का

* नोट :—वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनमत संग्रह करा लें। वहां के 91 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि हरिद्वार को उत्तरांचल में सम्मिलित न किया जाय।

वहां पर आबादी के हिसाब से 2 परसेन्ट होंगे। तो इस हिसाब से तो आप कहेंगे कि हरिद्वार का कोई औचित्य नहीं बनता। जब हरिद्वार जनपद को सहारनपुर जनपद से अलग किया गया था तो हम लोगों ने मांग की थी कि ऋषिकेश को भी इससे जोड़ दिया जाय क्योंकि ऋषिकेश का ज्यादातर भाग प्लेन्स में पड़ता है लेकिन वहां के लोगों ने इसका विरोध किया था, आन्दोलन किया था कि हम प्लेन्स के लोगों के साथ जाना नहीं चाहते हैं अब क्या औचित्य है कि हरिद्वार जैसे जनपद को उत्तरांचल से जोड़ा जाय। ऊधमसिंह नगर के लिये कहना चाहता हूं कि यह पहले नैनीताल का हिस्सा था इसलिये जब-जब प्रस्ताव हुए हैं उस पर अलग से कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। वहां के लोगों का कहना है कि वहां के लोग जागरूक हैं।

ऊधमसिंह उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व्यक्ति था। उन्हीं के नाम पर ऊधमसिंह नगर का सृजन हुआ है। उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां के शासन और प्रशासन पर मेरा खुला आरोप है 250 लोगों पर यहां पर कल लाठीचार्ज किया गया। इसी तरह से विकास नगर के लोग जनपद देहरादून में हैं वहीं के लोगों का हमसे सम्पर्क हुआ था वह भी यही चाहते हैं कि उत्तरांचल में सम्मिलित न किया जाए।

श्री अधिष्ठाता —

अब समाप्त करें।

श्री राम सिंह सैनी —

मैं कहना चाहता हूँ उसकी भाषा को आप देख लें ऊधमसिंह नगर की आप भौगोलिक परिस्थिति देख लें। ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल से अलग रखा जाए। दूसरे संशोधन में, मैं प्रस्ताव करना चाहता हूँ विधेयक के खण्ड–3 में प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित करने वाले जनपद के साथ-साथ विधेयक के खंड–9 में.....

श्री अधिष्ठाता —

समाप्त करें।

श्री रामसिंह सैनी —

उत्तर प्रदेश के सांसदों की संख्या 80 के स्थान पर 81 होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के विधान सभा के सदस्यों की संख्या–403 के स्थान पर 409 होनी चाहिए।

श्री अजय भट्ट —

मान्यवर, सबसे पहले मैं केन्द्र सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ उत्तरांचल की अन्तर्आत्मा की आवाज को सुनते हुए उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया प्रारम्भ करके राष्ट्रपति महोदय को विधेयक भेजा। राष्ट्रपति महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सदन के माध्यम से उन्होंने बिना किसी विलम्ब के पूरा सहयोग देते हुए उत्तर प्रदेश की विधान सभा में विधेयक भेजा है। जिससे सभी लोग अपनी राय देने के लिए विशेष सत्र के माध्यम से यहां एकत्रित हुए हैं। मान्यवर हमारी बहुत सारी परेशानियां बहुत सारी कठिनाइयाँ बहुत ऊहापोह की स्थिति को हमारे मुन्ना चौहान जी ने खुद ही सब साफ कर दिया है जहां आपने सारी बातों का खुलासा कर दिया है। वहीं हमारे मित्र जो सामने बैठे हैं श्री अम्बरीष कुमार जी, उनकी बातों का कोई औचित्य नहीं

रह जाता है। क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं, कौशिक समिति की रिपोर्ट है प्रश्न संख्या-34 पर संस्तुति की है इसमें साफ लिखा है नैनीताल जिला ऊधमसिंह नगर का जो भाग है, नैनीताल जिला उत्तरांचल का हिस्सा होगा। अब इसमें विवाद का कोई प्रश्न नहीं रहता है। राजनीतिक कारणों की उत्तरांचल की तमाम लोगों की प्रतिबद्धता है, मान्यवर, सदन के माध्यम से आज कह देना चाहता हूं कि उन लोगों से जो तराई की राजनीति को पंजाब से प्रारम्भ कर रहे हैं, या इसमें दखल दे रहे हैं वह उदारता का काम करें। उत्तरांचल के लोगों के मध्य में आये विश्व बन्धुत्व भावना, वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना का उत्तरांचल में आज भी आदर्श मौजूद है। प्रकाश सिंह बादल हों चाहे कोई हों तराई क्षेत्र में चुनाव लड़ें अगर वह हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं तो हम उदारता का परिचय देने को तैयार हैं। हम वहां के मुख्य मंत्री की कुर्सी पर उन्हें नवाज देंगे यह हमारा दावा है। इसलिए कहीं पर भी तराई के लोगों में सिख बंधुओं, मुसलमान भाइयों या किसी भी जाति या सम्प्रदाय के लोगों के मन में अविश्वास, की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे तमाम लोग जिम्मेदार लोग हैं। एक विशेष दल ने यह बात उठायी थी कि वहां पर प्लेन और हिल्स की बात आयी है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि आगे नहीं आते तो वास्तव में स्थिति बड़ी कठिन होती।

भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक लम्बी प्रक्रिया के बाद पृथक उत्तरांचल राज्य की मांग को स्वीकार किया था। उससे पहले बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी। भाऊराव देवरस जी इस समय हमारे बीच में नहीं हैं। हरिद्वार का जिक्र आया है वहां पर बैठकर डा० नित्यानंद जी और देवरस जी ने उत्तरांचल राज्य की बात को स्वीकार किया था और तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी इस मांग को मनाने के लिए संघर्ष करती रही है और उसी का परिणाम है कि आज हम यहां पर अपनी राय देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमें विश्वास है कि केन्द्र सरकार आने वाले 6 महीनों में पृथक उत्तरांचल राज्य के विधेयक को पूर्णतया पास कर लेगी और हम लोग इसके विधायक हो जायेंगे। निश्चय ही इस सदन के तमाम सदस्यों से जुदा होते समय सबको कष्ट हो रहा है।

फोनिया जी ने एक बात कही थी, उसमें सहभागी होते हुए हम सभी लोग अपने को सम्बद्ध करते हैं जितने प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन ने हमको सहयोग दिया है वह अविस्मरणीय रहेगा। हमारे एक मित्र हरिद्वार के विधायक अम्बरीष कुमार जी ने हरिद्वार के साथ-साथ ऊधमसिंह नगर को भी हटाये जाने की बात कही है लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि हरिद्वार टिहरी रियासत की सीमा रही है तथा हरिद्वार नगर पहले टिहरी संसदीय क्षेत्र में था। हरिद्वार विधान सभा के अन्दर ऋषिकेश, रायपुर और डोइवाला सम्मिलित थे। इसलिए मैं पूरे सदन से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि यद्यपि कैबिनेट ने हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग रखने का संशोधन दिया है तथापि हरिद्वार को उत्तरांचल में ही रहने के लिए पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अब रही सम्पत्तियों की बात। सम्पत्तियों के बटवारे में जो परिसम्पत्तियां उत्तरांचल क्षेत्र में है उसमें उत्तरांचल का ही स्वामित्व होना चाहिए। जहां कच्चा माल होता हो उस क्षेत्र का अधिकार 75 प्रतिशत होना चाहिए। जल श्रोतों के संबंध में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के मध्य ही समझौते होने चाहिए अन्य राज्यों का इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जल विद्युत की बात में इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन तथा राज्य भण्डारागार निगम उत्तरांचल विद्युत बोर्ड बनने तक उत्तरांचल में कार्य करते रहना चाहिए।

उत्तरांचल का बोर्ड बनने पर उत्तर प्रदेश बोर्ड और उत्तरांचल बोर्ड की आपसी सहमति से ही विद्युत की परिसम्पत्तियों का बंटवारा होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उत्तरांचल के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। परिसम्पत्तियों का वितरण ठीक प्रकार से होना चाहिए।

मुन्ना सिंह चौहान जी ने पेयजल के संबंध में जो आशंका जतायी है उसके संबंध में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं विधेयक में संशोधन करते समय टंकण की गलती हुई है। ...

(समय 2.00 बजे)

जहां तक मेरा ख्याल है यह मिसप्रिंट है। मान्यवर, हम पर्वतीय क्षेत्र के तमाम लोग जागरूक हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात रखी है वह बहुत सोच विचार करके रखी होगी जो संकल्प में संशोधन है उसके खण्ड 20 में स्वामित्व की बात है। इसलिए यह जरूर लगता है कि कोई गलतफहमी है या हम नहीं समझ पा रहे हैं या मिसप्रिंट हुआ है। हम जनप्रतिनिधि जागरूक हैं यह कहना चाहेंगे कि इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हम इस बात को रखेंगे नहीं तो वहां की जनता हमसे पूछेगी कि आप विधान सभा में संशोधन पेश करते वक्त क्या कर रहे थे। गलत बंटवारे का हम विरोध करेंगे।

मैं पुनः तमाम लोगों को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी समेत सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ धन्यवाद।

* डा० अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, बड़े भारी मन से इस संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मान्यवर, किसी परिवार का विभाजन एक दुखद् क्षण होता है। प्रदेश की गरिमा और गौरव हिमालय से लेकर देवरिया बिहार की सरहद तक फैली हुई है जिसके चलते प्रदेश देश में अपना एक अलग स्थान रखता है। मान्यवर, आज किन्हीं कारणों से सत्ता दल में बैठे हमारे मित्र राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस प्रदेश के विभाजन को हवा देते रहे हों, मान्यवर, यह प्रदेश देश की राजनीति में और देश को आगे बढ़ाने में जिसका बड़ा भारी योगदान है। राजनीतिक आंदोलन की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के तमाम लोग उस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शहीद हुए। मान्यवर, जब इसका विभाजन होगा तो वह दुखद क्षण होंगे। कुमाऊ गढ़वाल और प्रदेश के कोने-कोने से आये सभी साथियों से अमूल्य सुझाव हमारे सामने आते थे मान्यवर, यह सरकारों की अदूरदर्शिता रही जिसके चलते अलगाववाद की पहल हुई और क्षणिक स्वार्थों के कारण प्रदेश को विभाजन के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया। मान्यवर, इस विभाजन से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं रह जायेगा, उत्तर चला जायेगा खाली प्रदेश रहेगा। भले ही 4 सांसद वहां के हों लेकिन गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार ये स्थान सब उत्तर प्रदेश को बनाते थे हिमालय की सरहद तक उत्तर प्रदेश की सीमा खिंचती थी। क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ लोगों में अविश्वास जागा।

मान्यवर, जो परिस्थितियां थीं उनको अगर टाला जाता तो वह प्रदेश के हित में होता देश के हित में होता जब अलगाववाद शुरू हो जाता तो देश की एकता और अखण्डता को धक्का लगता है। मान्यवर, प्रदेश की जनता में चाहे उत्तरांचल के रहने वाले लोग हों या समग्र प्रदेश में रहने वाले लोग हों विकास की दृष्टि से असंतुलन है तो उस असंतुलन को दूर कियां जाता लेकिन इस प्रदेश के विभाजन को किसी तरह से रोका जाता। जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं अगर यह विधेयक अवश्यम्भावी है इसलिए यह संशोधन रखा है । ऊधमसिंह नगर को इस उत्तरांचल में न सम्मिलित किया जाय। मान्यवर, इसके पीछे एक मंशा है जो स्टेट रि-आर्गनाइजेशन कमीशन बना, समय-समय पर जो उन्होंने अपना अध्ययन किया या तो संस्तुतियां दीं उसमें भी उन्होंने भाषा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्षेत्रीयता, आर्थिक दृष्टिकोण और तमाम उन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेशों की सीमा निर्धारण की बात कही है। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर, जहां के लोगों की भाषा और रहन-सहन सभी कुछ पर्वतीय क्षेत्र से अलग हैं । वहां के लोग, जब से यह बात उनके संज्ञान में आई है कि वह जिला उत्तरांचल का हिस्सा बनेगा, वह लोग निरन्तर आन्दोलन कर रहे हैं। विधान सभा के सामने वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया।

उत्तराखण्ड नहीं बना उसके पहले ही उनके मन में आशंकाएं हैं तो जिस सूबे को, राज्य को गठन करने जा रहे हैं अगर उसकी शुरुआत ही आन्दोलन और संघर्ष की नींव पर होगी तो कैसे शांति होगी, कैसे विकास होगा और कैसे ऊधम सिंह नगर की जनता का विश्वास इस नये राज्य से जुड़ सकेगा। इसलिए हमने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि उत्तराखण्ड में ऊधम सिंह नगर को न रखकर उसे हरिद्वार की भांति उत्तर प्रदेश का हिस्सा बनाये रखा जाय।

दूसरा यह कि जब तक नये उच्च न्यायालय का गठन न हो जाय तब तक उत्तराखण्ड के तमाम न्यायिक मामलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बैंच से संबद्ध कर दिया जाय। क्योंकि यह नजदीक भी पड़ेगा। यही दो संशोधन मैंने रखे हैं। मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कटुता है तो उस कटुता को दूर करके इस प्रदेश का एकीकरण बनाये रखा जाय। जब यह विभाजन मूर्त रूप ले लेगा तो दोनों राज्यों के बीच अन्तर्विरोध पैदा होंगे जैसे नैसर्गिक श्रोतों का बटवारा और तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर विवाद बिन्दु रहेगा। जिस स्नेह के साथ हम कहते हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य के साथ परिवार जैसे रिश्ते हों वह कहीं न कहीं प्रभावित होंगे। हमारे मुख्य मंत्री जी, और हमारे मित्रगण को इस बात से खुशी हो रही है कि उत्तरांचल राज्य बन जायेगा और हमारी पार्टी का वर्चस्व रहेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसी खाई बन जायेगी जिसे भर पाना बहुत समय तक सम्भव नहीं होगा। चाहे टिहरी डैम की बात हो, पन्त नगर विश्वविद्यालय की बात हो हाइडिल विद्युत के उन श्रोतों की बात हो, जब एक ही सवाल पर दो अलग राय बनेंगी तो टकराव शुरू होगा और दोनों राज्यों की जनता में कटुता बढ़ेगी। जैसा आपने अपने भाषण में कहा कि इस गरिमामय सदन में बैठते थे, अब छोटी सी विधान सभा होगी।

आज आपकी बात पूरा देश सुनने के लिए बाध्य होता था लेकिन जब छोटा सा राज्य होगा तो यह पीड़ा आपके मन को सालती रहेगी और तमाम प्रदेश की जनता के मन को सालती रहेगी। इसलिए राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रदेश के चन्द लोगों को नसीहत दे सकें तो यह ऐतिहासिक काम होगा। राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर इस देश की एकता अखण्डता और इस प्रदेश को बचाया जा सके, इससे बड़ा और कोई कार्य नहीं होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

* सिंचाई, गन्ना विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, अपने प्रदेश की महान विधान सभा संभवतः स्वतंत्रता के बाद एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लेने जा रही है, इस अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं। मान्यवर, उत्तरांचल का गठन इस विधान सभा के लिए नया प्रश्न नहीं है क्योंकि जो विधान सभा 3 बार प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार के पास आग्रह भेज चुकी है उसके लिए आज केवल औपचारिकता पूरी करनी है। इस पूरे सदन में उंगलियों पर गिने हुए लोगों को छोड़कर पूरा सदन इस बात से सहमत था, 91, 93 और 97 में, कि उत्तरांचल राज्य का गठन होना चाहिए। जो विवाद है वह केवल राजनीतिक है। तीन प्रस्तावों में जितने क्षेत्र दिए गये थे वह पूरे के पूरे क्षेत्र इस बार के संकल्प में हैं केवल नाम बदला है। नैनीताल पुराना है। नैनीताल नाम नहीं दिया गया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

था उस समय और नैनीताल क्षेत्र दिया गया था। इसलिए मैं नहीं समझता कि कौन सी ऐसी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक चीज उभड़ गयी जिससे उस क्षेत्र को अलग करने का मुद्दा बना लिया गया है।

नैनीताल क्षेत्र में ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में देने की बात किया था, आज केवल नाम बदल देने से यह नहीं होना चाहिए। केवल प्रस्ताव करने वाली सरकार के सामने नाम बदला था। इसलिए महत्वपूर्ण परिस्थिति नहीं बदली केवल नाम बदलने के सिवाय जिसमें कहा गया कि नया नाम निकाल दिया जाए। लेकिन केन्द्र सरकार ने जोड़ दिया। इसलिए अलग कर रहे हैं। अब हम कह रहे है कि हरिद्वार को हमारे पास रहने दें चूंकि वहां कुम्भ मेला होता है जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, इसलिए इस प्रदेश के साथ उसे रहने दें जिससे सांस्कृतिक संबंध प्रगाढ़ बने रहेंगे। (व्यवधान)

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य की स्थापना क्यों हुई, प्रस्ताव क्यों आया, यह चर्चा का विषय नहीं हैं? लेकिन मूल कारण यह है कि भौगोलिक दृष्टि से बाकी शेष उत्तर प्रदेश के भागों में वह भिन्न है और वह भिन्नता अनेक प्रकार की विषमता पैदा किया और उसी विषमता के कारण केवल मांग ही नहीं उठी बल्कि उसके औचित्य को भी स्वीकार किया गया तथा स्वीकार किया गया कि यह औचित्यपूर्ण मांग है। लेकिन उत्तर प्रदेश के शेष भागों के बंटवारे का कोई भौगोलिक आधार नहीं बनता है, अवसर भी नहीं है और इस संकल्प से उसका संबंध भी नहीं है जो इस संकल्प के साथ दूसरे मुद्दे जोड़े जा रहे हैं वह उत्तरांचल के निर्माण को स्थगित करना चाहते हैं और उत्तरांचल के मामले को लटकाना चाहते हैं। इसलिए इसमें और कोई चीज जोड़ने की बात आप लोग इस समय न कहें। मान्यवर, अपने उत्तरांचल क्षेत्र के माननीय विधायकों ने बड़ी अच्छी बात कही और लोगों ने भी अच्छी बात कही, माननीय मुन्ना चौहान जी का तो विशेष रूप से आभारी हूं, उन्होंने काफी उदारता का परिचय दिया और एक माननीय सदस्य तो मुख्य मंत्री भी उन्हें बना दिये।

सरकार यह चाहती है कि यह आत्मीयता बनी रहे क्योंकि राजनीति के चक्र मे देश में, प्रदेश में बराबर परिवर्तन हो रहा है और दलों के आधार पर, विचारों के आधार पर, गुण-अवगुण के आधार पर कोई नहीं जानता कि कब, कौन, कहां रहेगा, लेकिन यह जो राज्य बन रहे हैं, उनकी आपस में मित्रता बनी रहे, आत्मीयता बनी रहे, इसके लिये व्यवस्था होनी चाहिये ताकि किसी का विकास भी न रुके और कटुता भी बीच में न हो। इसीलिये यह सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में वर्षों तक दोनों राज्यों के बीच कोई ऐसा भेद संसाधनों को लेकर पैदा न हो। ऐसा कोई प्रश्नचिन्ह न लगे कि उत्तर प्रदेश की आम जनता का विकास रुक जाय, उद्योग धन्धे रुक जायें, इसके लिये शक्ति के स्रोत पर कहीं उत्तर प्रदेश ने कब्जा नहीं जमाया है, हमने केवल वह व्यवस्था की है, मंत्रि-परिषद् ने व्यवस्था की है जिससे कि आने वाले दिनों में दोनों का विकास हो और किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा न हो सके।

जो जहां जितनी सुविधा पा रहा है, जितने स्रोत का उपयोग अपने विकास में कर रहा है, वह उसको मिलता रहे, मात्र इसकी सुनिश्चितता की गई है। अगर उत्तरांचल के भाई यह कहेंगे कि हमारे प्रदेश की जनता इस बात को नहीं मानेगी तो बताना चाहता हूं कि जनता दोनों जगह है और वहां की जनता का दबाव यहां ऐसा न पड़े जिससे उत्तर प्रदेश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इसीलिये यह सुनिश्चित व्यवस्था की जा रही है। इसलिये मान्यवर, मैं माननीय भावी उत्तरांचल के वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रहने वाले माननीय विधायकों से कहना चाहूँगा कि मंत्रि-परिषद् की मंशा किसी के जल श्रोत को कब्जियाने, विद्युत स्रोत को कब्जियाने, या किसी की सम्पत्ति को कब्जियाने की नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश के हितों पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव आने वाले दिनों में प्रतिकूल विचारधारा के कारण न पड़े, इसकी सुनिश्चितता की गई है। क्योंकि अभी तो दोनों की

विचारधारा एक है, केन्द्र में भी वही विचारधारा है, हम जो भी कहेगें, करेगें लेकिन राजनीति में राजस्व के हित किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से नहीं चलते, यह स्थाई होते हैं । इसलिये कभी कोई संकट किसी के हितों पर न आवें, इसकी सुनिश्चितता की गई है थर्मल पावर और हाइड्रो में 60:40 का अनुपात होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, मध्य गंगा नहर, शारदा नहर, शारदा सहायक और गन्डक नहरों के जो हेड हैं वह उत्तरांचल में हैं। आप देखें कि निचली गंगा नहर से उत्तरांचल का कोई हिस्सा सींचा नहीं जाता है, उसका जल कानपुर से इलाहाबाद तक आता है और वहां पर उससे सिंचाई होती है। इसलिए यह व्यवस्था की गयी है कि इसका सुपरविजन उत्तर प्रदेश में ही रहे। इसी प्रकार से शारदा नहर से सिंचाई होती है, इसका हेड वर्क उत्तरांचल में है और 100 किलोमीटर की नहर उत्तरांचल में है और 23 हजार किलोमीटर नहर उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यह व्यवस्था की गयी है कि इसकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ही की जाये।

मान्यवर, इसी प्रकार से हरिपुरा जलाशय है, जो 19 हजार हेक्टेयर का है और इसमें से 6240 हेक्टेयर ऊधमसिंह नगर में और 21500 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में है, बौर जलाशय 18800 हेक्टेयर का है, जिसमें से 3952 हेक्टेयर ऊधमसिंह नगर में और 18000 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में है, तुमरिया जलाशय 90,000 हेक्टेयर का है, जिसमें से 40540 हेक्टेयर ऊधमसिंह नगर में है और 51460 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में है और पीली जलाशय 4500 हेक्टेयर का है, जिसमें से 500 हेक्टेयर ऊधमसिंह नगर में और 4000 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार से नदियों का जो हिस्सा है वह बाद में तय किया जायेगा। नये संसाधन बनाने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी और अगर कोई मतभेद होगा, तो वह आपस में बैठकर सुलझा लिया जायेगा, आपस में तय कर लिया जायेगा। मान्यवर, अन्तर्राज्यीय विवाद जितने भी हुये हैं, वह इसी कारण से हो रहे हैं। गंडक की बात कई लोगों ने कही। गंडक नेपाल से निकलती है। हम बराबर लिख रहे हैं कि इसका नियंत्रण उत्तर प्रदेश को दे दिया जाये। वह कहते हैं कि इसका पूरा पानी उत्तर प्रदेश को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को फायदा हो रहा है, तो वह क्यों उसकी व्यवस्था करें। इसी कारण उसमें बहुत सी सिल्ट जमा हो गयी है। मान्यवर, एक किसाऊ बांध है, जो 5 राज्यों की सहायता से बनाया जा रहा है। राजस्थान, जिसका सिंचाई से कोई मतलब नहीं है, वह कह रहा है कि उसे बिजली दी जाये और वह अपनी सहमति नहीं दे रहा है। हम कनहर बांध बनाना चाहते हैं, लेकिन सहमति नहीं मिल रही है। इसलिए अंतर्राज्यीय विवाद वहां न पैदा हो और बाद में उत्तर प्रदेश सफरर न हो, उसका हिस्सा उत्तरांचल में बना रहे, उत्तरांचल का पानी उससे ज्यादा नहीं चाहते हैं जो वर्तमान व्यवस्था है वह बनी रहे इसलिए उसे नियंत्रण के अधीन रखा जा रहा है। अगर कोई नयी योजना वह निर्माण करेंगे तो उसके लिए वह राज्य स्वतंत्र होगा।

इसी तरह से बिजली के मामले में है। आप कल्पना कीजिये उत्तरांचल के विधायक सहमत होंगे अगर कल को उ०प्र० को हाइड्रो विद्युत मिलनी बंद हो जाय और यहां किसी कारण से थर्मल बिजली न मिले तो उ०प्र० की क्या स्थिति होगी, उ०प्र० का विकास कैसे होगा, हम यहां के लोगों को रोशनी कैसे दे पायेंगे, कैसे लोगों के घरों में उजाला होगा, उ०प्र० की जनता और कल के बच्चे ऐसा महसूस न करें कि जिन लोगों ने उत्तरांचल बनाया वह उ०प्र० के हित में नहीं था, यहां के मूल्य पर यह राज्य बनाया। इसलिए आने वाले समय में कोई कठिनाई पैदा न हो और इस सरकार को न कोसें।

अलग राज्य बन जाने पर जो नयी योजनायें पानी की बनायें उसमें वह स्वतंत्र हैं, उस पर पूरी तरह से उनका अधिकार रहेगा। इस संकल्प में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो आज पा रहे हैं उससे अधिक मिलेगा। जो चीज आज है उसी पर अधिकार रहेगा वह इसलिए कि भविष्य में आने वाले वर्षों में कोई विवाद न पैदा हो।

श्री मुन्ना चौहान—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ ध्यान दिलाया है। मैं पूरे वक्तव्य पर नहीं उसके एक अंश पर जा रहा हूँ जिसमें कहा है कि जो उ० प्र० को विद्युत की जरूरत है अगर वह एन० टी० पी० सी० से मिलनी बंद हो जाय तो उसके वास्ते हम उत्तराखण्ड में स्थित योजना पर उ० प्र० का स्वामित्व कर रहे हैं। आज वर्तमान में जो पूर्व की उ० प्र० सरकार है उसे बिजली देने के लिए उत्तराखण्ड बाध्य होगा। मेरी यही आपत्ति हैं, जो हम उत्पादन कर रहे हैं वह बिजली हमारी है। अगर उ० प्र० को बिजली की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से उ० प्र० के साथ जो क्रय विक्रय अनुबंध होगा वहां से बिजली उपलब्ध कराई जायेगी। मेरा यही सवाल है इसमें कोई गलत नहीं है। जो थर्मल पावर हाउस उ० प्र० में चल रहे हैं उसका इंतजाम करना आपका होगा उसी तरह वहां का इंतजाम हमारा होगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

उत्तर प्रदेश का एक अलग राज्य बनाने के संबंध में सदन में प्रस्ताव कई बार हो चुके हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के विभाजन का प्रश्न है, भारत के अन्दर कहीं भी इस प्रकार की समता नहीं है। हिमांचल प्रदेश और पंजाब बना, हरियाणा और पंजाब बना लेकिन वहां की परिस्थितियां यहां की परिस्थितियों से भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत और जल के स्रोत उत्तरांचल में हैं। अगर हम आंख मूंदकर यह उत्तरांचल को दे दें तो यह उचित नहीं होगा।

लोकतंत्र में यही व्यवस्था हमेशा नहीं रहेगी। राज्यों के बीच विवाद होने से हमारी परियोजनायें पड़ी हुयी हैं जैसा कि मैंने अभी बताया कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सहमति न होने के कारण कई योजनायें पड़ी हैं। हरियाणा हमें ताजेवाला से 10-15-20 दिन और एक महीने बाद पानी देता है। तो इस समय जो प्रदेश को सुविधा प्राप्त है वह सुरक्षित रहे और किसी तरह की विषम परिस्थिति न पैदा हो जितनी बिजली हमको मिल रही है जितनी बिजली उनको मिल रही है वह मिलती रहे तो दोनों के हित सुरक्षित रहेंगे। अगर दोनों के हित सुरक्षित नहीं रहे तो विवाद होंगे। जब दो भाइयों में बंटवारा होता है और सही रूप से होता है तो दोनों भाई प्रेम से रहते हैं लेकिन जहां पर आपसी हित सुरक्षित नहीं रहते हैं वहां विवाद होते हैं।

अगर हम उत्तरांचल को वहां पैदा होने वाली सारी बिजली दे दें तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश उद्योग बंद हो जायेंगे और गांव-गांव इसकी चर्चा होगी और विवाद होगा तो शायद पार्लियामेन्ट इसको पास नहीं कर पायेगी। इसलिए दोनों के हित सुरक्षित रहें यही हम चाहते हैं। उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में आज जिस तरह से सहयोग और सामंजस्य है वह आगे भी बना रहे तो एक दूसरे का विकास होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संकल्प को यह सदन सर्व सम्मति से पारित करे।

श्री शिवपाल सिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय आज वर्तमान सरकार की उत्तरांचल के विभाजन के बारे में नीति साफ नहीं हैं। सरकार उत्तरांचल बनाना नहीं चाहती है। पहले हरिद्वार को उत्तरांचल में जोड़ने का काम किया गया और जब इस सरकार को खतरा पैदा हुआ तो हरिद्वार को निकाल दिया गया। मान्यवर, आज ऊधमसिंह नगर की अधिकांश जनता उत्तर प्रदेश के साथ रहना चाहती हैं। वहां के चुने हुये जनप्रतिनिधि और लगभग 84 ग्राम सभाओं के जनप्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में रखने का संकल्प लिया है। आज ऊधमसिंह नगर की जनता आन्दोलित है। वहां के लोग जेलों में बंद हैं इसलिए ह

चाहते है कि ऊधमसिंह नगर को उत्तर प्रदेश में ही रखा जाय। आज सरकार की नीयत उत्तरांचल के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिये नहीं है। आज यह सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के विकास के मामले में हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है, हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। उत्तराखण्ड अभी बना नहीं है लेकिन आज ही से विवाद शुरू हो गया है। मान्यवर, आज इस सरकार को खतरा भी है। आज ऊधमसिंह नगर को अलग न करके उत्तर प्रदेश में ही रखा जाये। वहां की जनभावनायें भी यही हैं कि वह उत्तर प्रदेश के साथ रहेंगे। लेकिन जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तराखण्ड की जनता की मांग थी कि अलग राज्य बने। समाजवादी पार्टी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजा था। आज ऊधमसिंह नगर की जनता की भावनायें उत्तर प्रदेश में रहने की है।

आज लगभग 95 प्रतिशत ऊधमसिंह नगर की जनता उत्तर प्रदेश में रहना चाहती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऊधमसिंह नगर को उत्तर प्रदेश में ही रखा जाये और जो आन्दोलन व प्रदर्शन वहां पर चल रहे हैं वह समाप्त हो। मुझे उम्मीद है कि हमारे संशोधन को यह सरकार सम्मिलित करेगी। अगर उत्तर प्रदेश की जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं तो ऊधमसिंह नगर को उत्तर प्रदेश में ही रखा जाये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

*श्री रघुनाथ सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे आपने बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल प्रदेश की जनता की ओर से लगातार यह मांग कई सालों से की जाती रही है कि उत्तरांचल राज्य का गठन वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप किया जाये। प्रथम बार वर्ष 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में बनी तो उन्होंने 12 अगस्त, 1991 को एक प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा। आज भी उत्तरांचल में 12 अगस्त को उत्तरांचल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मान्यवर, संविधान की यह व्यवस्था भी है कि प्रत्येक क्षेत्र का समान रूप से विकास हो और समान रूप से विकास के लिए उत्तरांचल क्षेत्र की जो विषम परिस्थिति है और वहां की समस्यायें हैं, विषय हैं। वहां पर जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया इसलिए वहां की जनता ने यह माँग की है, मैं इस विधेयक पर बल देते हुये माननीय मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी, सभी सहयोगी दलों के नेताओं, माननीय प्रधान मंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी को भी अपने क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं कि वे इस विधेयक को पारित करायेगें।

आज का दिन उत्तरांचल प्रदेश की जनता के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वह भी हमारी जनता की भावनाओं के अनुसार इस विधेयक पर अपनी पूर्ण सहमति देगें। परन्तु हमारे कुछ प्रतिपक्ष के लोगों की जो भावनायें आयी हैं, विशेषकर ऊधमसिंह नगर के विषय में, ऊधमसिंह नगर जब पहली बार कल्याण सिंह सरकार द्वारा 1991 में बिल प्रस्तुत हुआ, दोबारा मुलायम सिंह द्वारा इस प्रस्ताव को पारित किया गया था, और उस वक्त से ऊधमसिंह नगर नैनीताल का अंग है। पहले अलग जनपद नहीं था नैनीताल का अंग था। यह उत्तरांचल का आंगन है और बिना आंगन के घर अधूरा और अपूर्ण होता है। श्री शिवपाल सिंह और अन्य कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वहाँ की जनता नहीं चाहती है कि ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में जाये ऐसी बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। 20 अगस्त, 1998 को अटल बिहारी जी के साथ हम सभी लोगों ने वार्ता की थी उसमें श्री के० सी० सिंह बाबा जो वहाँ के विधायक हैं उनका भी यही मानना था। वहाँ के चेयरमैन वह भी चाहते हैं कि ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में रहे। सात में से 6 विकास खण्ड में सबकी राय यही है कि ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में रहे। जो भाषा और संस्कृति की बात की जा रही है हमारी विभिन्न भाषाएं हो सकती हैं, हमारे देश में विभिन्न लोग हो सकते हैं लेकिन हमें एक जन की बात करनी चाहिए वहाँ का रहन-सहन पूरा पर्वतीय क्षेत्र से मिलता है।

सारे कार्यक्रम एक साथ होते हैं। वहाँ की संस्कृति एक है। हमारे बीच अवरोध पैदा किया जा रहा है कि वहाँ के लोग मिलना नहीं चाहते। यह गलत बात है। आज ऊधमसिंह नगर को लेकर राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं। उसे अलग करने की चेष्टा की जा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऊधमसिंह नगर के 80-84 प्रतिशत लोग उत्तरांचल के साथ रहना चाहते हैं। वहाँ की जनता में अपार हर्ष है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

* श्री गोपाल कृष्ण—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ। श्री अम्बरीष कुमार, श्री शिव पाल सिंह जी और सैनी जी ने जो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ। यह बड़े दुख की बात है जो लोग अखण्ड भारत की बात करते थे वह खण्डित भारत की स्थापना करने लगे हैं यह बड़े दुख की बात है। यहां बैठकर महान उत्तर प्रदेश को टुकड़े कर देने पर गौरव की बात कही जा रही है। मुझे इस बात पर दुख है। उत्तर प्रदेश का वह अंग जो ऋषियों, मुनियों की तपोस्थली रही है, उसको अलग कर देना चाहते हैं और कहते हैं कि यह ऐतिहासिक दिन है। हिमालय हमारे प्रदेश का मुकुट है पतित पावनी गंगा वहां से निकलती है वह तो इनको सद्बुद्धि आ गई नहीं तो यह हरिद्वार, उत्तर प्रदेश से अलग कर देना चाहते थे। ईश्वर ने इनको सद्बुद्धि दे दी और इन्होंने संशोधन कर दिया। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के पड़ोस में ऊधमसिंह नगर पड़ता है वहां की जनता, दलित, पिछड़ी और गरीब है। यह उसके वोट की राजनीति करने की बात करते हैं। वोट की राजनीति करने वाले लोग ऊधमसिंह नगर की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वह जाबांज कौम है और जाबॉज कौम रही है और जिसका कुर्बानियों का इतिहास रहा है इसलिये इस कौम का सम्मान होना चाहिए। ऊधमसिंह नगर नाम की इस जाबॉज कौम के व्यक्ति के नाम से पड़ा है, जिसने इंगलैण्ड में जाकर जनरल डायर को गोली मारी थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें सद्बुद्धि दे कि ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में शामिल न किया जाये नहीं तो इसका खामियाजा इन्हें भुगतना होगा। हमारी पार्टी के मुखिया तथा समाजवादी पार्टी इसके लिये आन्दोलन करेगी। परन्तु यह सरकार तो संवेदन शून्य है।

ऊधमसिंह नगर के लोग यहां पर अपनी बात कहने के लिये आये थे, उनको यहां पर शासन ने बेरहमी से पुलिस द्वारा पिटवाया और जेल में बन्द कर दिया। इस प्रकार यह सरकार प्रजातांत्रिक शक्तियों का गला घोटने का काम कर रही है। ऊधमसिंह नगर के लोगों ने मेहनत करके, संघर्ष करके, जंगल तथा झाड़ को काट करके हरितक्रान्ति इस देश में लाये और प्रदेश की हरितक्रान्ति में नम्बर एक पर लाये। यह जो संकल्प आज यहां पर प्रस्तुत किया गया है इसमें राजनैतिक बू आ रही है। आने वाली पीढ़ी इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। प्रदेश का बटवारा करने वाले लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा यह बेगुनाहों का लहू है, रंग लायेगा, दाग दामन पर न आया तो दिल पर आयेगा, आने वाला है दिन कयामत का, कोई जालिम न बख्शा जायेगा। इसलिए अधिष्ठाता महोदय इस संकल्प से ऊधमसिंह नगर को निकाला जाय और उसे उत्तर प्रदेश में ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखा जाय, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर निकलकर आयेंगे और इसके लिए आन्दोलन करेंगे।

मान्यवर, मैंने कल ही इस सदन में सूचना भी दी थी और आज भी नियम 301 के द्वारा इस मामले को उठाने की कोशिश की थी। केशरपुर थाना माधोटांघ पूरनपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा दो छात्राओं के साथ 16/17 की रात में बलात्कार किया और जिला पुलिस अधीक्षक उन्हें बचाने का कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा बंद का आयोजन करने के बाद समाजवादी पार्टी के बाबू धीरेन्द्र सहाय, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश शासन और राजीव दीक्षित, सैयद जमीर अख्तर रश्मी, गुलाम नबी, चन्द्रभान त्रिपाठी, श्री बृज पाल यादव आदि को 21 तारीख को पुलिस ने उन्हें उठाकर बंद कर दिया। इस प्रकार मान्यवर, यह सरकार प्रजातंत्र का गला घोंट रही है। शान्तिपूर्ण तरीके से ये लोग अपना काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी इस जुल्म-सितम से डरने वाली नहीं है। हम आन्दोलन करेंगे। मेरी मांग है कि इन लोगों को जेल से रिहा किया जाय और जो दोषी पुलिस कर्मी हैं, उन्हें दण्डित किया जाय। क्योंकि पुलिस अधिकारी इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं कि पुलिस कर्मी इस काण्ड में थे। ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल से अलग किया जाय। (धन्यवाद)

* उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री बंशीधर भगत)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के पक्ष में बोलने के लिए जो समय आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उत्तरांचल की जनता जो पिछले अनेक वर्षों से एक बड़ा आन्दोलन कर रही थी, संघर्ष कर रही थी इतने काफी लम्बे अरसे के संघर्ष के बाद, काफी बलिदान देने के बाद, काफी कुर्बानियाँ देने के बाद आज वहां की जनता उस स्वर्णिम अवसर के निकट पहुंची है।

मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को, प्रदेश की सरकार को जिसने पहले प्रस्ताव किया था, वहां की जनता की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, इस बीच में उत्तरांचल की जनता विभिन्न राजनैतिक दलों की विकृत मानसिकता की बड़ी यातनाओं का शिकार हुई है। खटीमा और मंसूरी काण्ड वहां के लोगों ने सहा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज मैं इस माननीय सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उत्तरांचल का वह आन्दोलन नहीं देखा है वे कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कभी उत्तरांचल की भोली-भाली जनता सड़कों पर उतर कर इस तरह का आन्दोलन कर सकती है। मुझे वह दिन याद है जब उत्तरांचल की सड़कों पर ऐसा लगता था कि सारे घरों से लोग निकलकर सड़कों पर उतर आये हैं।

हमारी माताओं, बहनों, बच्चों और बुर्जुगों ने यहां तक कि सरकारी नौकरियों के लोगों ने विभिन्न संस्थाओं ने वहां पर मिलकर भयानक संघर्ष, की, आन्दोलन की शुरूआत की थी। और हमारे प्रदेश के कई राजनैतिक दलों ने उसमें सौदागीरी करने की कोशिश की थी और उसका दुष्परिणाम उन लोगों को भोगना पड़ा कि सबका वहां से सफाया हुआ है। मैं इस सब कार्य के लिए माननीय मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह जी, सहयोगी अन्य दलों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत के मुखिया हमारे प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेई जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को और इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उत्तरांचल की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए अलग प्रदेश का गठन किया है। यहां पर अभी एक बात आ रही थी हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की। हरिद्वार हमारा पहाड़ का क्षेत्र है और हम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी और सभी सहयोगी दलों से निवेदन करना चाहते हैं कि हरिद्वार को उत्तरांचल के भीतर रखा जाय। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यहां पर यह कहा जा रहा था कि हरिद्वार को नहीं लिया जा रहा है तो ऊधमसिंह नगर को भी न लिया जाय। दो में से एक को लेने की बात हो। हमारी दो कमिश्नरीज हैं कुमाऊं और गढ़वाल। ऊधमसिंह नगर कुमाऊं में है और हरिद्वार मेरठ में है। पिछले 3 प्रस्तावों में हरिद्वार का कोई जिक्र नहीं आया। इतने विशाल आन्दोलन में हरिद्वार में कोई आन्दोलन नहीं हुआ। हमारे ऊधमसिंह नगर क्षेत्र में जितना आन्दोलन हुआ उतना पहाड़ी क्षेत्र में नहीं हुआ।

ऊधमसिंह नगर में, रुद्रपुर, किच्छा, बाजपुर, काशीपुर आदि जगहों पर आन्दोलन हुए। ऊधमसिंह नगर वह स्थान है जहां खटीमा काण्ड हुआ। आज यह कहा जा रहा है कि ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल से अलग रखा जाये। मैं कह देना चाहता हूँ कि यह एक झूठा ज्ञापन है उस पर सभी लोगों ने एक साथ बैठकर दस्तखत किये हैं। तिलक राज बेहड़ जी हमारे वहां से विधायक हैं। इसी तरह से श्री के० सी० सिंह बाबा हैं जो कि कांग्रेस के विधायक हैं और खुलकर इसका समर्थन किया है और इस बात को माना है कि उत्तरांचल का अभिन्न अंग ऊधमसिंह नगर है।

उत्तरांचल में रहना चाहिए। हमारे खटीमा क्षेत्र का जो भाग ऊधमसिंह नगर का है उसके विधायक सुरेश जी का मानना है सब का यह मानना है कि ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल का हृदय है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तरांचल की जनता को–(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने एवं माननीय अधिष्ठाता महोदय के अन्य माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं अन्त में संक्षेप में अपनी बात समाप्त करते हुए वहां की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी एकता की शक्ति से उत्तरांचल का सपना साकार हुआ है। माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ अलग होने पर कष्ट तो होगा लेकिन सबको धन्यवाद देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ उत्तरांचल में आते रहियेगा।

उत्तराचंल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक')—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर जबकि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन विधेयक पर इस माननीय सदन में चर्चा हो रही है मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जो इस सदन के नेता हैं, हमारे सहयोगी दल का समर्थन सदन के सदस्यों के प्रति मैं विनम्रता और गदगद भाव से आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, यह कुछ क्षण ऐसे हैं जबकि किसी राज्य के जन्म पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो रही है। वह निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश जो हमारे लिए प्रेरणा का विषय रहा है निश्चित रूप से उसके विभाजन से सभी लोगों के मन में, इतने वर्षों तक साथ-साथ रहकर जिस प्रदेश ने सानिध्य दिया हो स्वाभाविक है आत्मीयता के वह क्षण संयोजित हो रहे हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ उत्तरांचल राज्य का गठन केवल वहां की राजनैतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नहीं हो रहा है। उत्तरांचल राज्य का गठन इस देश की एकता, अखंडित राज्य, राजनीतिक उन्नयन के लिए हो रहा है। इस देश ने प्रदेश को मार्गदर्शन दिया है जहां से गंगा निकलती है जहां से यमुना निकलती है।

(समय 3.00 बजे)

श्रीमन्, बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री न केवल धार्मिक रूप में प्रसिद्ध है बल्कि सारे देश को एक सूत्र में उसने बांध रखा है। जहां गंगा और यमुना जैसी नदियों ने सारे देश को एक सूत्र में बांध रखा है। ऋषियों और मुनियों की वह तपस्थली रही है केवल उन्हीं के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रही है, हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस क्षेत्र के निवासी हैं। जहां पर वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना रहती हो और जो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा उत्तरांचल क्षेत्र तीन-तीन विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह चीन तिब्बत और नैपाल से घिरा हुआ क्षेत्र है और जिसने इस देश की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो। चाहे वह आजादी के समय का आंदोलन रहा हो।

मान्यवर, वहां पर जो दो-दो सौ की जनसंख्या वाले गांव हैं उन्होंने 20, 25 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिये हैं, चन्द्र सिंह गढ़वाली जैसे लोग उस धरती ने दिये हैं जिन्होंने पेशावर कान्ड में स्वाधीनता का बिगुल बजाया था उन्हीं के तप और त्याग के कारण हम यहां पर बैठे हुए हैं। जिसकी पुण्य धरती एक लम्बे समय से विकास के लिए छटपटाती रही है आज उसी पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिए जो विधेयक लाया गया है उस पर हम चर्चा के लिए बैठे हैं। श्रीमन्, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरुणांचल प्रदेश जैसे छोटे-छोटे प्रदेश इस आधार पर बने थे कि उनको विकास का मौका मिलना चाहिये तो निश्चित रूप में उसका उत्तराधिकारी उत्तरांचल क्यों न हो क्योंकि यह दोहरी पंक्ति में देश की सेवा कर रहा है। मान्यवर, एक तरफ तो हमारे नौजवान जो कि सेना में हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज करीब हर परिवार से एक नौजवान सेना में है और वह देश की सेवा कर रहा है, तो वह नौजवान अपनी जान हथेली में रखकर देश की सेवा कर रहा है वहीं दूसरी ओर उनकी मां बहनें भी हिमालय की गोद में बैठकर देश की सेवा कर रही हैं।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूँ कि सन् 1965 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तब गढ़वाल रेजीमेंट ने उन्हें 48 घंटे तक रोके रखा था। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस क्षेत्र के निवासी हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। इसलिए उस क्षेत्र के बारे में बार-बार बिन्दु उठाना या आशंका करना इस देश के देश भक्तों के साथ अन्याय होगा। श्री चन्द्र सिंह गढ़वाली का जिक्र आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 23 अक्टूबर, 1930 को जब पेशावर काण्ड हुआ था तो उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया था और बगावत कर दी थी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें दो-दो बार कालापानी कर दिया था। मान्यवर, आज वहां से नौजवानों का पलायन हो रहा है और उस क्षेत्र का विकास अवरूद्ध हो गया है। जो क्षेत्र देश को सैनिक देता है।

अब यदि वहां के नवयुवक पलायन करें तो उससे देश की सीमाओं पर भी संकट बनेगा इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को केन्द्र की सरकार को माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय अटल जी को आदरणीय कल्याण सिंह जी को जिन्होंने की उस क्षेत्र की पीड़ा को जाना सामरिकता को पहचाना एकता और अखंडता सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक पहलुओं जिसको लेकर वह स्थान विख्यात है उनकी संवेदनाओं को पहचानते हुए उत्तरांचल के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया और हरेक कदम कठोरता से लेते हुए आगे बढ़ने का लक्ष्य रहा। मान्यवर, तमाम हमारे साथियों ने देखा होगा दुनिया में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा जो इतना भीषण हो लेकिन उसमें लोग कभी भी पथ से नहीं भटके। भीषण आंदोलन जिसमें तमाम कुर्बानियां और संकट जुड़े हैं, आज पूरे उत्तरांचल की जनता गद्गद् है और इस महान के आशीर्वाद के लिए आंखें लगाये बैठी है।

मान्यवर, जहां तक विकास की बात है, निश्चित रूप से पिछले 50 साल में विकास नहीं हो सका उसके तमाम प्रकार के कारण हैं आंदोलन हुए लेकिन समुचित विकास नहीं हो सका।

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी । मान्यवर, मैं जब यहां सुन रहा था मुझे आश्चर्य हो रहा था कि खटीमा कांड, मसूरी कांड, मुजफ्फरनगर कांड हुए, ऊधमसिंह नगर को लेकर तमाम तरह की चर्चायें चल रही हैं । यदि समाजवादी पार्टी के लोग ऊधमसिंह नगर के इतने हितैषी हैं तो 2 सितम्बर को वह खटीमा कांड जिसमें तमाम लोगों की जानें गयी हैं कत्ले आम किया गया है, वह खटीमा कांड उत्तरांचल के कारण हुआ । ऊधमसिंह नगर के लोगों ने मुखर होकर आंदोलन किया।

समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसमें सैकड़ों-सैकड़ों लोग घायल हुए थे आज ऊधमसिंह नगर के मुद्दे को साजिश के तहत बिन्दु बनाया गया है । हमारे बगल में तिलक राज बेहड़ जी बैठे हुए हैं यह ऊधमसिंह नगर सामने काशी सिंह बाबा जी हैं वह हमारे दल के नहीं हैं लेकिन जो अखबारों में उनके बयानात आये हैं वह देखें । ऊधमसिंह नगर से आज एम०पी० भी हमारे हैं, कौन लोग रहना चाहते हैं यह देख लें । अभी शिवपाल यादव जी जनप्रतिनिधियों की बात कह रहे थे, विधायक सांसद और वहां की जनता उत्तरांचल के पक्ष में है, उसमें उसकी कुर्बानियों और संघर्ष की गाथा है । मान्यवर, कौशिक समिति की रिपोर्ट है मान्यवर शीर्ष पर बैठे हुए लोगों का, शीर्ष पर रहने वाले लोगों का कद होना चाहिये । यदि राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का आचरण ठीक नहीं होगा कथनी और करनी में समानता नहीं होगी तो देश के लिए संकट पैदा होगा इसलिए लोगों का राजनीतिक लोगों पर अविश्वास पैदा हो रहा है ।

मान्यवर, यह कौशिक समिति का प्रतिवेदन 1994 का है । कौशिक समिति मुलायम सिंह यादव जी ने बनायी थी । यह नक्शा है भावी उत्तरांचल कौन सा होगा वर्तमान में कौन सा है । हमारे मित्रों ने कहा कि ऊधमसिंह नगर उस समय नहीं था ठीक कहा उस समय नहीं था । 1995 में ऊधमसिंह नगर जिला बनाया गया था 1997 में तीसरी बार प्रस्ताव किया था तब भी समाजवादी पार्टी की बागडोर थी तब भी किसी व्यक्ति ने खड़े होकर नहीं कहा कि ऊधमसिंह नगर नहीं जाना चाहिए ।

आदरणीय मुलायम सिंह जी का नाम संदर्भित करना इसलिए जरूरी हो रहा है कि 24 अप्रैल, 1994 को प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया, ऊधमसिंह नगर उस समय नैनीताल का हिस्सा था, मुलायम सिंह जी उस समय केन्द्र में रक्षा मंत्री थे देवगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे । 13 अगस्त, 1996 को उन्होंने आंशिक सहमति दी कि उत्तराखण्ड बने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घोषणा की गयी । 26 सितम्बर, 1996 को केन्द्र सरकार के मंत्रि-परिषद् में जिसमें मुलायम सिंह जी भी उपस्थित थे उत्तराखण्ड का विषय पेश किया गया जिसमें ऊधमसिंह नगर जिला भी था ।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्रीमन्, यह रिपोर्ट है, मैं उसके पीछे जाता हूँ तो मेरी आँखों में आँसू आते हैं, मुजफ्फरनगर का खटीमा का कांड नजर आता है । मैं आरोप लगा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर उत्तरांचल राज्य का निर्माण नहीं करने देना चाहती है इसीलिए कभी ऊधमसिंह नगर जिले की बात उठा देती है और कभी कुछ बात उठा देती है ।

श्रीमन्, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऊधम सिंह जिले का बहुत अच्छा सौहार्द रहा है और इसीलिए सौहार्दतापूर्वक जो लोग रहते हैं उनके पीछे इस तरह के भाव पैदा करेंगे । आज ठीक है, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारतवर्ष का विभाजन हुआ था उस समय वहां से जो लोग बेघर हुए थे, गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने तराई के नैनीताल जिले में उनको बसाया था । तमाम बंगाली और सिक्ख भाई विभाजन के समय आये थे उस समय वह जंगल था लेकिन मेहनत करके उन्होंने उसे सोना बना दिया । उन्होंने उत्तरांचल के आन्दोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया । चीमा साहब ने

उस समय ऐसे-ऐसे गीत लिखे थे उत्तरांचल के पक्ष में । हेमुकुण्ड साहब उत्तरांचल में है वहां ऊधमसिंह नगर ही नहीं पूरी दुनिया के सिक्खों को सम्मानित करने का अवसर होता है । गुरू नानक मत्था वहां पर चम्पावत जिले में है जहां गुरू गोविन्द सिंह जी की तपस्थली है वहां संस्कृति की बात उठायी जाती है । पहाड़ में तो 10 कि० मी० पर भाषा बदल जाती है । 50 वर्षों से हम सौहार्द से रहते रहे हैं । ऊधमसिंह नगर के सिक्ख प्रधान मंत्री जी से मिलने गये, आशू सिंह भी थे, आपके साथी हैं, कुछ लोग आपके बहकावे में कह रहे हैं, 3 सिक्ख वहां ब्लाक प्रमुख थे और तमाम जनप्रतिनिधि थे, दिल्ली गये थे ।

आज इस सदन में यह बात ठीक नहीं लगती है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऊधमसिंह नगर के लोग उत्तराखण्ड के साथ हैं । उनके मन में यह आशंका पैदा कर दी गयी थी कि भूमि का अधिग्रहण हो जायेगा मैं भारत सरकार का आभारी हूँ इसमें यह हुआ कि जो उत्तर प्रदेश के अन्दर सीलिंग ऐक्ट होगा वही उत्तरांचल के अन्दर ही होगा । श्रीमन्, इसलिए उनकी आशंका खत्म हो गयी । श्रीमन्, मुझे आश्चर्य है कि जो हरिद्वार के विधायक हैं अम्बरीष जी उन्होंने कुछ बिन्दु उठाये मुझे विश्वास नहीं था कि वह इतने दबाव में आ जायेंगे । मैं मुन्ना सिंह चौहान जी को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम उन्होंने सच को सच कहने की हिम्मत की है । एक आपत्ति है कि जो आपने कहा कि मालपा और उस स्थान पर अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों की लाशें पड़ी रही हैं, अम्बरीष जी माफ कीजियेगा हर स्थान पर गया हूँ दूर-दूर तक की ऐसी भावना नहीं है उसको जबरदस्ती संदर्भित करने का कष्ट नहीं है ।

वहां के लोगों ने देश के लिए समर्पण किया है। मैं कहना चाहता हूं कि 12 अगस्त, 1991 को आदरणीय कल्याण सिंह के नेतृत्व में जो पहल हुई थी उत्तरांचल निर्माण की उसके संबंध में तीसरा प्रस्ताव 24 अप्रैल, 1997 को भेजा गया। मान्यवर, नैनीताल और मंसूरी की बात होती है। तो 2 अक्टूबर, 1994 को जिस दिन महात्मा गांधी की अहिंसा की बात होती है और "रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम" की गूंज उठ रही थी उस दिन वहां जिस तरह का कांड हुआ था उसके स्मरण मात्र से बदन में सिहरन पैदा हो जाती है और उस कांड से हम सब का सिर शर्म से झुक जाता है।

मान्यवर, मैं इस संबंध में केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल के लोगों की जो कुरबानिया रही हैं उनका सभी ने अहसास किया था और सहभागिता प्रस्तुत किया। इसलिए सभी माननीय सदस्यों को और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों को उत्तरांचल क्षेत्र की जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यह उत्तरांचल के गठन का सवाल है। लेकिन् परिसंपत्तियों के बंटवारे की बात यहां उठाना ठीक नहीं है और जब उत्तरांचल अस्तित्व में आ जाएगा तो दोनों प्रदेशों पर निर्भर होगा कि कैसे हम बंटवारा करें और मिलकर इस समस्या का निराकरण कर लिया जाएगा। इसलिए उत्तरांचल के गठन का जो प्रस्ताव है उस पर सभी लोगों की सहभागिता और सहयोग आवश्यक है जिसके लिए मैं सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि आप सभी का उत्तरांचल के साथ आशीर्विद होगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, तीन मंत्रियों को डेढ़ घंटे से अधिक का समय दिया गया है। इसलिए जो इधर के मा० सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं उन पर आपकी उदारतापूर्वक कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष —

पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। सभी सदस्य विद्वान हैं और सक्षम हैं कम शब्दों में अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख सकें इसलिए 5-7 मिनट में आप लोग अपनी बात कह देंगे।

श्री हुकुम सिंह —

मेरा अनुरोध है कि जो प्रकरण चल रहा है वह महत्वपूर्ण है लेकिन आज ही सदन है और महत्वपूर्ण विधेयक भी आने वाला है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं और 4 बजे तक यह हो जाए तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रयास करेंगे कि 4 बजे तक हो जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

* श्री बाबू राम यादव —

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तराखंड संशोधन विधेयक पर संशोधन में बोलने की अनुमति प्रदान किया। मान्यवर, वैसे तो विखंडन या बंटवारा किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। अभी हमारे साथी बाजपेयी जी बड़ी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, इतना विशाल प्रदेश आज बंट रहा है और हम लोग उसमें भाग ले रहे हैं। यह सही बात है कि आज इसकी पीड़ा हमको है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश बंट रहा है। हमारे प्रदेश के रहने वाले भाई जो पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं, उनकी इच्छा है और वह यह समझते हैं कि पहाड़ अलग राज्य हो जायेगा तो हमारी बहुत बड़ी तरक्की हो जायेगी, हम प्रगति के रास्ते पर जा सकते हैं, इस विशाल उत्तर प्रदेश के साथ रहते उनकी तरक्की संभव नहीं है तो अगर यह उनकी इच्छा है तो हम सहर्ष अलग उत्तराखंड राज्य का समर्थन करते हैं।

मान्यवर, कई विसंगतियां हैं, काफी देर से इस पर चर्चा हो रही है।इस पक्ष के और उस पक्ष के जो माननीय सदस्य अपने विचार रख रहे हैं, उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है। लोगों की इच्छा क्या है इस पर सही विचार अभी तक नहीं आये। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखंड अलग राज्य बना दिया जाय, उसके बाद हमारी सरकार आई उसने भी कहा कि उत्तराखंड को अलग कर दिया जाय, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सम्मिलित सरकार आई, उसने भी कहा कि उत्तराखंड राज्य अलग कर दिया जाय। इसमें दो चीजें आई, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, उसकी जो सिफारिशें हैं, उस पर किसी भी पार्टी ने, किसी भी दल ने या माननीय नेता सदन ने कोई प्रकाश नहीं डाला, उस पर विचार का कोई बिन्दु आया ही नहीं।

हरिद्वार को अलग कर दिया और ऊधमसिंह नगर को शामिल कर दिया। अभी माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने प्रस्ताव किया था, उसको हम स्वीकार करते हैं, वह कौशिक समिति की रिपोर्ट को दिखा रहे थे, मैं उस समिति का सदस्य था। मैं मानता हूं कि हमने प्रस्ताव किया था कि उत्तराखंड राज्य अलग हो और हम आज भी उस पर कायम हैं और खुशी-खुशी अपने पहाड़ के भाइयों को अलग उत्तराखंड राज्य के लिये अपनी शुभकामनायें भी देते हैं लेकिन मान्यवर, जहां तक कौशिक समिति की रिपोर्ट है, मैं उसके संबंध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी बात से हटकर कभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सोचा ही नहीं। उनकी सरकार ने उनके साथियों ने आज तक कभी यह नहीं सोचा कि उत्तराखंड राज्य न बने। जहां तक ऊधमसिंह नगर की बात है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार को अलग कर दिया, महामहिम राष्ट्रपति जी ने या केन्द्र सरकार ने यह कहा कि हरिद्वार को छोड़कर प्रस्ताव कर लीजिये, अब जैसा प्रस्ताव वहां से आया, उसी प्रकार माननीय नेता सदन ने प्रस्ताव तैयार किया और हरिद्वार को अलग कर दिया। हरिद्वार अलग क्यों हुआ? क्या यह राजनीतिक इच्छा है इस पर अभी न इधर के न उधर के लोगों ने कुछ कहा।

हरिद्वार को अलग करने का विचार भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, हरिद्वार को अलग करने का विचार माननीय सदन का नहीं है और इस सरकार का भी नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी है कि विश्व हिन्दू परिषद् के दबाव मे वहां के साधु, पंडों, महात्माओं के दबाव में इसको अलग किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर अकाली दल के केन्द्र में 10-15 सांसद होते तो यह सरकार घुटने टेककर ऊधमसिंह नगर को भी अलग कर देती।

सरकार ने हरिद्वार को उत्तरांचल से जो अलग किया है, वह अहसान नहीं है। सरकार पर राजनीतिक दबाव था और विश्व हिन्दू परिषद के दबाव में इस सरकार ने घुटने टेक दिया और विश्व हिन्दू परिषद के निर्देश पर हरिद्वार को अलग कर दिया अगर अकाली दल का भी हस्तक्षेप होता, उसका दबाव होता तो ऊधमसिंह नगर भी अलग कर दिया गया होता। मैं कहना चाहता हूं कि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में बिल्कुल नहीं जाना चाहिये। जब कौशिक समिति गठित हुई, उस समय इस जिले का नाम ही नहीं था, मैं भी उस समिति का सदस्य रहा हूं। मान्यवर, अब तक जितने भी वैधानिक दस्तावेज हैं, अगर उन पर आप दृष्टिपात करें, तो वह कैसे उत्तरांचल में आ जायेगा। 1901 में यह रुहेलखन्ड में था और उसका एक हिस्सा मुरादाबाद में था। वहां के 70 प्रतिशत लोग पहाड़ में नहीं जाना चाहते हैं।

श्री भारत सिंह रावत—

कौशिक समिति की बैठक काशीपुर में भी हुई थी।

श्री बाबूराम यादव—

कौशिक समिति की बैठक काशीपुर में भी हुई थी और दूसरी जगहों पर भी हुई थी। उस समय ऊधमसिंह नगर नाम का जिला नहीं था। मान्यवर, राज्य का बटवारा तरक्की के लिये होता है और लोगों की इच्छा से होता है। अभी हमारे साथियों ने बताया कि 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों ने निर्णय लिया है कि वह उत्तर प्रदेश में रहना चाहती हैं। मान्यवर, पुनर्गठन का जहां तक सवाल है, एक भी बिन्दु ऊधमसिंह नगर में पूरा नहीं होता है। कांग्रेस के साथी हैं, मैं क्या टिप्पणी करूं, वह न नर हैं न नारी हैं, वह बेचारे हैं। मान्यवर, बड़ी चर्चा है, चर्चा इस बात की है कि माननीय कल्याण सिंह जी और बसपा की नेता माननीया मायावती जी के बीच कुछ गुप्त समझौता हुआ है और इसीलिये उनके सदस्य आज सदन में नहीं आये हैं।

हमारे नेता सदन इस कला में सिद्धहस्त हैं। वह बहुत बड़े कलाकार हैं और मायावती जी को राजी कर लिया कि वह अपने दल को सदन से वाक आउट करा लें। हकीकत को कोई कहना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री बाबूराम यादव—

जो हमारी पार्टी ने संशोधन रखा है हम उस पर बल देते हैं हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को अलग कर दिया जाय। तब जाकर आपकी सही स्थिति बनेगी वर्ना आगे चलकर लोग लड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जायेंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कालका को हिमांचल से काट कर हरियाणा में कर दिया उसी तरह से ऊधमसिंह नगर को भी उत्तराखण्ड से अलग कर देंगे इसलिये मेरा निवेदन है कि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर को अलग रखा जाय इसी में भलाई है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं और चर्चा समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बीच में हस्तक्षेप कर सकते हैं यह सदन की परंपरा रही है।

* मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)—

मैं चर्चा समाप्त नहीं करने के लिए कह रहा हूं। आप चर्चा कराइये। मैं बीच में इन्टर्वेशन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपकी अनुमति से चर्चा चलती रहेगी। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग बोल सकें जब तक चाहें आप बोलें।

श्रीमन्, अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं माननीय श्री बाबू राम जो इस सदन के बड़े ज्येष्ठ और वास्तव में श्रेष्ठ सदस्य हैं उनकी टिप्पणी से प्रारंभ कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि शायद बसपा के नेताओं से हमने कोई मेल मिलाप कर लिया है (व्यवधान) श्रीमन्, आपने नाम लिया था सुश्री मायावती का यही आप कहना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुश्री मायावती और उनकी बसपा के लोग कम से कम इतने हयादार और शर्मदार तो हैं कि उन्होंने जिस प्रस्ताव को यहां प्रस्तुत किया था और पारित किया था उसमें उनको लगा कि आज सदन में जाकर पारित किये गये उस प्रस्ताव का विरोध कैसे करेंगे इसीलिये वह अनुपस्थित हो गये। श्रीमन्, अब इनके बारे में मैं क्या बात कहूं?

श्रीमन्, मैं बड़ा कम समय लूंगा। इस सदन में अलग उत्तरांचल राज्य बनाने के लिए तीन-तीन बार प्रस्ताव पारित हुए हैं। दो प्रस्तावों में उत्तरांचल शब्द का प्रयोग किया गया है और एक प्रस्ताव में उत्तराखण्ड राज्य का नामकरण किया गया है। श्रीमन्, 12 अगस्त, 1991 को हमारी सरकार के समय अलग उत्तरांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। हमने उसको केन्द्र को भेजा। केन्द्र की सरकार उसको लटकाये रही। जिस समय हमने प्रस्ताव पारित किया था उस समय कुमायूं और गढ़वाल मंडल के 8 जनपद थे। इन 8 जनपदों में नैनीताल जनपद भी शामिल था। उसके पश्चात् श्रीमन्, जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री हुये तो 24 अगस्त, 1994 को एक दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ और श्रीमन्, उस प्रस्ताव में यह उल्लेख था कि इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उस क्षेत्र की विशिष्ट आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुये उस क्षेत्र के लिये अलग राज्य की स्थापना की जाय अतः यह सदन केन्द्र से यह सिफारिश करता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद-3 के अंतर्गत संसद द्वारा, विधि द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के कुमायूं मंडल और गढ़वाल मंडल के वर्तमान जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरकाशी और देहरादून के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुये उत्तराखंड नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की जाय।

जो प्रस्ताव किया गया था उसमें भी नैनीताल जिला था। इसके बाद 24 अगस्त, 1994 को जो प्रस्ताव उस समय के संसदीय कार्य मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने प्रस्तुत किया था, मेरे सामने बैठे हुये सभी माननीय मित्रों की स्मरण शक्ति पर कम से कम मैं संदेह नहीं करता हूं, उस समय इस प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे और कदाचित आज के सम्मानित नेता, विरोधी दल की स्मरण शक्ति पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज के माननीय नेता विरोधी दल उस समय पर अध्यक्ष की पीठ पर विराजमान थे और आज के नेता विरोधी दल ने उस समय अध्यक्ष की पीठ से प्रश्न उपस्थित किया था और वह प्रस्ताव पारित हुआ था। मैंने उस समय प्रस्ताव का समर्थन किया था, रिकार्ड में मौजूद है। मान्यवर, एक दूसरा प्रस्ताव 24 अप्रैल, 1997 को पारित हुआ उस समय सुश्री मायावती मुख्य मंत्री थीं। उस प्रस्ताव में उत्तराखंड के स्थान पर उत्तरांचल का नाम लिख दिया था।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने इंटरवीन करने की बात कही थी लेकिन आप तो चर्चा करने लगे। वह इंटरवीन कर सकते हैं भाषण नहीं कर सकते।

श्री प्रमोद कुमार—

माननीय नेता सदन पहले हम लोगों को सुन लें ताकि जवाब दे सकें।

श्री कल्याण सिंह—

आप सबके प्रश्नों के उत्तर मैं और मेरी सरकार देगी।

श्री धनीराम वर्मा —

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, यह मेरा निश्चित मत है और पूर्णतया सत्य है कि माननीय नेता सदन, सदन से अब बाहर जाना चाहते हैं। किसी दूसरे कार्य के लिए इण्टरवीन करने के नाम पर अपना भाषण करना चाहते हैं और यही उनका उद्देश्य है। यह हम लोगों की जो बात आयेगी उसको सुने उसके बाद उसका उत्तर दें तब तो यह उचित होगा। इसे रोका जाये और हम लोगों की बात आ जाये उसके बाद ही अपनी बात कहें।

श्री कल्याण सिंह —

श्रीमन्, मैं माननीय नेता विरोधी दल का बहुत सम्मान करता हूँ और आपके माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब सदन से उठकर वह चले जायेंगे और पता लग जायेगा कि वह इस परिसर से बाहर चले गये हैं मैं तब तक बैठने के लिए तैयार हूँ। यह आशंका क्यों है कि बोलकर चले जाने वाले हैं?

श्री अध्यक्ष —

मुख्य मंत्री जी आपकी बात सुनेंगे।

श्री कल्याण सिंह —

24 अप्रैल, 1997 को इस सदन में उस समय के संसदीय कार्य मंत्री श्री बी०आर० वर्मा जी थे, उन्होंने प्रस्ताव किया, उन्होंने कहा कि "मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, पौड़ी-गढ़वाल, देहरादून, चमोली और टेहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जनपदों को सम्मिलित करके उत्तरांचल नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना करे तब तक श्रीमन्, ऊधमसिंह

नगर नाम से अलग जिला बन चुका था। अब हमारे प्रस्ताव में 8 जिलों में नैनीताल जिला सम्मिलित था। मुलायम सिंह जी की सरकार के जमाने में अलग उत्तराखण्ड राज्य के मामले में नैनीताल जिला सम्मिलित था। सुश्री मायावती जी के जमाने में तब तक ऊधमसिंह नगर जिला अलग बन चुका था। इसलिए उन 8 जनपदों के साथ-साथ 9वां जनपद ऊधमसिंह नगर और जोड़ दिया। अब तो 12 जनपद बन चुके हैं। आज मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जो लोग समूचे नैनीताल को अलग उत्तरांचल राज्य में सम्मिलित करने का प्रस्ताव पारित कर चुके हैं, उसके समर्थन में यहां पर बोल चुके हैं, आज वही लोग ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल राज्य में मिलाने का विरोध क्यों कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे तर्क नहीं है। इस विरोध का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है कि राजनैतिक कारणों से प्रेरित होकर के उसका विरोध किया जा रहा हो।

श्रीमन्, मैंने एक प्राणी का नाम सुना है जो रंग बदलने में बहुत माहिर बताया जाता है और उस प्राणी का नाम है गिरगिट। अभी तक उसे एकाधिकार प्राप्त था, वह सोचता था कि रंग बदलने में मेरा कोई दूसरा सानी नहीं है लेकिन अब उसको भी चिन्ता हो रही होगी। श्रीमन्, मैंने किसी एक का भी नाम नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में तिनका हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जहां तक हरिद्वार का प्रश्न है हम यह प्रस्ताव किसी दबाव में नहीं लाए हैं। उत्तर प्रदेश से तीन बार प्रस्ताव गए हैं उत्तरांचल राज्य के लिए। एक भी प्रस्ताव में, एक में भी हरिद्वार को शामिल करने की बात नहीं कही गई। इस नाते जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें हमने हरिद्वार को सम्मिलित न करने के बारे में संशोधन कर दिया। श्रीमन्, यह आन्दोलन बहुत पुराना है।

उत्तरांचल में इतने संशोधनों से भरपूर होने के बावजूद उत्तरांचल पिछड़ गया। उसकी भौगोलिक स्थिति भिन्न है। बीच में कुछ दिनों तक सरकारें अलग उत्तरांचल परिषद् का झुनझुना थमाती रहीं। हम हमेशा कहते रहे कि उत्तरांचल राज्य में या उत्तरांचल में रहने वाले लोगों के लिए हमारे लिए अलग उत्तरांचल राज्य से कम कोई चीज स्वीकार नहीं है। यह हमारी उत्तरांचल राज्य के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता थी जिसको हमने पूरा किया। कितना लम्बा संघर्ष किया है यहां के लोगों ने। मैं उत्तरांचल के सभी भाई और बहनों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने अपनी सही मांग के लिए केवल आंदोलन ही नहीं किया बल्कि जान की बाजी लगा दी।

कितने ही लोग बलिदान हो गए कोई सोच सकता है कोई सरकार 24 अगस्त, 1994 को कोई मुख्यमंत्री 24 अगस्त, 1994 को अलग उत्तराखण्ड राज्य बनाने का प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत करती है, पारित कराती है वही मुख्यमंत्री और वही सरकार जब हमारे उत्तरांचल के भाई और बहनें केन्द्र में जाकर अपनी मांगें रखना चाहते थे, अहिंसक तरीके से प्रदर्शन करना चाहते तो उनके ऊपर गोलियां चलाई गईं। क्या उत्तरांचल के भाइयों और बहनों को जिन्हें मानवता के प्रति जरा भी दर्द है क्या मंसूरी में 2 सितम्बर, 1994 के हत्याकाण्ड को भूल सकता है, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति 2 अक्टूबर, 1994 को, एक सितम्बर, 1994 को खटीमा काण्ड भूल सकता है। मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा काण्ड ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया। मानवता उस दिन रोई। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जो गोली काण्ड हुआ, जो महिलाओं के ऊपर अकथनीय अत्याचार हुआ वह शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। क्या कम संघर्ष किया है आज यह अवसर आ रहा है कि उत्तरांचल अलग राज्य बनाया जा रहा है।

उत्तरांचल के भाई और बहनों की मांगों को स्वीकार करने की घड़ी आ गई है। तब बार-बार कुछ लोग रोड़े अटकाकर उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो केन्द्र से बिल हमारे पास आया है हमने उसमें मंत्रि परिषद् में खुली चर्चा कराई है। 8 घंटे लगातार एक-एक शब्द के ऊपर खुली चर्चा कराई है। तब मंत्रि परिषद् ने संशोधन प्रस्ताव किए हैं। श्रीमन्, इसे कैबिनेट के सामने आज रखा जा रहा है। हमारे कुछ बंधुओं ने कहा कि कई देशों की सीमाएं उत्तरांचल से

लगती हैं, चीन से सीमा लगती है, तिब्बत से सीमा लगती है, नेपाल से सीमा लगती है। वहां से तरुणाई पलायन कर रही थी। सामरिक दृष्टि से भी उत्तरांचल एक महत्वपूर्ण स्थल है। यदि तरुणाई वहां से पलायन कर जाय तो यह देश की सुरक्षा के लिये भी घातक हो सकती है, वह लोग असंतुष्ट रहें, क्षुब्ध रहें तो यह भी घातक हो सकता है, वह उजड़े रहें और पिछड़े रहें, इसको भी वह स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हो सकते हैं।

इसलिये मान्यवर, आज यह प्रस्ताव हमारे सामने है। ठीक कहा जाता है कि जब मिजोरम इतना छोटा सा राज्य बन सकता है, नागालैण्ड इतना छोटा सा राज्य बन सकता है, अरुणांचल बन सकता है और हिमांचल जैसा छोटा सा राज्य बन सकता है तो उत्तरांचल राज्य तो सामरिक दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, भौगोलिक इकाई की दृष्टि से और सांस्कृतिक धरोहर की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इकाई बन सकती है। आज उसका विरोध करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है। हम याद करें, उत्तरांचल से कई बहादुर सैनिकों ने हमारी अपनी सीमाओं पर जान की बाजी लगा दी, वह उत्तरांचल जिसने सुमित्रानन्दन पंत जी जैसे साहित्यकार को जन्म दिया, वह उत्तरांचल जिसने पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी जैसे राजनेता को जन्म दिया, वह उत्तरांचल जिसने पी०सी० जोशी जैसे सेनापति को दिया, वह उत्तरांचल जिसने चन्द्र सिंह गढ़वाली जैसे क्रान्तिकारी को जन्म दिया, जिसने देश के छठे नम्बर के वैज्ञानिक डा० डी० डी० पंत को दिया, जिसने विश्वविख्यात भू-गर्भ वेत्ता प्रोफेसर बल्दिया को दिया है। यदि मुन्ना चौहान जी में भी थोड़े से परिष्कृत संस्कार आ जायें तो मैं उनका भी नाम ले लेता।

मैं लम्बे ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूँ। कि विद्युत, जल बंटवारा, निर्माणाधीन परियोजनाओं आदि के बारे में हमने जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं, भविष्य में उठने वाले सारे विवादों का कैसे समाधान हो सकता है, अपने संशोधन के माध्यम से हमने उनको सुलझाया है। माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह तथा श्री पोखरियाल जी ने बहुत विस्तार से इसको रख दिया है। उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं।

मान्यवर, हमारी यह सोच है कि भूमि और माल के बंटवारे के सम्बन्ध में कोई भी विवाद दोनों उत्तरवर्ती राज्य स्वयं करें और यदि उनमें कोई करार न पायी जाय तो उनमें से किसी के अनुरोध पर ही केन्द्रीय सरकार निदेश जारी करे। इसी प्रकार के निर्देश दिये जाने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को इस खण्ड के उपखण्ड (3) में भी दी गयी है उसमें भी हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के परामर्श के बाद ही निदेश दें। दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि पुनर्गठन के बाद किसी उत्तरवर्ती राज्य के समक्ष पानी और विद्युत का संकट न उपस्थित हो और विद्युत उत्पादन या सम्भरण तथा सिंचाई के लिये मौजूदा परियोजनाओं तथा निर्माणाधीन सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं से जो लाभ दोनों उत्तरवर्ती राज्यों को मिल रहे हैं या मिलने अभिप्रेत हैं तो वे मिलें उसमें कोई कमी न हो तथा उत्तरांचल का भी हित सुरक्षित रहे, प्रस्तावित बिल में संशोधन हेतु कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। हमें इन सुझावों को प्रस्तुत करते समय यह भी ध्यान रखना है कि निजी क्षेत्र की ऐसी विद्युत परियोजनाओं के मामले में जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत क्रय करार पर दस्तखत किये गये हैं उसमें उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य को निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा संभरित बिजली का 20 प्रतिशत पाने का अधिकार होगा जिसमें से उत्तरवर्ती (उत्तरांचल) उत्तर प्रदेश राज्य को मुफ्त मिलने वाली बिजली का 50 प्रतिशत उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य को मुफ्त मिलेगा और शेष के लिये विद्युत करार में विहित दर के अनुसार उत्तरवर्ती राज्य उत्तरांचल को भुगतान करना होगा। हमने कोशिश की है कि आने वाले दिनों में विवाद का निस्तारण किस प्रकार से किया जा सकता है।

जिससे उत्तरांचल में विद्यमान और निर्माणाधीन जल श्रोत परियोजनाओं की बाबत सब अधिकार स्वामित्व निर्माण संचालन, अनुरक्षण और नियंत्रण तथा दायित्व उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में बना रहे तथा विद्यमान तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं का लाभ दोनों उत्तरवर्ती राज्यों को उसी तरह से प्राप्त होता रहे जिस तरह नियत दिन को हो रहा था। भविष्य में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में जल श्रोतों के विकास के मामले में ऐसी परियोजनाएं जिनसे दोनों राज्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो चलाने की स्वतंत्रता हो। हम चाहते हैं कि यदि ऐसी कोई परियोजना किसी उत्तरवर्ती राज्य द्वारा बनाई जाती है जिससे दोनों उत्तरवर्ती राज्य के जलस्रोत की परियोजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना है अथवा ऐसी योजना जो दोनों उत्तरवर्ती राज्य एक संयुक्त योजना के रूप में निर्माण करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे योजनाओं के निर्धारण, निर्माण, संचालन के लिए एक सर्वशासी द्विपक्षीय बोर्ड का गठन हो, जो योजनाओं को इस तरह परिकल्पिक, नियोजित और निष्पादित करें कि दोनों राज्यों को जो वर्तमान में सुविधाएं और लाभ मिल रहे हैं उनमें किसी तरह की कोई कमी न हो ऐसे बोर्ड की अंशपूंजी में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों का अंश ऐसे अनुपात में होगा जो दोनों राज्य तय करें। हम चाहते हैं कि द्विपक्षीय बोर्ड जिसका उल्लेख मैंने अभी किया है। उसमें अध्यक्ष की नियुक्ति दोनों राज्यों की सहमति से हो तथा दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के द्वारा नामित दो-दो पूर्णकालिक तथा दो-दो अंशकालिक सदस्य भी हों। हमने कोशिश की है कि आने वाले विवाद का निस्तारण किस प्रकार से किया जा सकता है और श्रीमन्, मैं इसे ऐतिहासिक क्षण मान रहा हूं।

आज एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि अखण्ड भारत की बात करने वाली बी०जे०पी० उत्तर प्रदेश को बांट रही है। श्रीमन्, यह बांटना नहीं है बल्कि विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का समायोजन किया जा रहा है। अगर यह बंटवारा है तो आप अपने हृदय से सोचिये कि यह प्रस्ताव समाजवादी पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने भी तो पेश किया और इसके लिए प्रस्ताव आज के नेता विरोधी दल ने उस समय अध्यक्ष पीठ से पेश किया। इसलिए जो बात कही जाय, सोच समझकर कही जाय। आज उत्तर प्रदेश एक ऐतिहासिक निर्णय करने जा रहा है, उत्तरांचल के हमारे माननीय विधायक, सांसदगण वर्षों से हम साथ-साथ रहे हैं और भावनात्मक लगाव हमारा उनके साथ है, उनका हमारे साथ है। यह भावनात्मक लगाव मिटेगा नहीं यह और बढ़ेगा। मेरा विश्वास है कि दोनों राज्य विकास के मामले में एक दूसरे से सहयोगी बनकर एक दूसरे के पूरक बनकर और एक दूसरे के पोषक बनकर काम करेंगे और जितनी आशंकाएं आज व्यक्त की जा रही हैं, वह सब निर्मूल सिद्ध होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और जो कुछ अभी और कहा जाएगा मैं शांत हो बैठकर सुनूंगा।

(सत्ता पक्ष ने मेजें थपथपाईं)

* श्री प्रमोद कुमार —

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ऐतिहासिक घड़ी है। आने वाला इतिहास शायद आज ही सदन की कार्यवाही का एक-एक शब्द याद रखेगा। मान्यवर, आज जब वह सदन जहां हम सब साथ मिलकर बैठते थे जिसकी सदस्य संख्या 425 हुआ करती थी, आज हम उत्तरांचल के नाम पर एक अलग प्रदेश को बनाकर निश्चित रूप से एक नया इतिहास लिख रहे हैं। जहां दो विधान सभा होंगी, दो सरकारें होंगी, दो राजधानियां होंगी, दो अलग-अलग प्रदेश होंगे। मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपने दल का दृष्टिकोण रख देना चाहता हूं। दल की तरफ से स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अभी कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें एक प्रस्ताव पारित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया था और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो तीन प्रस्ताव नये राज्य को बनाने के हुए हैं उसके लिये हमारा दल बचनबद्ध है और इन तीन प्रस्तावों को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं।

मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि कुमायूं और गढ़वाल को मिलाकर एक नये पर्वतीय राज्य की स्थापना हो ऐसा प्रस्ताव तीन बार आया है। हर सरकार लाई है, हर राजनैतिक दल लाया है और उस पर हमारा दल समर्थन देता रहा है और देते हैं।

(समय 4.00 बजे)

यह दुखदायी घड़ी हो सकती है हिमालय पर्वत पर बसे भाई सीमाओं से दूसरे प्रदेश में चले जाएंगे। बहुत से नाम माननीय मुख्य मंत्री जी ने, कल्याण सिंह जी ने गिनाए, वह कुछ शरमा रहे थे तीन-चार नाम और ले लेते। इस उत्तराखंड से आपके आसन पर हेमवती नन्दन बहुगुणा बैठ चुके हैं वहीं श्री नारायण दत्त तिवारी जी जैसे विद्वान मुख्य मंत्री भी दिये हैं। मान्यवर कौन इससे इन्कार कर सकता है जब पूरा प्रदेश एक खंड में था तो यह उत्तर प्रदेश का दिल ही था। उत्तर प्रदेश की विशालता ही थी कि हमने तीन-तीन मुख्य मंत्री पर्वतीय अंचल से लिए। हमारा स्वरूप एक था हमने स्पष्ट कर दिया है कहीं किसी स्तर पर मतभेद नहीं रहा हमारे विचारों में विभिन्नता पैदा न हो सके।

कुमायूँ और गढ़वाल मिलाकर अलग प्रदेश बने उसके लिए बचनबद्ध हैं। अपने दल का समर्थन दिया है। मुझे दुख है यह प्रदेश अलग हो गया जब तक कल्याण सिंह जी हैं उनकी कृपा से अन्य प्रदेश नहीं बन पाएंगे। उत्तराखंड से पोखरियाल अलग नहीं हो पाएंगे, यह जो हो रहा है यह तो माननीय कल्याण सिंह जी की मजबूरी है। यह चाहते थे उत्तराखंड/उत्तरांचल न बनने दें जिसके लिए धर्म छोड़ा, कर्म छोड़ा जिस सरकार को बचाने के लिए दल बदल कराया, आपराधिक लोगों को रख लिया उस कुर्सी को तो यह जाने नहीं देंगे। जब तक इस कुर्सी पर रहेंगे तब तक उत्तरांचल उत्तराखंड नहीं बनने देंगे।

श्री कल्याण सिंह —

पहले आप अगल-बगल देखिए फिर बोलिए।

श्री प्रमोद कुमार —

जब मैं बोलता हूँ तो सामने देखता हूँ और जब सामने से नजर हटती है तो कल्याण सिंह जी को देखता हूँ।

श्री अखिलेश सिंह —

[× × ×]

श्री प्रमोद कुमार —

[× × ×]

[हँसी]

श्री अध्यक्ष —

यह कार्यवाही का भाग नहीं रहेगा।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार —

[x x x]

श्री अध्यक्ष —

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री प्रमोद कुमार —

हमारे आदरणीय साथी विकल जी हमारे बीच नहीं रहे इसलिए सदन के सदस्यों की संख्या 424 है। 213 बहुमत के लिए चाहिए। 213 में मान्यवर, पिछली बार विश्वास मत पड़ा तो 226 थे।

यह तब की बात है जिस दिन विनियोग विधेयक आया था उसके पहले की बात कर रहा हूँ तब आप 226 थे और 19 लोगों का सुप्रीम कोर्ट में मामला लम्बित है।

श्री हुकुम सिंह —

आपसे ले लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार —

जब-जब किसी सरकार को बहुमत का संकट हुआ हुकुम सिंह जैसे लोग बहुमत पूरा करते रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। यह पता नहीं कौन सा लगाते हैं। चाहे चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो और नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री हो यह सबके कान में अपना मुंह लगाते रहते हैं। अब कल्याण सिंह के कान में अपना मुंह लगा रहे हैं। तो मैं यह कह रहा था कि यदि 19 चले गये, तो विधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 405 हो जायेगी और यदि ये 19 और कम हो गये, तो इधर से तो एक भी कम नहीं होगा और उधर से कम होंगे तो यह संख्या आपकी रह जायेगी 207.....

ऊर्जा मंत्री –(श्री नरेश अग्रवाल) —

जितने कम होंगे वह हम बता देंगे।

श्री प्रमोद कुमार —

मान्यवर, एक दिन मैं बाजार गया पिक्चर देखना चाह रहा था लेकिन पिक्चर के टिकट नहीं मिल पा रहे थे। इतने में एक दलाल मुझे मिला और उसने मुझसे पूछा कि कितने चाहिए तो इसी तरह से नरेश अग्रवाल जी भी हैं। इन्हें देखकर मुझे उस दलाल की याद आ गयी। तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि 207 बचे और यदि उत्तराखंड बन गया, पोखरियाल साहब बहुत कनिष्ठ हो आपको बहुत सोच समझकर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है और यदि ये 19 चले गये तो आपकी संख्या घटकर 190 हो जायेगी और हमारी संख्या 200 के आस पास रहेगी और आपकी सरकार अल्पमत में हो जायेगी। इसलिए आप उत्तराखंड बनने नहीं देंगे। 386 विधान सभा में 190 होने का खतरा आप पालेगें नहीं.....

नोटः–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

डा० रमेश पौखरियाल "निशंक" —

पचासों सालों तक जो किया उसका गणित आप बता रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार —

कुछ लोगों का पैसा डूब गया होगा कुछ लोगों के जाने के बाद उनका दुख मैं समझ सकता हूँ। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नियत साफ थी तो जब लोक सभा का चुनाव चल रहा था तो उस समय यह कहा गया था कि केन्द्र में यदि सरकार बनेगी हमारी, तो हम 90 दिनों में उत्तराखंड बना देंगे। 90 दिन तो बहुत दूर आज पांच महीने हो गये हैं अब तक उत्तराखंड नहीं बन पाया है। तो यह आपने वायदा खिलाफी की है और आप इसके गुनाहगार हैं। मैं आपसे निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि और नेता सदन से पूछना चाहता हूँ कि, 90 दिन में पूरा नहीं किया। जो प्रस्ताव किया था मुलायम सिंह यादव जी ने किया था या मायावती जी ने किया था फिर आपने किया था उसमें 1-2 संशोधन नहीं आये, आप इसमें 25 संशोधन लेकर आये हैं। मैं मान लेता यदि वहां कांग्रेस की सरकार होती या संयुक्त मोर्चे की सरकार होती कि, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गयी कि, 24 संशोधन लाने पड़े वहां आपकी सरकार है, अटल जी का आप पर इतना भी विश्वास नहीं है बुलाकर बात कर लेते, लोग कहते हैं कि आप आडवाणी जी के ग्रुप के हैं। आप किस ग्रुप के हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है।

श्री शिवप्रताप शुक्ल —

मान्यवर, क्या हाउस में विदूषकपन जरूरी है?

श्री प्रमोद कुमार —

शिव प्रताप शुक्ल के नाम के आगे विदूषक कब से जुड़ गया?

*श्री शिवप्रताप शुक्ल —

वह किस के लिए था यह सब महसूस करते हैं?

श्री प्रमोद कुमार —

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके बीच में संवादहीनता है। आपकी पार्टी के वहां सर्वाधिक सदस्य हैं लेकिन इतनी संवेदनहीन सरकार है कि उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज नहीं सुनती आप यहां किस बात के मुखिया हैं, आपने उनकी भावनाओं को वहां अवगत नहीं कराया। केन्द्र में जाय, तमाम संशोधनों के साथ फिर पारित न हो, यह खेल मान्यवर आपका चलता रहेगा। रामपुर तिराहे में मुजफ्फरनगर में गोलियां चलायी गयी थीं उन गोलियों की आवाज हुई थी लेकिन कल्याण सिंह जी मेरा आरोप है कि आपकी सरकार पर आरोप है भारतीय जनता पार्टी और आप जो विश्वासघात कर उत्तरांचल पर गोलियां चला रहे हैं उसकी आवाज नहीं आयेगी आप उत्तरांचल के सबसे बड़े विश्वासघाती हो।

आप छोटी सी बात को लेकर उलझ गये उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन चला आपने लिख दिया नाम उत्तरांचल। उत्तरांचल नाम क्यों रखा सिर्फ विवाद पैदा करने के लिए। पोखरियाल जी वहां पूरी सुरक्षा के साथ जाइयेगा। वहां क्या खायेंगे ? क्या पीयेंगे ? क्या है वायबिलिटी वहां ? कहां से आयेगा गल्ला, बिजली और पानी? आपके पास एक सोर्स हो सकता है पानी और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बिजली का, जिनकी कृपा से आप मंत्री बने हुए हैं, मैं पर्वतीय अंचल के विधायकों से कहूंगा कि जो 20 प्रतिशत की रोक है, तब खरीदेंगे। आज भी एन०टी०सी० से बिजली ली जा रही है। कौन सा इनके साथ एहसान होगा। समस्या यह है, कि आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी कथनी और करनी में अंतर है।

आप अल्पमत में आने से बचने के लिए कभी उत्तराखण्ड बनने नहीं देंगे । मान्यवर, कुछ कथनी करनी की बात हो जाय, यह आप की सधी-बधी चाल नहीं है तो क्या है? ऊधमसिंह का मसला किसने उठाया आपके जो केन्द्र सरकार में शामिल लोग हैं अकाली दल के लोग, क्या आप की सरकार में संयुक्त जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है ? यह अकाली दल के लोगों ने उठाया है, यह कैसी सरकार है ? आप केन्द्र सरकार से कहिये कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर करें।

हरिद्वार की आग आपने लगायी है आपके कुछ मंत्री हैं जो आपकी कृपा पर निर्भर हैं, जिनकी जनता में कोई औकात नहीं है, जनता जानती है कि दलबदलू हैं, उनसे आपने उठवाया नहीं तो अगर आपमें साहस है, नैतिकता है तो आपके 3 मंत्री ने पत्रकार सम्मेलन करके बोला था कि अगर पूर्वान्चल नहीं तो उत्तरांचल नहीं, आज वह मंत्री भी शामिल हैं और आप भी हैं। मैं देखना चाहता हूँ आपकी ताकत, आपकी नैतिकता, या तो वे मंत्री इस्तीफा दे दें या आप में अगर दम है तो आप तीनों मंत्रियों को निकालकर यह साबित कर दें, अगर नहीं कर सकते हैं, आप उत्तराखण्ड की जनता से मजाक कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं और इसीलिए नहीं बनने देना चाहते हो। आपको तो अपराधियों को कंधों पर भी बैठाना पड़े तो आपको गवारा है।

*श्री राजधारी —

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, छोटे राज्यों की जो परिकल्पना है वह कारगर साबित हुई है जैसे पंजाब हरियाना काफी प्रगति पर हैं। हमें प्रसन्नता है कि 1991 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस उत्तरांचल की बात की थी आज कुछ ऐसा संयोग है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के राज में उत्तराखण्ड राज्य का फैसला होने जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड के लोगों ने जो संघर्ष किया, जो क्षेत्रीय असंतुलन था जो आर्थिक विषमता थी उसके नाते उत्तराखण्ड राज्य का बनना जरूरी था। आज हमें प्रसन्नता है कि उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद उत्तराखण्ड राज्य और उत्तर प्रदेश एक सहयोगी के रूप में जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया दोनों विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारे परम आदरणीय कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी ने अपनी बातों के माध्यम से शंकाएं जाहिर की हमें उम्मीद थी कि तिवारी जी आज उत्तरांचल के निर्माण के समय पर कुछ अपना महत्वपूर्ण सुझाव देंगे, सहयोग देंगे लेकिन यह दिवास्वप्न देख रहे थे, उन्होंने उत्तरांचल के बारे में अच्छी राय देने के बजाय उन्हें यह बात सताती रही कि यह सरकार कब जायेगी। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ की आबादी का प्रदेश है और यह एक बड़ा प्रदेश होने के नाते शैक्षिक और सामाजिक तमाम विषमताओं के नाते जो एकरूपता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के विकास में, सामाजिक और आर्थिक विकास में, वह एकरूपता नहीं है और उसी का प्रतिफल यह हुआ कि उत्तराखण्ड की बुनियाद डाली गयी, उत्तरांचल राज्य आज बनने जा रहा है।

मान्यवर, आज हमारा पूर्वान्चल इलाका जिसकी आबादी 6 करोड़ है और वह आठ लाख चौवन हजार चवालिस वर्ग कि०मी० में फैला हुआ है, आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वजों ने जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुर्बानी दी आज उसका नतीजा है कि हमारा देश स्वतंत्र है लेकिन आज पूर्वान्चल को क्या मिला। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल कारखानों की कमी है और जो है वह बन्द पड़े हुए हैं। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऋण जमा का अनुपात 21 प्रतिशत है। हमारे यहां रोजगार के अवसर खत्म किये जा रहे हैं। हमारे यहां विद्युत पावर प्रति व्यक्ति के साथ घटती जा रही है। मेरा सुझाव है कि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए, इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश को 5 भागों में बांटा जाय और विशेषकर पूर्वान्चल जो सबसे पिछड़ा इलाका है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से और प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका से परेशान रहता है।

आज आवश्यक है कि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, इसलिए पूर्वांचल राज्य बनाया जाए। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है जो सबसे पिछड़ा है, उसके पास संसाधनों का अभाव है इसलिए मैं चाहूंगा कि एकरूपता बनी रहे इसलिए मा० मुख्य मंत्री जी इसके बारे में सोंचे और जो उत्तरांचल का प्रस्ताव रखा गया है उसे मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से स्वीकार करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उत्तरांचल की तरह से पूर्वांचल राज्य बनाने के संबंध में आप विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष —

माननीय सदस्यों से एक मेरा अनुरोध है कि मेरे पास एक अनुपूरक कार्य-सूची आयी है जिसमें एक विधेयक प्रस्तुत होना है, उसका पारण होना है। इसलिए माननीय सदस्य 5-5 मिनट में अपनी बात कह लें वरना विधेयक परिषद् से नहीं पास हो पाएगा, इसलिए मा० सदस्य संक्षेप में अपनी बात कहें।

* श्री कौकब हमीद —

मान्यवर, यह समझ में नहीं आता है कि दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? सरकार के लोग दिल्ली जाते हैं, वहां बैठकें होती हैं और मुख्य मंत्री जी उन बैठकों में शामिल होते हैं लेकिन भारत सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें हरिद्वार शामिल हो जाता है। यहां मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम पास करवा देंगे लेकिन जब उनके सहयोगी दल, कैबिनेट के लोग उसमें विवाद पैदा करते हैं और कहते हैं कि पास नहीं होने देंगे और कैबिनेट दुबारा किसी तरह पास करती है, और आज फिर प्रस्ताव सदन में लाये हैं। सवाल यह है कि भारत सरकार ने यह प्रस्ताव भेजा है वह आपके इन संशोधनों के बाद, कैबिनेट निर्णय के बाद जरूरी नहीं है कि भारत सरकार आपकी बात को माने। इसलिए हरिद्वार के साथ सच्ची बात नहीं हो रही है क्योंकि जब यह प्रस्ताव वापस भेजा जाएगा तो हरिद्वार के बारे में जो यहां संशोधन हुआ है शायद माना न जाए और हरिद्वार संभवतः इसमें सम्मिलित रहे।

मान्यवर, इसी तरह ऊधमसिंह नगर के बारे में इनके सहयोगी दल के लोग, पार्टी के लोग दिल्ली में बैठे हैं, मंत्रि परिषद् कहती है ऊधमसिंह नगर इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और आप उसे शामिल करते हैं। तो ऊधमसिंह नगर के और हरिद्वार के लोगों के साथ आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं।

मान्यवर, जहां तक मेरे दल की बात है, मेरा दल यह मानता है कि यह प्रदेश जिसकी आबादी अब 16 करोड़ से ऊपर हो गई है, उसका अब पुनर्गठन हो जाना चाहिये। जिस समय

* नोट :—वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी थी, उस समय रीआर्गनाइजेशन कमीशन गठित हुआ था, उसके एक सदस्य पाणिक्कर जी का यह कहना था कि यह प्रदेश 5 हिस्सों में बांटा जाना चाहिये।

(इस समय 4 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द मिश्र पीठासीन हुये।)

उत्तरांचल, पश्चिमांचल, बुन्देलखंड, पूर्वांचल और मध्यांचल। अब उसी को आधार मानते हुये मेरा यह कहना है कि पश्चिमांचल भी अलग बनाया जाय क्योंकि हमारे साथ बराबर सौतेला व्यवहार किया गया है, एक नया पैसा भी किसी विकास निधि के अन्तर्गत वहां नहीं दिया गया है, जो मीटिंग बुलाने को कहा गया था, उसके लिये भी अभी कल ही तय किया गया है, उसके अन्दर हम लोगों को क्या मिलेगा, यह तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जब आप प्रदेश का पुनर्गठन कर रहे हैं तो पश्चिमांचल भी अलग बन जाय, वैसे भी आप हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, इसलिये इसका भी अलग राज्य बन जाना चाहिये। हम लोगों ने तो सुबह ही प्रस्ताव रखा था, लेकिन वह माना नहीं गया। मेरा अब भी यह प्रस्ताव है कि उत्तरांचल के साथ-साथ पश्चिमांचल का प्रस्ताव किया जाना चाहिये।

मान्यवर, आज वहां आन्दोलन हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, यदि आप अलग राज्य बना देंगे तो वह समस्यायें दूर हो जायेंगी। एक बात और मैं साफ तौर पर कहना चाह रहा हूं कि आपने हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के साथ खिलवाड़ किया है, इस चीज को स्पष्ट हो जाना चाहिये, अब आप इसे आज पास करके भेज रहे हैं भले ही वह माने या न मानें। कहीं भी हरिद्वार का नाम नहीं था, आप लोगों की मर्जी से हरिद्वार का नाम जुड़ा है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और पश्चिमांचल बन जाना चाहिये, यह हम लोगों का प्रस्ताव है।

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री (श्री मातवर सिंह कंडारी)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तरांचल प्रदेश के पुनर्गठन विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यहां पर अनेक बातें आई हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तरांचल प्रदेश बनाने की इच्छा, वहां की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भावनाओं को मद्देनजर रखकर, वहां की जनता अलग राज्य की मांग करती आ रही है।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के लिये वहां की जनता ने अनेक बलिदान किये हैं और उसी के कारण मुजफ्फरनगर जैसी घटना हुई है। मैं माननीय कल्याण सिंह जी का आभार प्रकट करता हूं और उत्तरांचल की जनता उनकी आभारी है। उन्होंने 1991 में प्रस्ताव पारित किया था और उसको केन्द्र सरकार को भेजा था। मान्यवर, वहां पर कोई उद्योग नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, और जनता आर्थिक रूप से कमजोर है। वहां पर कोई रोजगार नहीं है और इसी कारण वहां के लोग नौकरियां करने के लिये बाहर जाते हैं।

उत्तरांचल के लोग बड़े देश भक्त हैं, देश की रक्षा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब देश पर आक्रमण हुआ, चाहे पाकिस्तान द्वारा किया गया हो या चीन द्वारा किया गया हो, उत्तरांचल के लोगों ने बड़े साहसिक ढंग से उनका सामना किया और देश की रक्षा की। गढ़वाल रेजीमेंट और कुमायूं रेजीमेंट ने बड़ी वीरता के साथ देश की रक्षा की। उन्होंने देश की रक्षा के लिये काम किया। मान्यवर, आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तरांचल और उत्तराखंड में क्या अंतर है ? मान्यवर, उत्तरांचल से समानता की भावना प्रकट होती है और उत्तराखण्ड से अलगाव की भावना पैदा होती है। यहां के वीर सैनिक आज भी देश की रखवाली कर रहे हैं। मान्यवर, जहां तक ऊधमसिंह नगर का मामला है, वह एक समय में नैनीताल में था और जब तीन

सरकारों ने प्रस्ताव पास किया उस समय भी ऊधमसिंह नगर नैनीताल में ही था। एक समय था जब कुमायूं में चन्द्रवंशी राजाओं का राज्य था, उनकी सीमायें ऊधमसिंह नगर तक थी।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी पीड़ा को सुना और वहां के लोगों के दुख को सुना और उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव लायी, हम उसके लिये आभारी हैं। मान्यवर, पहली बार 1991 में प्रस्ताव पास किया गया था और जब केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और यहां पर भी आयी, तो यह प्रस्ताव पास हुआ और हम माननीय कल्याण सिंह जी के आभारी हैं कि उन्होंने हमारे दुख दर्द को सुना और उत्तरांचल राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह मेरा मानना है कि यह सरकार नहीं चाहती है कि उत्तरांचल बने इसीलिये यह पैंतरे बदल रही है। उसके बाद बाहर निकलने पर संवाद्दाताओं से कहा था कि केन्द्र सरकार जो भी प्रस्ताव हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के संबंध में लायेगी हमारी सरकार को मान्य होगा। अब माननीय कल्याण सिंह जी हरिद्वार को बाहर करने की बात कह रहे हैं और ऊधमसिंह नगर को क्यों जबरदस्ती रख रहे हैं ? वहां की जनभावना उत्तरांचल के साथ शामिल होने की नहीं है। वहां का कोई आदमी नहीं चाहता है कि वह ऊधमसिंह नगर में शामिल हो। इसलिए विरोध में वह सड़कों पर आये हैं और जेल जा रहे हैं और आप कहते हैं कि ऊधमसिंह नगर शामिल होगा हम चाहते हैं कि उत्तरांचल राज्य अलग बने।

आज उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा राज्य नहीं है किसी राज्य में इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं होगी। यहां 83 जिले हैं। इतनी विविधताएं यहां हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषायी विविधताएं हैं और राजनीतिक विविधताएं हैं। प्रदेश के एक हिस्से में अगर हवा चलती है तो दूसरे हिस्से में पता नहीं चलता। किसी राजनीतिक दल का एक हिस्से में अगर सफाया हो जाता है और दूसरे हिस्से में चुनकर आ जाता है तो उसके बावजूद वह प्रदेश में सरकार बना लेता है। दस-पांच जिलों में उपेक्षित हो जाने के बाद एक दल सत्तारूढ़ हो सकता है यहां इतनी ज्यादा विविधताएं हैं इतनी ज्यादा जनसंख्या को साथ लेकर शासन करना संभव नहीं है।

इसलिए केवल उत्तरांचल राज्य बनाने से काम चलने वाला नहीं है। बहुत पहले से किसी न किसी रूप में राज्य पुनर्गठन की बात चलती रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और उसने राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश भी की और प्रदेश के विभाजन की बात की और उसने विभाजन के लिए कई कारण बताये और कहा कि विभाजन के समय इन पर ध्यान दिया जाय। बेहतर प्रशासन के लिए प्रदेश का विभाजन होना चाहिए और उसके लिए कम से कम 5 राज्य इसके होने चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह पूरे प्रदेश की जनता कह रही है। आपके मंत्री मण्डल के सहयोगी कहते हैं कि पूर्वांचल राज्य की स्थापना की जाय। पूर्वांचल नहीं तो उत्तरांचल नही उनकी मांग थी। अब पता नहीं आपने क्या शब्जबाग दिखाया उनकी जबान बंद हो गयी। लेकिन इससे आप जनता की जुबान बंद नहीं कर सकते हैं। बुंदेलखण्ड राज्य के लिए आंदोलन हो रहा है। वहां आप ने लोगों पर लाठी, डंडे और गोलियां चलायी ताकि वह बुंदेलखण्ड

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की मांग न करें। संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य की मांग कर रहा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है लेकिन वहां का विकास नहीं हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में यह भावना बलवती होती जा रही है कि विकास के मामले में उनकी उपेक्षा हो रही है और सबसे ज्यादा राजस्व उत्तर प्रदेश में वहां से आ रहा है।

आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न सड़कें हैं, न बिजली और न पानी है, न अस्पताल हैं, न शिक्षण संस्थान हैं। उत्तराखंड के लिये, बुंदेलखण्ड के लिये निधियां बनायी गयी हैं लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिये कोई निधि नहीं बनायी गयी है इसलिये मैं अपनी बात के समर्थन में कहना चाहता हूँ कि यह जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर करने के लिये प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की जरूरत है।

पूरे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, को देखते हुये और प्रशासनिक दृष्टि से देखते हुये वर्तमान में फिर से इस राज्य का पुनर्गठन किया जाय और उत्तरांचल बनने के साथ साथ इस प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटने का काम किया जाय। उत्तरांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखण्ड, पश्चिमी प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश नाम से इस राज्य को 5 भागों में विभाजित किया जाय यह मैं मांग करता हूँ।

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल —

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय नेता सदन द्वारा जो संकल्प रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, तमाम विपक्ष के हमारे साथियों ने शंका प्रकट की कि यह जो उत्तरांचल का प्रस्ताव लाया गया है वह दिखावटी है यह सरकार उत्तरांचल बनाना नहीं चाहती है। शंका वह व्यक्त करते हैं जिनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। हमारी सरकार ने, सत्तापक्ष ने, अपनी क्षमता दिखायी और यह संकल्प लाया गया है। आप अपने मन से शंका निकाल दीजिये। इस सम्मानित सदन में पूर्व में 3 बार यह प्रस्ताव आया है।

1991 में जब माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी तब यह प्रस्ताव आया था। 1994 में जब माननीय मुलायम सिंह इस सदन के नेता थे तो उस समय यह प्रस्ताव आया था। 1997 में जब सुश्री मायावती जी इस सदन की नेता थीं तो उनके नेतृत्व में सदन में उत्तरांचल का प्रस्ताव पेश किया गया था। आज उन्हीं दलों के लोग जिन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया था, जिन्होंने कहा था कि उत्तरांचल राज्य बनना चाहिये आज वही लोग इसे विवाद का बिन्दु बनाकर पेश कर रहे हैं। मुलायम सिंह के समय में मैं विपक्ष में बैठा हुआ था उस समय उत्तराखण्ड का प्रस्ताव आया था जिसमें आज का ऊधमसिंह नगर भी शामिल था लेकिन आज वही लोग ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल में जाने पर विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए और वोटों के लिये सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। मान्यवर, एक नेता सदन छोड़कर चले गये हैं इसलिये कि उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा था उसका विरोध कैसे करते? एक ऐसे नेता भी सदन से चले गये हैं जो सिर्फ नेता बने हुये हैं कभी उनको समर्थन नहीं रहा। आदरणीय लोकपति जी, डा० अम्मार रिजवी जी, माननीय रामनरेश जी बैठे हुये हैं। हम जानते हैं कि उनके दिल में क्या है?

डा० अम्मार रिजवी —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नरेश जी ने यह कहा कि वह जानते हैं कि हमारे दिल में क्या है ? मैं बताना चाहता हूं कि मेरे दिल में क्या है :–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐ दोस्त तर्के मुहब्बत के बावजूद,
महसूस होती है तेरी जुदाई कभी-कभी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल —

डाक्टर साहब हमारी जुदाई महसूस कर रहे हैं, मगर दूरी ज्यादा नहीं है जिन लोगों को चिन्ता है कि सरकार माईनारिटी में आ जायेगी उनकी चिन्ता दूर करने के लिए यह जुदाई ज्यादा दिन नहीं रहेगी। श्रीमन्, एक दल के नेता कुछ शंका व्यक्त कर रहे थे, लिखा-पढ़ी में नेता जरूर हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके दल में, उनके पक्ष में कितने लोग हैं। आज वह यहां पर कहने लगे कि विपक्ष हमारा इतना है। हमारी नीति स्पष्ट है, हमारे दल की नीति स्पष्ट है। हमारे ख्याल में वही एक ऐसा दल है जिसकी कभी न नीति स्पष्ट थी न आज है। हमारे दल ने स्टैण्ड लिया और लोकतांत्रिक कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहेगा यह हमारे दल का कमिटमेंट है।

सदन की दर्शक दीर्घा से उत्तराखण्ड के समर्थन में कतिपय व्यक्तियों द्वारा लगाये गये नारों के सम्बन्ध में पीठ का निर्देश

(दर्शक दीर्घा से आवाज आयी–"अधिकार दो तो पूरा दो एवं जय उत्तराखण्ड.....)

श्री अधिष्ठाता —

मार्शल, देखें यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प एवं संशोधनों पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत)

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल) —

आप सब लोग खड़े होकर कहिये कि हरिद्वार उत्तरांचल का हिस्सा रहे। कोई नेता कहे? कोई कैसे कहेगा? लोकतांत्रिक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि हरिद्वार उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहना चाहिए और उसे हम संकल्प के रूप में लाये हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार —

जवाब मांगा गया है इसलिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन जवाब ऐसा व्यक्ति मांगता जिसका जवाब देने में मजा आता।

युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री अमरमणि) —

माननीय अधिष्ठाता जी, आप इनको किस नियम के अन्तर्गत अनुमति दे रहे हैं?

श्री प्रमोद कुमार —

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अगर हिम्मत हो तो जवाब ले। मैं जवाब दे रहा हूँ। यह चुनौती मा० अटल बिहारी बाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी को दें। मैं जवाब दे रहा हूँ। अटल बिहारी बाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने हरिद्वार को उत्तरांचल के रूप में प्रस्तावित किया है।

*श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, श्री नरेश जी को शायद याद नहीं होगा आज की कार्यवाही वह देख लें इसी सदन में उत्तरांचल के प्रस्ताव में सत्ता पक्ष के 5-7 सदस्यों ने हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल करने की बात की है। इन्हीं की सरकार के राष्ट्रीय नेता आडवाणी और श्री अटल बिहारी हरिद्वार को उत्तरांचल में शामिल करने की बात कहते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इसी सदन में मैं श्री अम्बिका चौधरी जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि इन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल में शामिल करते हुए प्रस्ताव भेजा था आज यह कह रहे हैं कि ऊधमसिंह नगर उत्तरांचल का हिस्सा नहीं रहेगा। उस दल के नेता के बारे में क्या बसपा के सहारे और कभी सपा के सहारे चुनाव जीतकर आते हैं। उनमें अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। वह अपने गिरेवान में झांके। अमेरिका में नैतिकता थी तो क्लिंटन लेंविस्की मामले में स्वीकार तो किया यहां तो रोजाना इस तरह के काण्ड होते हैं लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता।

उत्तरांचल के बारे में जो संशोधन सरकार द्वारा किये गये हैं वह वहां की भौगोलिक आर्थिक परिस्थिति को देखकर किये गये हैं। हमने पावर प्रोजेक्ट के बारे में एमेण्डमेंट रखे। जितने पावर प्रोजेक्ट हैं वह सारे के सारे वहां चल रहे हैं अगर सब वहां चले गये तो उत्तर प्रदेश में जो रोस्टिंग हो रही है वह पूरी नहीं हो पाएगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मुन्ना चौहान –

आप पूरा राज्य दीजिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल —

सरकार यह चाहती है कि दोनों राज्यों की आर्थिक स्थिति सही रहे। विश्व-बैंक ने कहा है कि उत्तरांचल राज्य जब बनेगा तो वहां पर पानी के जो स्रोत हैं, उससे 18 हजार मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो सकता है। जो नये प्रोजेक्ट बनेंगे, उनमें उत्तरांचल का हिस्सा होगा, जो भी आय होगी, वह उत्तरांचल राज्य की होगी, सिंचाई के जो नये डैम बनेंगे, वह उत्तरांचल के होंगे। हमारी जो सोच है वह दोनों राज्यों के हित की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प यहां सदन में रखा है कि वह दोनों राज्यों के हित को देखते हुए तथा भविष्य को देखते हुए रखा है। मैं और मेरा दल इस संकल्प के पक्ष में है।

भ्रमवश हमारी विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं, वह उन्हें वापस ले लें। कम से कम उत्तरांचल के हित में और उत्तर प्रदेश के हित में अपना अमेंडमेंट विरोधपक्ष के लोग वापस लेकर इसे सर्वसम्मति से पास कर केन्द्र सरकार को भेजें ताकि एकता महसूस हो सके और दोनों राज्य खुशहाल बन सकें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यगण सहमत हों तो इस बिल पर चर्चा को समाप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ें।

* श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 तथा नेता सदन द्वारा लाये गये जो संशोधन का संकल्प है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यह सम्मानित सदन साक्षी है कि जब-जब उत्तराखण्ड राज्य को गठन करने का संकल्प सर्वसम्मति से प्रस्तुत हुआ था, इसी आदरणीय सदन ने तीन बार सर्वसम्मति से संकल्प को पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजा था। अगर आज भी उसी मूल भावना के हिसाब से विधेयक प्रस्तुत हो और माननीय नेता सदन अपने संशोधनों को वापस ले लें तो हम उन तीन संकल्पों के भांति इस संकल्प में भी पूर्णतया आपके साथ रहेंगे।

मैं श्री नरेश अग्रवाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं और उन्होंने प्रतिपक्ष से अपील की कि वह अपने संशोधनों को वापस ले लें ताकि एकता का संदेश पूरे देश में जायेगा। आज 23 सितम्बर, 1998 को एक नया इतिहास का सृजन होने जा रहा है और आज नहीं तो कल इसका मूल्यांकन होगा उत्तर प्रदेश के एक नये राज्य का गठन करके उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ था। वहीं पर मैं भी यह चाहता हूं कि यह कोई पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं थी।

(समय 5.00 बजे)

सबकी सर्वसम्मति और भावनाओं के अनुरूप था। यहां से 3-3 प्रस्ताव पारित किये गये थे। अगर सरकार की तरफ से संशोधन लाया जाना था तो उन्होंने अगर दलीय नेताओं के साथ बैठक कर ली होती तो प्रतिपक्ष से कोई संशोधन नहीं आता और यह सर्व सम्मति से पारित होकर जाता।

कदाचित् इसमें 26-26 संशोधन आये हैं और मैं समझता हूं कि इन्होंने इसमें अपनी पार्टी के सदस्यों को भी विश्वास में नहीं लिया। हरिद्वार को उत्तरांचल से अलग कर दिया है। आपने एक व्हिप जारी किया है अगर आप उस व्हिप को वापस ले लें और उससे भी कोई संवैधानिक संकट नहीं खड़ा होगा। यह पारित हो जाता। आप व्हिप वापस लेकर माननीय सदस्यों की राय ले लें सत्ता पक्ष और प्रति पक्ष की बात नहीं होगी यहां बैठे तमाम सदस्य कहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार बंटवारा कर रही है। गांव में कहा जाता है कि अगर एक भाई दबंग किस्म का होता है तो वह दूसरे कमजोर भाई का हिस्सा भी दबा लेता है उसी तरह से आप करने जा रहे हैं। आप नये राज्य का निर्माण करने जा रहे हैं और उसकी परिसम्पत्तियों के बंटवारे की बात कर रहे हैं। जल स्रोत और विद्युत स्रोत की जो योजनाएं हैं। जब आप एक राज्य निश्चित तौर से अलग कर रहे हैं तो उस राज्य की जो परिसम्पत्तियां हैं वह उस राज्य की ही होनी चाहिए अगर आपमें आत्मबल है तो अपनी सम्पत्तियां खड़ी कीजिये।

अगर वहां की परिसम्पत्तियों से उत्तर प्रदेश का प्रबन्ध करेंगे तो सारी जिन्दगी बैसाखी से चलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि जहां राज्य का गठन होता है तो उसके गठन के बाद वहां की जो निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, परिसम्पत्तियां हैं चाहे वे उत्तरांचल में हों, विद्युत या जल स्रोत की हों, वहां पर स्थापित हैं तो 20 प्रतिशत जो उत्तरांचल को दिया जायेगा उसका भी पैसा लिया जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, जिस तरीके का बंटवारा हुआ है, श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि आपने व्हिप जारी किया है वह अनुशासन की परिधि है। उत्तरांचल के विधायकों ने जिस तरह से वक्तव्य दिया है कि उत्तरांचल का निर्माण जिस तरह से 26 संशोधनों को लाकर कर रहे हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप कर रहे हैं। जब उनकी भावनाओं के अनुरूप हैं वहां की जनता के अनुरूप है तो जैसा कि हमने पढ़ा सारे विधायकों और सांसदों ने हस्ताक्षर करके एक ज्ञापन दिया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को और कहा है कि इसके बावजूद संशोधन को वापस नहीं लेंगे तो वे केन्द्र सरकार के पास जायेंगे और अपील करेंगे। उत्तरांचल का प्रतिनिधित्व करने वाले साथियों से पूछ लीजिये कि संशय की स्थिति उनमें है।

इस सदन ने बार-बार प्रस्ताव किया था, आज जिस तरह से 26 संशोधन लाए गए, जिस तरह से समाचार प्रकाशित हुए सहयोगी दलों के दबाव से ऊधमसिंह नगर को अलग.....

श्री अधिष्ठाता--

समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

26 संशोधन को लाकर जो उत्तरांचल के साथ जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक आया है खण्ड 62 को पूरी तरह से संशोधित कर दिया। विधेयक के खण्ड 78 के स्थान पर पूरा नया खंड रख दिया आपने, उत्तरांचल बनाने की बात कही।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर राज्य बनाने की नीयत वाकई है तो राज्य का निर्माण संशोधनों से नहीं होगा। 26-26 संशोधन, क्या आपस में समझदारी का अभाव था ? एक दूसरे पर विश्वास का संकट कहीं था ?

श्री अधिष्ठाता–

आपकी भावनायें आ गई हैं समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

50 करोड़ रुपया उत्तरांचल राज्य की राजधानी के निर्माण के लिए दिए जाएंगे। किसी राजधानी के लिए दो सौ करोड़ की आवश्यकता होती है उत्तर प्रदेश उसको न देकर.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त कर दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं.....

कारागार मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

यह कौन सी चुनौती दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जैसा कि सुभाष जी ने कहा हम लोगों ने यहां पहल की थी हम चाहते हैं क्षेत्रीय संतुलन प्रदेश में हो मान्यवर, पूर्वांचल की स्थिति यह है कि 85 हजार 44 वर्गमीटर पूर्वांचल में है 6 करोड़ की आबादी है इस आबादी पर 120 करोड़ का बजट .....

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें, स्थान ग्रहण करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

पूर्वांचल के राज्य का प्रस्ताव लेकर नहीं आते लेकिन कम से कम पूर्वांचल के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए अलग से बजट लाते.....

श्री अधिष्ठाता–

मैं निवेदन करना चाहता हूं आप बैठ जाएं। आपकी सारी भावनायें आ गई हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, न तो इनकी नियत साफ और न ही इनकी नीति साफ है। यह जो पक्ष के विधायक बैठे हुए हैं हमारी बात से सहमत होंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। नेता विरोधी दल खड़े हो गये हैं।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य गठन से संबंधित जो सुझाव यहां पर सदस्यों ने रखे हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प रखा है और उसमें जो संशोधन रखे हैं उस पर माननीय अम्बिका जी ने जो संशोधन रखा है और हमारे बहुत से पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं तो बहुत से विचार इसमें आ गये हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात समाप्त करुंगा। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत से विचार इसमें आ गये हैं और मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं। फिर भी दो चार बातें मैं माननीय सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि कुछ लोग एक ऐसे जन्तु के रूप में हैं जो रंग बदलते हैं। श्रीमन् मैं यहां पर यह भी कह देना चाहता हूं कि गिरगिट के रूप में हैं उनके नेता और यह सब शेर की तरह से हैं। यह अवश्य है कि भाजपा एक ऐसा जन्तु है जिसके दो मुंह हुआ करते हैं। केन्द्र से कह रहे हैं कि हरिद्वार शामिल और यहां पर यह कहते हैं कि हरिद्वार नहीं शामिल है। यह इसलिए कह रहे हैं कि इनको अपनी सरकार बचानी है। मैं यहां पर यह भी बता देना चाहता हूं कि अभी पोखरियाल जी ने कहा कि बच्चा अभी पैदा हुआ और तमाम बीमारियों ने उसे घेर लिया, तो मैं यह कह देना चाहता हूं कि भाजपा किसी भी तरह से किसी बच्चे को पनपने नहीं देना चाहती है। यह उत्तरांचल के गठन में कतई सीरियस नहीं है केवल सरकार बचाने के लिए जनता को सब्ज-बाग दिखाने के लिए यह नौटंकी कर रहे हैं।

श्रीमन्, मैं यहां पर यह कह देना चाहता हूं कि जहां उस पक्ष के लोग बार-बार यह कहते हैं कि ऊधमसिंह नगर पहले ही समाजवादी की सरकार के समय में उत्तरांचल में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, पता नहीं किस तरह से कह रहे हैं, श्रीमन् उस वक्त उसका जन्म ही नहीं हुआ था। यह भी कहते जाते हैं कि प्रशासनिक कठिनाई को देखते हुए उसे उत्तरांचल में

रहना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं पता नहीं कभी वहां गये या नहीं या भौगोलिक ज्ञान नही है कहां नैनीताल और कहां ऊधमसिंह नगर वह प्लेन में राजधानी होगी पहाड़ पर ऊधमसिंह नगर के लोगों को वहां जाने में कठिनाई होगी इसका शायद उनको एहसास नहीं होगा। मान्यवर, यह कोई उत्तरांचल राज्य गठित करने का प्रस्ताव नहीं है। यह सरकार बचाने का प्रस्ताव है।

केन्द्र में इनकी सरकार है कह दिया गया कि हरिद्वार भी शामिल कर दिया और फिर यह यहां आकर कहने लगे किसी के दबाव में सहयोगी दलों ने जब कह दिया कि अगर शामिल किया तो सर्मथन नहीं देंगे मैं नाम नहीं लेना चाहता हू कुछ लोगों ने सहयोगी दलों के लोगों ने मुझसे आकर कहा कि अगर हरिद्वार रहेगा तो हम आपका साथ देंगे श्रीमन् जब इन्होने समझ लिया कि किसी हालत मे हमारा प्रस्ताव हरिद्वार सहित उत्तरांचल राज्य गठित करने का पारित नहीं हो सकता है तो मजबूर होकर उनको हरिद्वार निकालना पड़ा कोई खुशी से नहीं। हरिद्वार का धार्मिक महत्व है लेकिन उससे इनका कोई मतलब नहीं है मात्र यह तो राजनीति की रोटी सेकने की बात की जाती है कभी मथुरा की बात जोड़ देते है कभी काशी कभी अयोध्या की बात कह देते हैं।

सत्ता में आने की बात आ गयी सहयोग लेने की बात आती है तो कह देते है कि अयोध्या हमारे एजेंडे में नहीं है इनकी बातें हमेशा दो तरह की हुआ करती है एक तरह की बात नहीं करते जो उस दो मुंह वाले जंतु होते हैं जो घरों में होते हैं उसे उठाकर लोग फेंक दिया करते हैं कभी कभी चूहे शिकार करते हैं लेकिन जो शेर होता है बड़े बड़े जानवरों को जिसको चाहेगा, शिकार कर लेगा।

श्रीमन्, इस तरह से इन्होंने गुपचुप होकर बहुत से लोगों को प्रलोभन देकर और बहुमत जुटाकर आज सारे प्रदेश में जो माहौल पैदा किया है इस तरीके से आप उत्तरांचल राज्य के गठन के लिए यह दिखावटी खेल खेल रहे हैं। हम कह देना चाहते हैं कि अगर आपमें हिम्मत है सरकार यहां भी आपकी है, यहां से आप पास कर रहे हैं, वहां भी आपकी सरकार है यहां हम लोग संशोधन दे रहे हैं, हम ऊधम सिंह नगर सहित इस प्रस्ताव को पास नहीं करेंगे, केन्द्र सरकार को ताकत है अधिकार है तो इस उत्तरांचल विधेयक को भी इस सदन की मरजी के विरुद्ध पास कर सकते हैं और हिम्मत है कि केन्द्र सरकार उत्तरांचल विधेयक को एक माह में पास करके दिखाये तब मैं जानूंगा कि आप उत्तरांचल के पक्ष में हैं नहीं तो दिखावटीपन है। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दिखावटी बात न कहकर बनावटी चेहरा न लगायें, असली चेहरा लाइये। जब आप जनता के सामने जायेंगे तो अपने आप आपको जवाब मिल जायेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट में मैं स्पष्टीकरण के रूप में अपनी बात कहना चाहता हूं। अभी सम्मानित नेता विरोधी दल ने कहा, कि अच्छा उल्लेख किया कि जानवरों के दो मुंह होते हैं, यह होता है। मैं तो सोचता हूं कि एक मुंह से प्रस्ताव पारित किया गया कि उत्तराखण्ड का निर्माण हो, केन्द्र में सरकार रही, वहां भी कोई मुंह ही होगा, उस प्रस्ताव पर विचार तक नहीं किया गया। एक मुंह और देखा कि उस प्रस्ताव के पक्ष में उत्तराखण्ड के लोगों ने मांग करने के लिए दिल्ली तक जाना चाहा तो तीसरे मुंह ने क्या किया कि निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला दी गयी।

माननीय नेता विरोधीदल को चिन्ता थी, सरकार बचाने के लिए किया गया। एक सम्मानित नेता और हैं कह रहे थे कि अगर पास हो गया तो सरकार नहीं रहेगी आपका कहना है कि पास

इसलिए रहा कि सरकार रहे यह दो तरह की बातें हैं यह तो आप लोग जानो । एक सम्मानित नेता ने कहा कि उत्तराखण्ड या उत्तरांचल न बनाने के लिए साजिश है क्योंकि इतना इसमें संशोधन प्रस्तुत कर दिया गया कि केन्द्र में जाने के बाद फिर वापस आ जायेगा। संविधान का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझको भी है। कहां इसमें केन्द्र सरकार को वापस भेजने की बात है। जैसा अनुच्छेद 3 में प्राविधान है हम विचार रख रहे हैं और संकल्प के रूप में हमने विचार रखा इसलिए इस प्रकार यह कह देना कि साजिश है, गुमराह किया जा रहा है, ठीक नहीं है। वैसे तो स्वयं इस प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन जिस वाणी से समर्थन किया ऐसा समर्थन ईश्वर किसी को न दे। मान्यवर, 1991 में यहां से प्रस्ताव पारित होकर गया था, किसी की सरकार थी 1991 में अगर मैं गलती न करुं तो आपको याद होगा 5 साल तक सरकार रही तो 5 साल की सत्ता में उसका बिल ले आते और पास कर देते।

मान्यवर, एक सरकार और आयी और कम से कम डेढ़ वर्ष चली। प्रस्ताव रखा, पास कराकर गये थे तो साहस दिखाते। केवल लाल किले पर घोषणा से काम नहीं चलता है बल्कि उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बिल भी उन्हें लाना चाहिए था। यहां अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं सरकार को बने हुए लेकिन मैं आप को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारी कठिनाईयों के बावजूद आज बिल प्रस्तुत है, जब श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी के पास यह जाएगा तो उनके शब्दों में ताकत है, उनकी वाणी में विश्वास है वह पास होगा और उत्तरांचल की स्थापना होगी।

मान्यवर, इसके पूर्व मैं माननीय नेताओं से आग्रह करूंगा कि वे अपने संशोधनों को वापस लें, जो संशोधन प्रस्तुत किये गये उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और फिर मैं आशा करता हूं कि उसके बाद वह अपने संशोधन को वापस ले लेगें।

मान्यवर, मुख्य संशोधन श्री अम्बिका चौधरी ने प्रस्तुत किया उसके खण्ड एक में ऊधमसिंह नगर के बारे में चर्चा काफी हो चुकी है। यह भी हो चुकी है कि जिस ऊधमसिंह नगर को शामिल करके प्रस्ताव भेजा था उसमें संशोधन दुबारा ला रहे हैं।

खण्ड 2 में लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य को 80 स्थान और उत्तराखण्ड राज्य को 5 स्थान के स्थान पर क्रमशः 81 तथा 4 कर दिये जायं। लेकिन आपने संकल्प यदि पढ़ लिया होता कि खण्ड 2 में क्या लिखा है तो यह न उठाते चूंकि वे स्वतः विधेयक में है।

मान्यवर, अगला संशोधन खण्ड नं० 3 में जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या 403 और 60 होगी, के स्थान पर क्रमशः 409 तथा 60 रख दिये जायं तो इसकी भी कोई जरुरत नहीं है और यह स्वतः मान लिये जायेंगे।

इसलिए जो संशोधन आपने रखे हैं वे स्वतः विधेयक में आ गये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप अपने संशोधनों को वापस ले लेंगे। अंत में मैं चाहता हूं कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास करें।

सदन की दर्शक दीर्घा से उत्तराखण्ड के समर्थन में लगाये गये नारों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुन्ना चौहान–

व्यवस्था का प्रश्न है। अधिष्ठाता महोदय, अभी यह सदन कुछ देर के लिए अव्यवस्थित हो गया था। तो सभी माननीय सदस्यों को जिज्ञासा होगी कि व्यवधान का कारण क्या था? मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि उत्तराखण्ड क्षेत्र से कुछ नवजवान अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन नियमों में ऐसी परम्परा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

मार्शल को निर्देशित कर दिया गया है और वह इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देंगे।

श्री मुन्ना चौहान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका संरक्षण चाह रहा हूं। वैसे जो आपका दिशा-निर्देश होगा, वह सिर-माथे पर। अभी थोड़ी देर पहले कुछ व्यवधान हुआ था, मैंने मालूम किया, वह उत्तराखण्ड के कुछ नवजवान थे।

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

मंत्रि परिषद् के माननीय सदस्य श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी अपनी बात यहां रख रहे थे, वह नवजवान हरिद्वार जिले के संबंध में कुछ कहना चाह रहे थे, मैं यही बात कहना चाहता हूं।

श्री समरपाल सिंह–

[x x x]

(इस समय 5 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

(सत्ता पक्ष की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अम्बिका चौधरी जी को बुलाया है, आप बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(इस पर किसान कामगार पार्टी तथा जनता दल के माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

कृपया बैठ जायें। पाल जी आप अपने स्थान पर बैठ जायें। आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायं। जितनी कहने की स्वतंत्रता है, उतनी ही चुप रहने की भी जरूरत है।

(व्यवधान)

श्री पाल जी जो आप बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के सम्बन्ध में प्रस्तुत संकल्प एवं संशोधन पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आज राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर सदन में चर्चा हो रही है, इस पर आपने बोलने की अनुमति दे दी है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय सदस्य जो बेल में बैठे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखें, उस समय बता दें कि सरकार का रुख क्या है, उसको स्पष्ट कर दें। मैं उनसे अनुरोध करुंगा कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप सभी लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायें।

(सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

* श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे संशोधन प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने शब्द जाल से जितना तिलस्म पैदा हो सकता है, पैदा करने का प्रयास किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं उनसे अलग हटकर कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, माननीय निशंक जी ने एक बात कही है, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ऊधमसिंह नगर के जन प्रतिनिधियों की जो राय है, वहां की 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतों की जो राय है, वह ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल में सम्मिलित करने की नहीं है, जो प्रस्ताव उन्होंने मेरे पास भेजे हैं, उनकी कापी मेरे पास है, उसको मैं आपके पास भेज रहा हूं। मैंने निशंक जी का नाम इसलिये लिया क्योंकि उन्होंने खुद नाम लेकर कहा था। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं और चुनौती देता हूं कि आप ऊधमसिंह नगर से चुनाव जीत कर आ जायें, तो मैं और मा० शिवपाल सिंह दोनों अपना इस्तीफा दे देंगे। मान्यवर, मेरे संशोधन पर जो बातें आयी हैं, उन पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाये और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस पर जो कुछ कहा गया है उसके संबंध में सरकार अपना पक्ष पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है और मैं तो यह उम्मीद करता था कि माननीय अम्बिका चौधरी जी सारी बातों पर विचार होने के बाद कुछ सदाशयता का परिचय देंगे और अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री अम्बिका चौधरी —

नहीं। मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री प्रमोद कुमार —

मान्यवर, यह के० सी० सिंह जी ऊधमसिंह नगर से आते हैं यह कुछ कहना चाहते हैं। पहली बार यह चुनकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष —

आप सारी प्रक्रिया जानते हैं क्या प्रक्रिया होती है ? क्या संशोधन होता है ? अब मैं इजाजत नहीं देता।

(श्री समर पाल सिंह और श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष —

मैं अब इजाजत नहीं देता।

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव —

मान्यवर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है इसके विरोध में हम सदन त्याग कर रहे हैं।

(सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 के सम्बन्ध मे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत संकल्प व श्री अम्बिका चौधरी द्वारा जो सशोधन प्रस्तुत किया गया है उससे यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये हुये माने गये है अस्वीकार किये जाते है।

प्रश्न यह है कि "यह सदन, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 1998 पर, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विचार प्रकट करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल को निर्दिष्ट किया गया है, विचार करने के पश्चात् उस पर इस सिफारिश के साथ अपनी सहमति व्यक्त करता है कि उक्त विधेयक मे,—

(1) जहां कहीं शब्द "उत्तराखण्ड" आया हो वहां उत्तराचल रख-दिया जाय।

(2) खण्ड 3 में प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य में सम्मिलित किये जाने वाले जनपदो मे हरिद्वार जनपद को सम्मिलित न किया जाय और तदनुसार विधेयक में पारिणामिक संशोधन कर दिया जाय।

(3) हिन्दी पाठ में, खण्ड 5 में "बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख)" आया है, जबकि अंग्रेजी पाठ में इसके स्थान पर "दि बिहार एण्ड उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश आल्टरेशन आफ बाउन्ड्रीज) ऐक्ट, 1968" ही लिखा है। इससे अंग्रेजी पाठ में संशोधन करने में भ्रम उत्पन्न होगा क्योंकि "दि बिहार एण्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्ड्रीज) ऐक्ट, 1968" संविधान की प्रथम अनुसूची में उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रविष्टि में दो बार आया है। अंग्रेजी पाठ में भी हिन्दी पाठ के अनुरूप होना चाहिए। इसलिये विधेयक का अंग्रेजी पाठ हिन्दी पाठ के अनुरूप किया जाय।

(4) खण्ड 13 में उपखण्ड (1) में शब्द "उत्तराखण्ड विधान सभा" के स्थान पर शब्द "उत्तरांचल ही अनन्तिम विधान सभा" रख दिया जाय।

(5) खण्ड 14 के उपखंड (3) में शब्द या अनन्तिम विधान सभा की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर जो भी पूर्ववर्ती हों निकाल दिये जायें तथा उपखण्ड (1) में अनन्तिम विधान सभा के गठन के संबंध में यह उपबन्ध भी कर दिया जाय कि वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद् के ऐसे नामित सदस्य या सदस्यों, जो उत्तरवर्ती राज्य उत्तरांचल के मूल या स्थायी निवासी हों, को भी अनन्तिम विधान सभा का सदस्य बनाया जाय और तदनुसार प्रस्तावित विधेयक की चौथी अनुसूची में उनके नाम सम्मिलित किये जायं और विधेयक में अन्य पारिणामिक संशोधन जो अपेक्षित हो किये जायं।

(6) खण्ड 22 के उपखण्ड (4) में उपखण्ड (?) का उल्लेख मुद्रण त्रुटि मालूम पड़ती है, इसे उपखण्ड (3) होना चाहिये ।

(7) खण्ड 26 में उत्तरवर्ती राज्य उत्तरांचल के लिये अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने तथा जब तक उच्च न्यायालय की स्थापना न हो तभी तक दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की व्यवस्था के लिये उपबन्ध कर दिये जायं ।

(8) खण्ड 28 में उपधारा (4) का परन्तुक निकाल दिया जाय ।

(9) खण्ड 42 में—

(i) उपखण्ड (1) में केन्द्र सरकार द्वारा माल के वितरण के संबंध मे निर्देश दिये जाने के उपबंध को इस आशय का कर दिया जाय कि प्रथमतः दोनों उत्तरवर्ती राज्य वितरण के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो स्वयं आपस में तय करेंगे और ऐसा न हो पाने पर किसी उत्तरवर्ती राज्य द्वारा केन्द्र से अनुरोध किये जाने पर केन्द्र सरकार दोनों उत्तरवर्ती सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् यथावश्यक निर्देश दे सकेगी ।

(ii) उपखण्ड (3) में केन्द्र सरकार द्वारा निदेश दिये जाने के उपबंध को इस तरह कर दिया जाय कि केन्द्र सरकार उत्तरवर्ती राज्यों के परामर्श से निदेश जारी कर सकेगी ।

(10) खण्ड 46 के उपखण्ड (2) में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तरांचल की राजधानी के निर्माण की लागत के लिये पचास करोड़ की राशि का अभिदाय करने की व्यवस्था है । इस उपबंध में उत्तर प्रदेश राज्य के स्थान पर इस प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा समस्त व्यय को वहन करने का प्राविधान किया जाय ।

(11) खण्ड 62 के स्थान पर नया खण्ड 62 रख दिया जाय जिसमें उपबन्ध हो कि :—

(i) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगूलेटरी कमीशन और राज्य भाण्डागारण निगम नियत दिन से इस खंड के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन क्षेत्रों के संबंध में कार्य करते रहेंगे जिसमें नियत दिन के पहले वे कर रहे थे ।

(ii) उत्तरांचल राज्य द्वारा अपने लिये अलग बोर्ड, निगम या कमीशन गठित किये जाने पर उपर्युक्त बोर्ड, कमीशन या निगम उत्तरांचल में काम करना बन्द कर देंगे और उनके इस प्रकार काम बंद करने पर उनकी आस्तियां, अधिकार और दायित्व दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में इस रीति से प्रभाजित किये जायेंगे जैसा उनके बीच में ऐसे काम बंद करने के एक साल के भीतर करार पाया जाय और यदि कोई करार नहीं हो पाता है तब किसी उत्तरवर्ती राज्य द्वारा अनुरोध किये जाने पर ऐसी रीति से प्रभाजित किये जायेंगे जैसे केन्द्रीय सरकार दोनों उत्तरवर्ती राज्यों से परामर्श के पश्चात् अवधारित करें ।

(iii) विद्युत उत्पादन या सम्भरण के लिए या वर्तमान सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को पानी की आपूर्ति करने के संबंध में जो वर्तमान व्यवस्था है वह चलती रहेगी जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी उत्तरवर्ती राज्य को जो अधिकार और लाभ वर्तमान परियोजनाओं में मिल रहे हैं या निर्माणाधीन सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने पर मिलना अभिप्रेत है उनमें किसी प्रकार से कोई कमी न हो ।

(iv) वर्तमान में चल रही जल विद्युत परियोजनायें तथा विद्युत पारेषण प्रणाली जैसा कि वे नियत दिन को थीं के उत्तरवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत बोर्ड के पास रहेंगी ।

(v) उत्तरांचल में स्थित जल विद्युत केन्द्र द्वारा पैदा की गयी बिजली में से उत्तरांचल राज्य को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के हिस्से का 20 प्रतिशत अंश प्राप्त होगा जिसके लिए वह उत्पादन लागत के समतुल्य दर से भुगतान करेगा ।

(vi) यदि कोई उत्तरवर्ती राज्य उपर्युक्त उपखंड में निर्दिष्ट अपने हिस्से की बिजली को पूर्णतः या भागतः नहीं लेता है और उसे विक्रय करना चाहता है तो उसे खरीदने का अधिकार प्रथमतः दूसरे उत्तरवर्ती राज्य को होगा और तत्पश्चात् किसी अन्य राज्य को ।

(vii) निजी क्षेत्र की ऐसी जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में जिनके संबंध में उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत क्रय करार पर दस्तखत किये गये हैं उत्तरांचल राज्य को निजी विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा सम्भरित बिजली का बीस प्रतिशत पाने का अधिकार होगा जिसमें से उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य को मिलने वाली मुफ्त बिजली का पचास प्रतिशत उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य को मुफ्त मिलेगा और शेष के लिए विद्युत क्रय करार में विहित दर के अनुसार भुगतान किया जाना होगा ।

ऐसी परियोजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी अधिकार यथावत् रहेंगे ।

(12) खंड 63 में यह उपबंध रहे कि विद्युत उत्पादन और प्रदाय के तथा जल के प्रदाय के सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था जारी रहे और यदि विद्युत का उत्पादन या आपूर्ति या किसी क्षेत्र में जल की आपूर्ति या ऐसे उत्पादन या आपूर्ति से संबंधित किसी परियोजना का निष्पादन किसी क्षेत्र के लिए इस कारण से अलाभकर रूप में परिवर्तित होना संभावित हो कि इस अधिनियम के भाग-2 के प्राविधानों के फलस्वरूप ऐसा क्षेत्र जिसमें विद्युत उत्पादन या आपूर्ति हेतु विद्युत गृह या अन्य संयंत्र या जलागम क्षेत्र या जलाशय और अन्य निर्माण कार्य उस राज्य के बाहर स्थित हैं तो केन्द्र सरकार दोनों उत्तरवर्ती राज्यों से परामर्श के पश्चात् सरकार या उससे संबंधित अन्य प्राधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकेगी जिसे वह पूर्ववर्ती व्यवस्था बनाये रखने के लिए उचित समझे ।

(13) खण्ड 64 के उपखण्ड (1) में उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम के कर्त्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये जा सकने वाले निर्देश के उपबन्ध को और उपखण्ड (3) में ''उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी'' का उल्लेख हटा दिया जाय ।

(14) खण्ड 65 के उपखण्ड (1) में कतिपय निगमों के बारे में किए गये उपबन्धों में केन्द्र सरकार द्वारा निदेश दिए जाने का उल्लेख हटा दिया जाय तथा उपखण्ड (2) को निकाल दिया जाय ।

(15) खण्ड 66 के उपखण्ड (1) में केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा सकने वाले निर्देशों के प्राविधान को हटा दिया जाय तथा उपखण्ड (2) को निकाल दिया जाय ।

(16) खण्ड 67 के उपखण्ड (2) में यह उपबन्ध कर दिया जाय कि ऐसी सड़क या पुल जो राज्य सरकार, राज्य सरकार के किसी उपक्रम/संयुक्त उपक्रम अथवा निजी क्षेत्र द्वारा व्यावसायिक दृष्टि से निर्मित अथवा विकसित की जाय, उनके उपयोग पर ''पथकर'' की छूट लागू नहीं होगी ।

(17) खण्ड 70 के अन्तर्गत दसवीं अनुसूची में क्रम-संख्या 41 पर ''गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर'' जोड़ दिया जाय ।

(18) खण्ड 71 के उपखण्ड (4) में काडर आवंटन के विषय में इस आशय का उपबन्ध जोड़ दिया जाय कि उत्तरवर्ती राज्यों को अधिकारियों का आवंटन करने के पूर्व अधिकारियों से विकल्प प्राप्त कर लिया जाय।

(19) खण्ड 72 में इस आशय का उपबन्ध कर दिया जाय कि केन्द्रीय सरकार कोई निदेश दोनों उत्तरवर्ती राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात् कर सकेगी।

(20) खण्ड 78 के स्थान पर नया खण्ड रख दिया जाय जिसमें यह उपबन्ध हो कि–

(i) उत्तराचंल में विद्यमान और निर्माणाधीन जल स्रोत परियोजनाओं की बावत सब अधिकार (स्वामित्व, निर्माण, संचालन, अनुरक्षण और नियंत्रण) तथा दायित्व उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश सरकार में निहित बने रहें और विद्यमान तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं का लाभ दोनों उत्तरवर्ती राज्यों को उसी तरह से प्राप्त होता रहे जिस तरह से नियत दिन को हो रहा था।

(ii) भविष्य में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के अपने-अपने क्षेत्रों में जल स्रोत के विकास के मामले में ऐसी परियोजनाएं जिनसे दूसरे राज्य के हित या लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, चलायी जा सकती हैं।

(iii) यदि ऐसी कोई परियोजना किसी उत्तरवर्ती राज्य द्वारा बनायी जाती है जिससे दूसरे उत्तरवर्ती राज्य के जल स्रोत की परियोजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना हो, अथवा ऐसी योजना जो दोनों उत्तरवर्ती राज्य एक संयुक्त योजना के रूप में निर्माण करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो ऐसा योजनाओं के निर्धारण, निर्माण, संचालन के लिये एक स्वशासी द्विपक्षीय बोर्ड का गठन किया जायेगा। इस बोर्ड द्वारा इन परियोजनाओं को इस तरह परिकल्पित, नियोजित और निष्पादित किया जायेगा कि दोनों राज्यों को जो वर्तमान सुविधायें और लाभ मिल रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई कमी न हो। बोर्ड की अंशपूंजी में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों का अंश ऐसे अनुपात में होगा जैसे दोनों राज्य तय करें।

(21) खण्ड 79 के स्थान पर नया खण्ड रखा जाय जिसमें यह उपबन्ध किया जाए कि धारा 78 में निर्दिष्ट बोर्ड का गठन इस प्रकार हो :–

(क) एक पूर्णकालिक अध्यक्ष को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा दी गई सूची में से दोनों राज्यों की सहमति से चुना जायेगा।

(ख) दोनों उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा नामित दो-दो पूर्णकालिक सदस्य।

(ग) दोनों राज्यों द्वारा नामित दो-दो अंशकालिक सदस्य।

(घ) पूर्णकालिक सचिव जो बोर्ड द्वारा चुना जायेगा।

बोर्ड के कृत्यों में निम्नलिखित होंगे :–

(क) परियोजनाओं की परिकल्पना, अन्वेषण, नियोजन करना और उनका सक्षमतापूर्वक और कम लागत से निर्माण करना, और

(ख) परियोजनाओं से प्राप्त लाभों का उत्तरवर्ती राज्यों में आवंटन एवं सम्भरण।

(22) खण्ड 80 के स्थान पर नया खण्ड निम्न प्रकार रखा जाय :–

(क) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु आवश्यक स्टाफ सेवायोजित करेगा। पहला प्रयास यह होगा कि ऐसा स्टाफ उत्तरवर्ती राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर लिया जाय।

(ख) बोर्ड द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों को उत्तरवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मुख प्रस्तुत करके उनका अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(23) खण्ड 81 में इस आशय के उपबन्ध कर दिये जायं कि –

(क) बोर्ड साधरणतया धारा 78 के उपखण्ड (3) में निर्दिष्ट परियोजनाओं में से किसी के बारे में अधिकारिता का प्रयोग करेगा।

(ख) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि धारा 78 के अधीन उसमें निर्दिष्ट किसी परियोजना पर बोर्ड की अधिकारिता है अथवा नहीं तो उसे उत्तरवर्ती राज्यों के मुख्य मंत्रियों को निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

(24) खण्ड 82 के स्थान पर नया खण्ड निम्न प्रकार रखा जाय :–

बोर्ड उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के पूर्वानुमोदन से तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित का उपबन्ध करने के लिये ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों से सुसंगत हों –

(क) बोर्ड के अधिवेशनों के समय और स्थान का तथा ऐसे अधिवेशनों के संव्यवहार में अनुसारित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन,

(ख) शक्तियों तथा कर्तव्यों का बोर्ड के अध्यक्ष या बोर्ड के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजन,

(ग) बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का विनियमन,

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विनियमन बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाय।

(25) पांचवी अनुसूची में क्रम संख्या 61 पर उल्लिखित "रावत" जाति को उत्तरांचल के लिये घोषित अनुसूचित जातियों में से निकाल दिया जाय।

(26) विधेयक में जहां कहीं भी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश दिये जा सकने का उपबन्ध है वहां इस प्रकार संशोधित किया जाय कि केन्द्रीय सरकार दोनों उत्तरवर्ती राज्य सरकारों से परामर्श के बाद निर्देश दे सकेगी।

(श्री अध्यक्ष ने प्रश्न उपस्थित किया)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)—

इस संकल्प का हमारा दल विरोध करता है। मैं लावी डिवीजन की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष —

वर्मा जी स्थिति स्पष्ट है।

श्री धनीराम वर्मा —

चूंकि ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड में शामिल करने का प्रस्ताव है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लाबी डिवीजन करवा लें।

श्री अध्यक्ष—

पहले हाथ उठवाकर गिनवा लेते हैं।

घंटी बजाई जाए।

(घंटी बजाई गई)

श्री धनीराम वर्मा—

बहुत से लोग हाथ उठाने में हिचकिचा रहे हैं।

(समय 6.00 बजे)

(घंटी बंद होने के बाद)

श्री अध्यक्ष—

सारे दरवाजे बंद कर दिये जायं। जब तक विनिश्चय की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो जाती, तब तक दरवाजे नहीं खोले जायेंगे और न माननीय सदस्य बाहर जायेंगे और न ही अन्दर आयेंगे। माननीय सदस्यगण का सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 298 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस पर विनिश्चय कैसे होगा, इसका उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि "मत आवाजों द्वारा या विभाजन द्वारा लिये जा सकेंगे और यदि कोई सदस्य ऐसा चाहेंगे तो विभाजन द्वारा लिये जायेंगे।" जो विधान सभा सदस्य नहीं हैं, यदि कोई ऐसे यहां बैठे हों तो कृपा करके वह बाहर चले जायं। लाबी में यदि कोई सज्जन ऐसे बैठे हों जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं तो वह बाहर चले जायं। लाबी में कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। इसे सुनिश्चित कर लिया जाय।

माननीय नेता विरोधी दल ने यह अनुरोध किया है कि विभाजन द्वारा लिया जाय। इस नियम में एक परन्तुक भी है। जिसमें कहा गया है "परन्तु अध्यक्ष, यदि समझें कि विभाजन की मांग अनावश्यक रूप से की गई है तो वे हाथ उठवा कर मत ले सकेंगे और विभाजन का परिहार कर सकेंगे।" मैंने अनुरोध किया था कि स्थिति स्पष्ट दिखायी पड़ती है। इसलिये माननीय नेता विरोधी दल तैयार हों तो मैं हाथ उठवाकर मत ले लेता हूँ। यदि हाथ उठाकर भी कोई आपत्ति है तो फिर अलग बात है।

सबसे पहले नियमावली के नियम 298(1) के अनुसार हाथ उठाकर के मतदान का जो प्रस्ताव है मैंने पढ़ दिया है। संकल्प को भी सभी माननीय सदस्यों के सामने पढ़ दिया है जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कृपया अपना हाथ उठा दीजिये। जब तक गिनती न हो जाय कृपया अपना हाथ उठाये रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर हाथ उठाया जा रहा है। जो पक्ष में हों कृपया अपना हाथ उठायें।

(जो माननीय सदस्य पक्ष में थे उन्होंने हाथ उठाये और गिनती प्रारम्भ हुई)

जो माननीय सदस्य इस संकल्प के विरोध में हों कृपया वे हाथ उठायें।

(विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा हाथ उठाये जाने पर गिनती प्रारम्भ हुई)

(गिनती समाप्त होने पर)

संकल्प के पक्ष में 215 हाथ उठे हैं और संकल्प के विरोध में 74 हाथ उठे हैं। इस प्रकार यह संकल्प 215 के विपरीत 74 मतों से स्वीकृत हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प, न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह) —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ?

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष —

प्रतियां बांट दी जायं।

(प्रतियां बांटी गई)

श्री हुकुम सिंह —

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय?

मान्यवर, माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों का सही प्रकार निर्वहन कर सकें, इसी को ध्यान में रखते हुये संसद के संसद सदस्यों के वेतन और सुविधाओं में आंशिक वृद्धि की गई।

उसी प्रकार से विधान मंडल के माननीय सदस्य काफी बड़ी संख्या में बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि प्रभावी तरीके से अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाते और सभी सम्मानित दलों के नेतागण, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष माननीय धनीराम वर्मा जी, माननीय अम्बिका चौधरी जी, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, माननीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस श्री प्रमोद तिवारी जी, माननीय नेता किसान कामगार पार्टी, कौकब हमीद जी, माननीय नेता जनता दल सुबाष श्रीवास्तव जी, माननीय नेता सी०पी०एम० राम जग जी, दोनों पक्ष की इच्छा थी कि प्रभावी तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं इसलिए आंशिक वृद्धि की जाय इसलिए विधेयक लाया गया है इसके साथ-साथ पूर्व विधायकों को रेल कूपन की सुविधा दी गयी है और आंशिक रूप से पेंशन में वृद्धि की गयी है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इसको सर्वसम्मति से पास करें।

---

* नोटः-दिनांक 12-10-98 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।
वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष —

कोई अन्य माननीय सदस्य विचार प्रकट करना चाहते हैं।

(किसी के न खड़े होने पर)

मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ सभी संगत नियमों को शिथिल करते हुए।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड–2 से खण्ड–14 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम 1952, और उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

भाग–एक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायगा।

भाग–दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे इस भाग में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द "आठ सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा और,–

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में शब्द और अंक "दिनांक 1 जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "दिनांक 1 जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:–

"(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को दस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे भूतपूर्व सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग में लाये जा सकते हैं और इस उपधारा के अधीन दिये गये रेल कूपनों पर उपधारा (1) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

धारा 13 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (4) में शब्द और अंक "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द और अंक "और उपधारा (2)" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 15 में,–

(क) उपधारा (1) मे शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) और (3) मे शब्द "एक सौ पचीस रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे,

धारा 15-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 15-क में,–शब्द "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 18-क का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 18-क में, खण्ड (क) में–शब्द "छः सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे,

धारा 24 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 24 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा, और,–

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द "एक हजार दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(दो) परन्तुक में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी पेंशन के साथ-साथ उपधारा (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार होगा।"

10—मूल अधिनियम की धारा 25 में "खण्ड (क) और (ग) निकाल दिये जायेंगे। धारा 25 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 26 में शब्द खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग)" के स्थान पर शब्द "खण्ड (ख)" रख दिये जायेंगे।– धारा 26 का संशोधन

भाग–तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

12—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे इस भाग में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 4 में,– धारा 4 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "तथा उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे अन्य स्थान पर भी और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार इस संबंध मे बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत करें" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, और 27 मार्च, 1997 को बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्–

(3) अध्यक्ष और सभापति प्रत्येक को अपने गृह जनपद में अपने निजी निवास स्थान के रख-रखाव के लिए यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सभापति के रूप मे उनके निर्वाचन के दिनांक से दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास पाने का अधिकार होगा।

भाग–चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

14—उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में,– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "नौ सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार दो सौ पच्चीस रुपये" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–14 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० भीमराव अम्बेडकर विश्व विद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिए मा० अध्यक्ष को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष —

संसदीय कार्य मंत्री का एक प्रस्ताव है।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

"डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के 5 सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधान सभा के दिनांक 21 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के 5 सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा सम्यक् रूप से निर्वाचित समझे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के पांच सदस्यों के निर्वाचन के लिए विधान सभा के दिनांक 21 जुलाई, 1998 के उपवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में यह सदन उक्त विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिए विधान सभा के 5 सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए माननीय अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह संकल्प करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य संबंधित अधिनियम के उपबन्धों की अपेक्षानुसार विधान सभा द्वारा सम्यक् रूप से निर्वाचित समझे जायेंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन की दर्शक दीर्घा से उत्तराखण्ड के समर्थन में कतिपय व्यक्तियों द्वारा लगाये गये नारों के संबंध मे पीठ का निर्देश (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष —

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं।

मार्शल विधान सभा से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिनांक 23 सितम्बर, 1998 को विधान सभा के उपवेशन में मा० ऊर्जा मंत्री के भाषण के मध्य लगभग 4.47 बजे विधान सभा की दर्शक दीर्घा नं०-2 में बाईं ओर की मध्य पंक्ति में बैठे हुए 2 दर्शक अपने स्थान से अचानक

खड़े हो गये और "उत्तराखण्ड जिन्दाबाद, उत्तराखंड को पावर दो" के नारे लगाने लगे, जिससे सदन की कार्यवाही में क्षणिक व्यवधान हुआ इसी बीच दीर्घा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने दोनों व्यक्तियों को नारे लगाने से रोकते हुए उन्हें दीर्घा से बाहर कर दिया। उक्त दोनों व्यक्तियों के पास दर्शक दीर्घा के आज दिनांक 23 सितम्बर, 1998 की 3.00 बज से 5.00 बजे अपराह्न की पाली के लिए मा० मंत्री उत्तरांचल विकास के निजी सचिव की संस्तुति पर जारी किया गया दो दीर्घा प्रवेश-पत्र भी मिला उन व्यक्तियों से पूछताछ कर प्राप्त जानकारी निम्नवत् है –

1—श्री सतीश लखेरा पुत्र श्री लोकानन्द लखेरा ग्राम रेवाड़ी एवं तहसील रानी खेत, जनपद अल्मोड़ा स्थानीय निवासी 6/846 विकास नगर, लखनऊ दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र संख्या 2386 इन्होंने अपने को इस समय उत्तराखंड क्रान्ति दल का पूर्णकालिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय प्रवक्ता बताया तथा यह भी कहा कि वे स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता भी करते हैं।

2—डा० भुवन कुंवर, पुत्र स्व० बाला सिंह ग्राम पोस्ट, बलुआ, थाना जौलजीबी तहसील धारचूला, जनपद पिथौरागढ़। स्थानीय निवासी एम०आई०जी० 71 सेक्टर ई०, अलीगंज, लखनऊ। इन्होंने अपने को उत्ताखंड आन्दोलन का सक्रिय कार्यकर्ता बताया तथा यह भी कहा कि वें लखनऊ में प्राइवेट होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उनका पंजीकरण क्रमांक 24001 है इन्हें जारी दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र संख्या 2391 है।

उक्त दोनों व्यक्तियो ने यह स्वीकार किया कि उनका सदन की बैठक में व्यवधान डालने का कोई मन्तव्य नहीं था। उत्तराखंड से संबंधित सदस्यों की बहस सुनने के लिए वे विधान सभा की दर्शक दीर्घा में आये थे परन्तु भावावेश में आकर उन्होंने दर्शक दीर्घा मे नारे लगाये। उक्त दोनों व्यक्ति इस समय मार्शल विधान सभा की अभिरक्षा में हैं। उनके पास से प्राप्त दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र एवं मा० मंत्री उत्तरांचल विकास द्वारा दिया गया संस्तुति पत्र मूल रूप से संलग्न है।

यद्यपि कि उक्त दोनों दर्शकों के इस आचरण से सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ परन्तु उक्त दोनों दर्शकों द्वारा अपने इस आचरण पर खेद व्यक्त करते हुए यह स्वीकार किया गया है कि उनका मन्तव्य सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना अथवा व्यवधान डालना नहीं था अपितु भावावेश में उनसे यह गलती हो गयी। इस प्रकार की घटनाओं को विशेष महत्व देना कदाचित समीचीन नहीं होगा। अतः यदि सदन सहमत हो तो मार्शल विधान सभा की अभिरक्षा की अवधि को उनके लिए पर्याप्त दण्ड मानते हुए उक्त दोनों दर्शकों को छोड़ दिया जाए।

क्या सदन सहमत है कि दोनों दर्शकों को छोड़ दिया जाए?

(सर्वसम्मति से दोनों दर्शकों को छोड़ने पर सदन ने सहमति व्यक्ति किया)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, अब काफी समय हो गया है और माननीय सदस्य जाना भी चाहते हैं इसलिए जो आगे की मदें है, उनको स्थगित कर दिया जाये।

(व्यवधान)

प्रदेश में दैनिक खाद्य वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम–52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर निर्धारित चर्चा

श्री अध्यक्ष—

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, आप चर्चा प्रारम्भ करें।

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के चर्चा प्रारम्भ न करने पर)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है,...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में शान्ति बनाये रखें।

(व्यवधान)

कृपया अपना अपना आसन ग्रहण करें।

* कुंवर रेवती रमण सिंह —

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं और उधर माननीय सदस्य जा रहे हैं, जिनको जाना है वह चले जाये, और सदन में शान्ति बनी रहे।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, तब से कोई न कोई नया तोहफा देने का काम किया है। आज आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं। प्याज 40 रुपये किलो हो गया है, 37 रुपये किलो अरहर की दाल हो गयी है, 60–70 रुपये किलो तेल के दाम हो गये हैं, 55–56 रुपये डालडा के दाम हो गये हैं। मान्यवर, अगर हर चीज के दाम आप देखें तो गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। नमक 6 रुपये किलो है जो नमक एक रु० में मिलता था उसके दाम 6 रु० हो गये हैं। एक गरीब आदमी जो 25 रु० 30 रु० रोज कमाता है वह आज दो जून का भोजन भी नहीं कर पा रहा है। उसे दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। गरीब आदमी पहले प्याज के साथ रोटी खा लेता था वह आज 40 रु० किलो० हो गया है।

सरकार प्याज को निर्यात कर रही थी अब केन्द्र सरकार ने प्याज को आयात करने की बात कही है। जब यहां प्याज की कमी थी तो निर्यात करने की क्या आवश्यकता थी। अभी सरसों गांवों में प्रचुर मात्रा में है लेकिन सरकार की ऐसी व्यवस्था है कि गांव का किसान अपनी सरसों बेच नहीं सकता है उसका नतीजा है कि सरसों का तेल लखनऊ में 60 से 80 रु० के बीच में बिक रहा है। यह सरकार कहती है कि हम प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं तो क्या यही मापदण्ड है आगे ले जाने का। आज कोई भी गरीब और मध्यम वर्ग का आदमी जिसे 4 हजार, 5 हजार तनखा मिलती है वह अपना गुजारा नहीं कर पा रहा है। सब्जियों के दाम 10 रु० 20 रु० और 25 रुपये है। परवल 25 रु० किलो०, टमाटर 15 रु० किलो० भिंडी 12 रु० किलो यह सरकार आम जनता को क्या सुविधा देना चाहती है।

मैं जानना चाहता हूँ एक रोज जब बात आई थी कि टमाटर 40 रु० किलो० बिक रहा है तो हुकुम सिंह जी ने कहा था कि इसे खाने की क्या जरुरत है। तो अब बताईये जनता क्या खाये। सब्जी महंगी, दाल महंगी, तेल महंगा, डालडा महंगा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आम जनता खा सके। एक हजार से 5 हजार तनखा पाने वाला कोई चीज नहीं खा सकता है। मैं मांग करता हूँ कि सरकार कड़ाई से प्रतिबंध लगाये और जो मूल्य बेतहासा बढ़ रहे हैं इसे रोका जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*डा० अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, जब से यह भाजपा सरकार उ० प्र० में पदारूढ़ हुई है तब से महंगाई निरन्तर बढ़ती जा रही है। आज खाद्यान्न वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों का जीना दूभर हो गया है। मध्यम वर्ग का आदमी सब्जी, खाद्यान्न, तेल दलहन आदि चीजें खरीदने में असमर्थ हो गया है। इनके इस एक वर्ष के कार्यकाल में आजादी के 50 वर्षों में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। प्रदेश की जनता को भारी कठिनाई हो रही है। यह सरकार खाद्यान्न के मूल्यों पर कोई रोक नहीं लगा पा रही है।

सरकार की अकर्मण्यता के कारण बाजार पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है आलू 12 रु० से 16 रु० तक खरीदने के लिये लोग बाध्य हैं। दाल 35 रु० से 40 रु० तक बिक रही है। सब्जी सौ रुपये में झोला टांग कर ला रहे हैं। खाद्यान्न, तेल दलहन की हालत यह है कि तेल 65 रु० किलो बिक रहा है। डालडा तेल तिलहन सब चीजें महंगी है। सामान्य व्यक्ति को जीवनयापन करना कठिन हो गया है। महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है।

आज प्याज 37 रुपये किलो बिक रहा है। सब्जियां सामान्य व्यक्ति की पहुंच के बाहर हैं।

श्री बाबूराम यादव—

मान्यवर, एक व्यवस्था चाहता हूँ। पहले चर्चा हो जाय उसके बाद लोग अपना-अपना वेतन जोड़ें।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

आपकी बात ठीक है, आपने पहले जोड़ लिया है।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य खड़े हैं वे या तो अपने स्थान पर जायं या लाबी में चले जायं।

* डा० अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, इस सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण प्रदेश में खाद्य तेलों का संकट उत्पन्न हो गया है। खाद्य तेलों में जहर मिलाने का काम किया जा रहा है। सरकार को इन सारे मामलों पर गंभीर होना चाहिए क्योंकि आज मूल्य सूचकांक दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। आज सामान्य जनता अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हो गयी है। माननीय सदस्यों का वेतन बढ़ा है उनके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान है कि वह अपनी दाल सब्जी खा सकेंगे लेकिन जो प्रदेश की जनता है वह कैसे अपना गुजारा करेगी। क्या सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था की है जिससे सामान्य जनता की आवश्यकता की चीजें सही मूल्य पर उपलब्ध हो सकें। आज अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग का हर व्यक्ति परेशान है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जबसे यह सरकार आयी है तबसे प्रदेश की जनता परेशान है। यह सरकार न जाने कौन सा अभिशाप लेकर आयी है कि इस प्रदेश की जनता को परेशानियां ही परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। मुख्य मंत्री जी लंबे समय तक इस सदन में रहे हैं क्या वे कोई ऐसी कार्य योजना बनायेंगे जिससे प्रदेश में बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। पूरी सरकार फिजूलखर्ची में लगी है और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा ऐशो आराम पर सरकार जुटा रही है। यह जो जंबो जेट मंत्रि मंडल है यह प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खा रही है। आज प्रदेश की जनता के सामने महंगाई की ज्वलंत समस्या है। अगर महंगाई पर रोक नहीं लगायी गयी और जनता को सस्ती दर पर खाने की चीजें न मिली तो एक अभूतपूर्व संकट पैदा हो जायेगा। 55 जिलों में बाढ़ आयी है। लोगों के मकान गिर गये हैं, उनकी संपत्ति नष्ट हो गयी है वह अपना जीवन यापन कैसे करेंगे इस पर सरकार को सोचना चाहिये। इससे ज्यादा तात्कालिक समस्या और कोई नहीं हो सकती है। इस सुरसा की तरह बढ़ती हुयी महंगाई से जनता को राहत दिलायी जाय और कोई ठोस कार्य योजना बनायी जाय ताकि महंगाई पर अंकुश लगाया जा सके। आलू, प्याज, टमाटर, दालें, तेल जनता को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया जाय। आज सरकार सदन में यह घोषणा करे कि उसने क्या योजना बढ़ती हुयी महंगाई को रोकने के लिये बनायी है। (धन्यवाद)

* श्री जगदम्बिका पाल—

श्रीमन् मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महंगाई है और उस पर आपने चर्चा मंजूर की इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उत्तरांचल के विधेयक के सम्बन्ध में विशेष सत्र बुलाया गया था। आप भी कदाचित सहमत होंगे कि जब इस सत्र के बढ़ाने की मांग थी और सत्र का कार्यकाल नहीं बढ़ा तो सम्भवतः कोई मानसून सत्र या विन्टर सेशन हो। आज जब सत्र का अवसान हो रहा है और इस चीज से लोग सहमत हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के बाजारों में दाम बांधो नीति की कोई व्यवस्था नहीं है और आज बाजारों में निरंकुशता व्याप्त है। चाहे सब्जियाँ हों, सरसों का तेल, दाल, डालडा, मसाले जितनी भी दैनिक उपभोग की वस्तुयें हैं उनके दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। इस चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं।

यह पूरा सदन और उत्तर प्रदेश की जनता उनसे अपेक्षा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सुरसा की तरह से बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार कौन से उपाय करेगी? पिछले सत्र में भी महंगाई की बात उठी थी और हम लोगों ने चिन्ता व्यक्त की थी और सरकार की तरफ से एक आश्वासन आया था कि हम प्रतिबद्ध हैं और बाजारों में रेटलिस्ट लगायेंगे और आम उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो पायेगा। अगर मांग के अनुरूप उत्पादन कम है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाये रखने के लिए सरकार उपाय करे, चाहे विपणन की सही व्यवस्था कर या बाहर से वस्तुयें मंगाकर या फेयरप्राईज शाप्स से चीजें उपलब्ध कराकर। आम उपभोक्ता को चीजें मुहैया नहीं है उन्हें फेयरप्राईज शाप्स से देने की बात कही गयी थी। आज पूरे प्रदेश में 55 जनपद बाढ़ से डूबे रहे। लगभग सवा करोड़ व्यक्ति जलप्लावन की स्थिति में फंसे हुये थे। गांव टापू बन गये, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप कल्पना करिये कि दो महीने गांव के लोगों को कहीं खेतों में मजदूरी का काम नहीं मिला। 80 फीसदी जनता गांवों में रहती है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और गांव के अधिकांश व्यक्ति मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका को चलाते हैं। दो-दो बार धान के बीज डाले गये लेकिन पूरी खेती समाप्त हो गयी। दो महीने तक लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल पायी, लोग गांवों में बैठे हुए थे और गांव के बड़े लोगों ने सहयोग और सहायता की। अगर शासन से 15–20 किलो० राहत सामग्री के रूप में अनाज मिल भी गया तो उससे 5 व्यक्ति की व्यवस्था दो-दिन भी नहीं हो सकती है। आप कल्पना करिये कि एक तरफ बाढ़ की विभीषिका के कारण कोई मजदूरी का साधन नहीं मिला। लोग शहरों या बाजारों में कहीं भी मजदूरी करते हैं या व्यापारियों के यहां काम करते हैं वह लोग शहर आने से भी वंचित रहे क्योंकि तमाम ऐसे जनपद हैं जिनका सम्पर्क शहरों से टूट गया है।

[समय 7.00 बजे]

आप कल्पना करें इससे गम्भीर प्रश्न कोई नहीं हो सकता है। गांवों के लोग जो प्रतिदिन शहर जाकर कहीं न कहीं खड़े हो जाते हैं जब उनको काम मिल जाता है तब वह शाम को बाजारों से उपयोगी सामान खरीद कर लाते हैं। तब उनका चूल्हा जलता है। सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में अपने को अक्षम पा रही है। जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उससे व्यापारियों में निरंकुशता आ गई है।

सरकार कह रही है कि कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। यह सरकार इतनी संवेदनशील है कि 16 करोड़ जनता की क्रय शक्ति नहीं रह गई है। वह इतनी क्षीण हो गई है कि अच्छे से अच्छे घरों में दोनों समय दाल, रोटी, सब्जी, चावल नहीं बन रहा है। जो 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको दोनों वक्त खाना तक नहीं मिल पा रहा है। आज सरसों के तेल के दाम 65 रुपये हैं उस की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है चोरी छिपे वह मिल रहा है। इसी तरह से मसालों और सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं। पांच लोगों के परिवार वाला मजदूर सब्जी तक नहीं खरीद सकता है। यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है।

उत्तर प्रदेश में महंगाई निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसको रोकने में इस सरकार ने कोई ठोस उपाय नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता का इस सरकार से मोह भंग होने लगा है। आज महिलाओं ने, जिनका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मिला था, उनका मोह भंग होता जा रहा है। जब वह बाजार में झोला लेकर जाती है तभी वह इस सरकार की आलोचना करती हैं। आज जिस तरह से इस सरकार की आलोचना हो रही है अगर संवेदनशील सरकार है तो उसे इस पर स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिए कि किस तरह से हम महंगाई को रोकने का उपाय करेंगे। लेकिन यह ऐसा नहीं कर रही है।

डा० धर्मज्ञ मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महंगाई पर बोलने का मुझे अवसर दिया। आज महंगाई चरमसीमा पर है। सारे प्रदेश के मजदूरों किसानों के सामने इससे महंगाई की भयंकर समस्या पैदा हो गई है। आज अरहर की दाल 40 रुपये किलो मिल रही है सब्जी के दाम बराबर बढ़ रहे हैं। इससे गरीबों का नुकसान हनन हो रहा है। इस बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आज आलू का व्यापारी स्टाक किए हुए है, चने का स्टाक किए हुए हैं चने और उरद के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो सारे प्रदेश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। आज मजदूरों को 40 रुपया मिलता है। 40 रुपये में वह क्या-क्या चीजें खरीदेगा। जनता भुखमरी का शिकार हो रही है। यह समस्या बनी हुई है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि महंगाई को कंट्रोल करे। आज बड़े-बड़े स्टाकिस्टों ने कोल्ड स्टोरेज में आलू-

प्याज आदि जमा कर लिया है। लौकी 10 रुपये किलो बिक रही है, तुरई 8 रुपये किलो बिक रही है। जब तक इन लोगों पर अंकुश नहीं लगाया जायेगा तब तक गरीबों का कल्याण नहीं होगा। यह गरीबी मिटाने वाली सरकार नहीं बल्कि किसानों और गरीबों की विरोधी सरकार है। चैत के महीने में जब किसान अपनी अरहर बेचने जाता है तो उसे 1200 कुन्टल रुपये के हिसाब से बेचना पड़ता है और जब वह खरीदने जाता है तो उसे 40 रुपये किलो के हिसाब से दाल खरीदनी पड़ती है। यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो प्रदेश की हालत खराब ही जायेगी।

आज खाद तथा सीमेन्ट के दाम बढ़ रहे हैं, भट्टा मालिक ईंट के दाम बढ़ा रहे हैं। मजदूरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब के दाम बढ़ रहे हैं। बाढ़ की समस्या से तो आप अवगत हैं ही, जिन लोगों के मकान गिर गये हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए परमिट सिस्टम के आधार पर ईंटा उपलब्ध कराया जाय, सीमेन्ट उपलब्ध कराया जाय ताकि वह मकान बना सके। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

* श्री कौशल किशोर—

मान्यवर, आज महंगाई सुरसा की तरह मुँह फैला रही है। चारों तरफ से यह आवाज आ रही है कि महंगाई का कारण अभाव है। यदि महंगाई का कारण अभाव है तो जो लाल किले की प्राचीर से कहा गया कि अभाव की वजह से यह हुआ तो इस पर चिन्तन होना चाहिए था कि यह अभाव क्यों? जब वस्तुएं उत्पादित हुई थी उस समय अभाव था ? आलू जब पैदा हुआ था तो उस दिन अभाव था ? जब प्याज पैदा हुआ था तो उस दिन अभाव था ? जिस दिन सरसों पैदा हुई थी ? उस दिन अभाव था।

जब अभाव था, उस समय इनके दाम नहीं बढ़े। मान्यवर, जब यह माल पैदा होकर बाजार में आया तो बड़े-बड़े व्यापारियों ने खरीद लिया और जमा कर दिया, जिसकी वजह से कृत्रिम अभाव हुआ। दूसरी वजह कम पैदा होने से अभाव होता है। परन्तु यह अभाव कृत्रिम अभाव है। यदि दोनों प्रकार का अभाव है तो सरकार का फर्ज था कि वह इस पर चिन्तन करे। यह सरकार का फर्ज है कि वह अपनी जनता का पालन-पोषण करे। यदि कोई साधारण व्यक्ति कहता कि महंगाई का कारण अभाव है तो कोई बात नहीं परन्तु जिसके हाथ में देश की बागडोर है वह महंगाई का कारण अभाव बताता है। महंगाई का कारण कृत्रिम अभाव है और किसी भी बड़े व्यापारी के यहां छापे नहीं मारे गये और न ही कोई कार्यवाही की गई। महंगाई को वास्तव में दूर करना यह सरकार चाहती तो विदेशो से माल को मंगवाकर दूर कर सकता थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

मान्यवर, जब सरकारे दोनों एक दल की हो गई तो उनकी समझ में आया कि "सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का"। इसका नतीजा यह हुआ कि सारा का सारा माल व्यापारियों के यहां चला गया और उनका अभाव पैदा हो गया। इस महंगाई का कारण कांग्रेस को कहते हैं कांग्रेस को 6 साल शासन छोड़े हो गया है। महंगाई को अनदेखा किया है और व्यापारियों ने उसका लाभ उठाया कि सारा का सारा माल अपने यहां डम्प कर लिया जिसका नतीजा यह हुआ कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती गई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छोटे व्यापारियों को भी बहुत नुकसान हो रहा है अगर वह दाल खरीदने जाता है तो कह दिया जाता है कि नहीं है जब वह बढ़े हुए दाम देने को तैयार होता है तब जाकर उसको कुछ दाल मिल पाती है और जिस रेट से वह खरीद कर लाता है वह उसमें दो चार पांच रुपया बढ़ाकर तो बेच रहा है। फायदा तो व्यापारियों को ही हो रहा है आम आदमी तो इस महंगाई से मरा जा रहा है। सरकार को चाहिए कि इस तरह से जो मनमाने ढंग से सामानों के दाम बढ़ाकर बेचा जा रहा है उसको रोके। जिस तरह से गरीब जनता का पैसा जा रहा है उसका ख्याल रखे।

* श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, महंगाई के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है। मैं मानता हूँ कि कुछ चीजों के दाम बहुत बढ़े हैं। उपभोक्ता का शोषण भी हुआ और वस्तुओं की उपलब्धता भी कम रही। मान्यवर, प्याज के दाम की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया। यह दुर्भाग्य है कि 1997-98 कृषि के लिए बहुत ही खराब वर्ष रहा है। प्याज की सारी फसल खराब हुई और जो प्याज नासिक में आ जानी चाहिए थी अभी खेतों में पानी भरा होने के कारण उस प्याज की खोदाई सम्भव नहीं हो सकी। हमने प्रयास किया था कि हम वहां से उपलब्ध करा सकें आज सुबह ही जानकारी मिली कि जो काम 15 दिन पहले हो जाना चाहिए था वह अभी शुरू ही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरी हो जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश की फसल ही बर्बाद हो गई है। इसी तरह से सब्जियों की महंगाई की बात कही गई। सब्जी की बात करते हैं तो आलू उसमें मुख्य रूप से आता है जिसका प्रयोग बहुतायत से होता है। जब आलू के दाम बढ़ते हैं तो दूसरी सब्जियों के दाम पर भी उसका असर पड़ता है। मान्यवर, झुलसा रोग से आलू की फसल बरबाद हो गयी। उत्तर प्रदेश में सारे देश का 40 प्रतिशत आलू उत्पादन होता और बाहर भी निर्यात किया जाता है। इस बार निर्यात करना तो दूर जो शीतगृह थे वह भी खाली पड़े रहे। इन कमियों के साथ में हमको चलना सीखना होगा। टमाटर के बारे में जो मैंने कहा था मैं अपनी कथनी पर बल देता हूँ। आपके पड़ोस का एक देश है मैं नाम नहीं लूँगा आपको आश्चर्य होगा वहां 50 रुपये किलो चीनी है लेकिन वह पड़ोस के देश को 15 रुपये किलो निर्यात कर रहा है। अपने नागरिकों को 50 रुपये किलो दे रहा है। चार चीजें आवश्यक हैं। गेहूँ, आटा, चावल, चीनी।

चीनी का क्या भाव बढ़ा है? चावल और गेहूँ का क्या भाव बढ़ा है? चीनी का मूल्य यदि 2/3 रुपया बढ़ गया है तो उस पर इतनी चिन्ता व्यक्त नहीं करनी चाहिए। और चीजों से तुलना करें तो उसका दाम 25 रुपये किलो होना चाहिए था। लेकिन 15 रुपये किलो दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने समान्तर व्यवस्था की हुई है इसलिए दाम नहीं बढ़े। चावल के दाम नहीं बढ़े। दाल के बारे में कहा जाता है कि अरहर की दाल की फसल बरबाद हुई अरहर की दाल सबसे महंगी है तो जो सस्ती दालें हैं उसको खा लिया जाए मसूर की दाल है, उड़द की दाल है वह खा लें जो चीजें उपलब्ध नहीं हैं उनको खाने का काम क्यों कर रहे हैं। किसान सुबह हल चलाने के लिए खेत में जाता था दो रोटी और प्याज उसके साथ होती थी अब प्याज कुंवर साहब की डाइट हो गई।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसमें चिन्ता होने की बात नहीं हैं चीजों के भाव उत्तर प्रदेश में ही नहीं बढ़े हैं पूरे देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े हैं किसी चीज की उपलब्धता में कमी रही, सब्जियां हैं तमाम चीजें हैं, दाम बढ़े हैं। इस बार जैसा सीजन है उसको देखते हुए अनुमान है अगर फसल को कोई बीमारी नहीं लगी तो चाहे गन्ने की फसल हो या चाहे प्याज की बुआई हो पर्याप्त मात्रा में होगी और भाव नीचे गिरेंगे। तेल की बात करी तेल महंगा हुआ सरसों का उत्पादन कम हुआ। एक सरकार केन्द्र में थी 1997 में तेल के ऊपर सरसों के ऊपर नियंत्रण था, कन्ट्रौल आर्डर लगाया गया नवम्बर, 1997 में उस सरकार ने सारे नियंत्रण समाप्त कर दिए सरकार का नियंत्रण नहीं रहा तो जो जमाखोर आदमी थे जिस चीज की उपलब्धता में कमी थी उसका फायदा उठाया, और स्टाक चीजों का किया।

आपको ज्ञात होगा कल ही आदेश पारित हुआ है प्रदेश सरकार ने नियंत्रण किया है आदेश जारी किए गए हैं अगर निर्धारित सीमा से ज्यादा स्टाक है तो वह पकड़ा गया है उसके खिलाफ कार्यवाही की गई। जो आवश्यक वस्तुए हैं उनके भाव नहीं बढ़ने दिए। तेल की समस्या का हल किया। मैं समझता था कि कुछ अच्छी बात सुनने को मिलेगी लेकिन कड़वाहट भर गई अगर कुछ अच्छे सुझाव देते जिनको सुनकर फायदा होता। मैं इसी के साथ चर्चा समाप्त करने की बात कहना चाहता हूँ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

संसदीय कार्य मंत्री जी खाद्य मंत्री जी भी है मैं उम्मीद करता था कि कुछ ऐसे तथ्य बतायेंगे जिससे आने वाली महंगाई पर रोक लग सके। माननीय खाद्य मंत्री जी ने कहा, प्याज खाना जरुरी है ? अरहर की दाल खाना जरुरी है? टमाटर खाना जरुरी है? आप बता दें क्या जरुरी है ? अरे भई आप ही बता दो मध्यम वर्गीय लोग क्या खाएं ? उनको क्या खाना जरुरी है ? पूर्वी उत्तर प्रदेश में अरहर की दाल खाई जाती है आपने बता दिया मसूर की दाल, उरद की दाला खा लो, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं खाई जाती है। हुकुम सिंह जी, आप कहते हो प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया ना खाओ, खाओ क्या? यह तो बताया नहीं। चावल काहे से खायेंगे नमक का भाव 6 रुपया किलो है। यह तो बताओ भई रोटी किस चीज से खायें। चावल किस चीज से खायें। मान्यवर, एक कहावत याद आती है। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। वहां की महारानी एक दिन जा रही थी तो उसने लोगों को देखा तो उसने पूछा कि यहां पर क्या हो रहा है ? तो लोगों ने कहा कि यहां पर विप्लव हो गया है। उन्होंने यह पूछा कि यह क्यों हुआ तो उन्होंने यह कहा कि रोटी नहीं मिल रही है। महारानी ने कहा कि केक खा लें। वैसे ही हुकुम सिंह जी ने कहा कि यह खा लें या वो खा लें। प्याज न खायें, हरी सब्जी न खायें, आलू न खायें तो आखिर खायें क्या ? चीनी के बारे में उन्होंने कहा। पिछली साल तीन रुपया किलो कंट्रोल की चीनी महंगी हुई है। मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत से ज्यादा हो गयी जबकि पिछले साल तीन प्वाइन्ट कुछ प्रतिशत थी। हम यह उम्मीद करते थे कि खाद्य मंत्री होने के नाते यह बतायेंगे कि महंगाई पर रोक लगाने के लिए यह सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ? लेकिन आपने अपनी असहायता बता दी कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यह तो प्रकृति की वजह से हो गया है।

मान्यवर, आपकी सरकार दिल्ली में भी है और प्रदेश में भी है। प्याज आपने कह दिया कि नासिक में खराब हो गया। आप उसका आयात कराते। आपने आयात किया है जब वह 40 किलो हो गया। यदि यह पहले कर देते तो दाम इतने ज्यादा न बढ़ते। यदि इसी तरह से आबादी को कम करना चाहते हो तो हमें कुछ नहीं कहना है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)—

मान्यवर, लौकी है, तुरई है यह चीजें खायें। यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होती है। सब्जियों में भिण्डी है, टमाटर तो इस समय 5 रुपया किलो बिक रहा है। वह खायें। मान्यवर, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि एक व्यक्ति 50 ग्राम दाल से ज्यादा नहीं खा सकता है।

प्रदेश में सरसों तथा अन्य खाद्य तेलों में अपमिश्रण से फैली ड्राप्सी बीमारी के कारण जन स्वास्थ्य प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी आदि द्वारा नियम 52 में दी गई सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष—

चर्चा प्रारम्भ करें।

श्री अम्बरीष कुमार—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। अभी एक माह पहले दिल्ली से समाचार मिला कि सरसों के तेल से ड्राप्सी बीमारी हो गयी है और उसमें आरजिमोन की मिलावट है। उसको रोकने के लिए यह हुआ कि प्रदेश सरकार ने सरसों के तेल की बिक्री पर पाबन्दी लगा दी और जिसके पास स्टाक था उसे सील कर दिया सैम्पलिंग हुई और व्यापारियों को प्रताड़ित किया गया और विकल्प यह बताया गया कि विदेश से पामोलीन आयात करेंगे और उसे फेयर प्राइस शाप के माध्यम से बेचेंगे जिससे लोग उसका इस्तेमाल कर सकें।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि 16 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गयी है जिनका दायित्व खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर समय-समय पर जांच पड़ताल करके यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट न हो। उनकी जिम्मेदारी क्यों निर्धारित नहीं की गयी? तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि दिल्ली से जब यह खबर आयी कि आरजीमोन मिल रहा है, तो आयुर्वेद के डाक्टर ने बताया कि इसका इस्तेमाल आयुर्वेद दवाइयां बनाने में किया जाता है और यह इतनी मात्रा में नहीं है। तो यह पाबन्दी लगा दी गयी और यह कहा गया कि पामोलीन आयात करेंगे। जो खली हम सरसों के तेल से प्राप्त करते हैं जिसका जानवरों को चारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका विकल्प नहीं हो पाया नकली शराब पीने से हजारों लोग मरते हैं पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं लगता है। मैं यह जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से कि क्या जो ड्राप्सी बीमारी प्रदेश में फैली यह बीमारी केवल सरसों के तेल में मिलावट के कारण हुई या कोई और भी कारण हो सकते हैं? या कितनी सैम्पलिंग हुई ? क्या उससे पहले जो तेल बिक रहा था वह अशुद्ध तेल नहीं बिक रहा था? क्या बाहर से कोई सरसों आया जिसके कारण उसमें मिलावट पैदा हुई? बिना जांच कराये हाहाकार मचा दिया गया जैसे ही यह बात उड़ी सरकार के हाथ पांव फूल गये। पूरी जनता में इसका आतंक फैल गया। तेल पर प्रतिबंध लग गया कहा गया कि जब पामोलीन बाहर से आयेगा तब फेयर प्राइज शाप से मिलेगा। जिस देश में पामोलीन का स्टाक ज्यादा उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकता है तो भारत उसके लिए एक अच्छी मंडी है। कोई खबर दिल्ली से फैलती है तो पूरे देश में फैल जाती है।

कोल्हू पर प्रतिबंध लगा दिया गया, 10 दिन बाद वह प्रतिबंध हटा दिया गया कहा गया कि कोल्हू में तेल पिरवा सकते हैं और घर ले जा सकते हैं। यह आदेश हुए कि अब सरसों का

तेल पैक में ही मिलेगा लूज इस्तेमाल करने पर कार्यवाही होगी। मान्यवर, भारत की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है प्रदेश की जो स्थिति है किसान अपने लिए सरसों पैदा करता है अब वह सरसों कोल्हू से पिरवायेगा तो कहां से डिब्बा बंद उसे करवायेगा। जो सैम्पुलिंग की जिम्मेदारी है व्यापारी से महीना पहुंच जाता है सैम्पुलिंग नहीं करते हैं। सैम्पुलिंग न करने के कारण स्थिति विषम होती है अभी विज्ञापन निकला कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा रंग देखा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग ने बाद में प्रचारित किया पहले क्यों नहीं प्रचारित किया? अचानक जो ऐसा हुआ है इससे यह बू आती है कि निहित स्वार्थ के चलते समस्या पैदा की गयी है। सरकार इससे कारगर ढंग से निपटने में विफल रही है। सरकार का जो आदेश है डिब्बा बंद तेल का उससे किसान और आम जनता के सामने समस्या पैदा हुई है। सरकार अपनी बात इसमें बतायें जो इसमें जिम्मेदार थे उसमें जांच करके उनके विरुद्ध भी क्या कार्यवाही की जायेगी इस पर भी सरकार अपना दृष्टिकोण बतायें?

* कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी अम्बरीष जी ने जो बात कही है वह शत प्रतिशत सही है। मान्यवर, मैंने इस विधान सभा में पहले भी एक सवाल उठाया था कि जो मिलावट करने वाले लोग है, जब मिलावट कहीं नहीं थी तब मैंने प्रश्न किया था, उनके खिलाफ सरकार क्यों नहीं सख्ती से निपट सकती ?

दवा में मिलावट करने वाले लोगों को, खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वाले लोगों को रासुका में क्यों नहीं बन्द कर सकते, जो जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं ? उनके खिलाफ हम रासुका का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? लेकिन मुझे अफसोस है कि सरकार ने इस ओर कदाचित ध्यान नहीं दिया अगर सरकार कुछ ध्यान दिये होती तो आज प्रदेश और देश में यह स्थिति न पैदा होती। अचानक देश में और पूरे प्रदेश में सरसों के तेल में मिलावट होने लगी, एक रात में होने लगी, यह बात समझ में नहीं आई। आपने कुछ ब्रांड के लिए किया है कि सीलबन्द डिब्बा खरीद सकते हैं। एक मजदूर जो 30–40 रुपया रोज कमाता है एक छटाक आधा पाव करुवा तेल खरीदता है वह सीलबन्द डिब्बा कहां से खरीदेगा। आप कह देंगे कि करूवा तेल खाना जरुरी नहीं है पामोलीन खाकर जिन्दा रहे। हमारे उत्तर भारत में करूवा तेल ही लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मेरा आग्रह है कि अध्यादेश के द्वारा या ऐसे ही एक संशोधन लाइये कि जो भी मिलावट में पकड़ा जायेगा वह रासुका में बन्द किया जायेगा और जो कोल्हू में प्रतिबन्ध लगाया है उसको छूट देंगे। लखनऊ में 60 से 80 रुपये किलो तक करूवा तेल बिक रहा है आपकी रोक कोई मान रहा है तो उसको खोल दीजिए ताकि 50–52 रुपये तक में करूवा तेल मिल सके।

मान्यवर, यह सोची समझी साजिश है उसके तहत विदेश से पामोलिव आयल मंगा रहे हैं। आप देश भक्ति की बात करते हो इसमें आपकी देशभक्ति कहां चली गयी? मेरा आग्रह है कि देश की जनता के स्वास्थ्य को देखते हुए शुद्ध तेल उपलब्ध कराया जायें। और जो भी मिलावट करता हुआ पकड़ा जाय उसके साथ सख्ती की कार्यवाही करें। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कहा था कि रासुका का प्रयोग करें। यह आपकी जिम्मेदारी है कि सस्ते दाम पर, सही मात्रा में, सही चीज उपलब्ध हो। एक ही रात में भटकटैया मिला दिया गया। इसका उपयोग तो कई दवाओं में भी होता है च्यवनप्राश में होता है। मान्यवर, इस मिलावट को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए और तत्काल इस सदन में आश्वासन देना चाहिए कि करूवा तेल फुटकर में भी जनता खरीद सकेगी और सही दाम में खरीद सकेगी कोई स्पेशल ब्रांड खरीदने की आवश्यकता नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, मैं समझता हूँ कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर जैसा कि हमारे सम्मानित अम्बरीष जी और कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो बात कहीं हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी जिनके पास खाद्य रसद का दायित्व है वह इस चर्चा में केवल यह उत्तर दे देंगे कि जिस तरह से महंगाई को रोकने के सम्बन्ध में पूरा सदन या सम्मानित सभी सदस्य अपेक्षा कर रहे थे कि वह मिलावट नियंत्रण के लिए कोई ठोस उपाय बनायेंगे। आज प्रदेश की 16 करोड़ जनता के समक्ष एक समस्या है और गांव-गांव की चौपाल में यह चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में जो तेल मिल रहा है उसमें आर्जीमोन मिला हुआ है और ड्राप्सी हो सकती है, जान जा सकती है। आज दिल्ली में 27 लोगों की मृत्यु हुई लखनऊ के मेडिकल कालेज में, गोरखपुर के मेडिकल कालेज में पिछले दिनों निरन्तर ड्राप्सी के केसेज दिये हैं।

मान्यवर, प्रदेश में जिस प्रकार सरसों के तेल पर चिंता व्यक्त की गयी है वह सोचने की बात है चूंकि इसकी आम उपयोगिता है। इसे गरीब और अमीर सभी खाते हैं। फिर चाहे वह देहात में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला है सभी इसे प्रयोग करते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आर्जीमोन की मिलावट की बात हुई लेकिन उसे रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है कि ऐसे कौन से लोग जिम्मेदार हैं जो सरसों के तेल में आर्जीमोन की मिलावट कर रहे हैं। सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों के चरित्र में गिरावट आ रही है लेकिन मैं कहता हूं कि हर चीज में गिरावट आयी है। मान्यवर, आज हर चीज में मिलावट है फिर वह चाहे डालडा हो, सरसों का तेल हो, दवाई हो या अन्य खाद्य पदार्थ हों सभी में आज मिलावट हो रही है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसको रोकने का दायित्व किसका है?

मान्यवर, श्री रेवती रमण जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों के जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले जो लोग हैं, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले जो लोग हैं उन्हें चिन्हित करके जेल भेजने का काम सरकार का है जिससे मिलावट करने से वे लोग डरेंगे लेकिन सरकार यह काम नहीं कर रही है। इसकी तरफ सरकार को ध्यान देकर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। मान्यवर, सरकार ने सरसों के तेल उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे गांवों में जो तेली लोग सरसों पेर कर या अन्य लोग कोल्हू द्वारा तेल निकालते थे वह पुलिस के डर से यह काम बंद कर दिया है जिससे सरसों का तेल जो 45 रुपये किलो मिलता था वह आज 75—80 रुपये प्रति किलो मिल रहा है।

मान्यवर, सरसों का तेल दैनिक उपयोग की चीज है जिसके संबंध में पिछले दिनों प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गयी लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है जिससे गांवों में सरसों के तेल का उत्पादन ठप्प है और तेल में लगे लोग पुलिस के डर से तेल उत्पादन का काम नहीं कर रहे हैं। तेल के दाम में कमी नहीं आ रही है। कल्याणकारी राज्य होने के नाते सरकार का यह दायित्व है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट न हो और लोगों को सही चीज उपलब्ध हो। मैं बताना चाहता हूं कि यूरोप तथा दुनिया के अन्य मुल्कों में कत्ल से ज्यादा बड़ी सजा मिलावट करने वालों के लिये है। आज हम लोग भी यहां संकल्प लेकर इस चीज को अपने यहां करें और उत्तर प्रदेश में मिलावट करने वालों के लिये कड़ी से कड़ी सजा का प्राविधान करें। यदि आप इसके लिये

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानून बनाना चाहते हों तो हम सब लोग इसके लिये सहमत हैं, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री राम जग—

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक चिन्ता का विषय है, जिस प्रकार से सरसों के तेल में मिलावट हुई है जिससे भयंकर बीमारियां फैली हैं और तमाम मौतें हुई हैं। आज पूरे प्रदेश में भय का वातावरण मौजूद है। गरीब आदमी का मुख्य खाद्य पदार्थ सरसों का तेल रहा है लेकिन जिस ढंग से सरसों के तेल में मिलावट की खबर लोगों को मिली उससे पूरे गांव-गांव में घर-घर में लोगों को यह महसूस हुआ कि तेल में मिलावट है और अब यह सरसों का तेल मिल भी नहीं रहा है। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिये चिन्ता का विषय है।

यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करे। जिस तरह से आपने अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ा है, यह अच्छी बात है, उसके विषय में मैं नहीं जाता लेकिन उसी प्रकार मिलावट करने वालों के खिलाफ, जो बड़े-बड़े थोक व्यापारी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, जो प्रदेश के अन्दर मिलावट करके लोगो के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भयभीत हैं और बीमारियों से मर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कितने छापे मारे गये, कितने लोग जेल भेजे गये, जितने गिरफ्तार किये गये और कितने लोगों के खिलाफ रासुका अथवा मुकदमा कायम करने की कार्यवाही हुई, यह मैं जानना चाहता हूं ?

मान्यवर, आज आम चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा ऐसे बड़े-बड़े व्यापारियों को, मिलावट करने वालों को कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है। क्योंकि सरकार ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मेरा निश्चित कहना है कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। आज गांव में रहने वाला गरीब आदमी कड़ु तेल नहीं पा रहा है, आपने कह दिया कि डिब्बा पैक बिक्री होगी, वह डिब्बा पैक कहां से खरीदेगा, यह तो उसकी क्षमता के बाहर है। अतः इस संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये। मेरी मांग है सरकार मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाये और छापा मारे जायें, लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाय और ऐसे लोगों के खिलाफ मृत्यु दंड की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर सरसों के तेल में मिलावट का जो प्रश्न है, उसके कारण प्रदेश में आम जनता में एक पैनिक पैदा हो गया है, इस बारे में सरकार ने क्या किया है, उसका परदाफास हो जाता है।

मान्यवर, आपकी भी जानकारी में है कि गांवों में जो पीली-पीली सरसों के खेत रहे हैं, जो किसान की मुख्य फसल थी, उसका संबंध किसान की जिन्दगी से भी है, चाहे सब्जी हो और चाहे और कोई अन्य चीज हो, पूड़ी बनाना हो, सभी में सरसों के तेल का प्रयोग होता है। तो तेल का इतना महत्व है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मान्यवर, भटकटैया का जिक्र किया गया, यह भटकटैया का प्रश्न नहीं है, काली सरसों भी उसी तरह की होती है। गांवों में इसे बंग कहा जाता है और उसके तेल से कभी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। भटकटैया इतनी मात्रा में कहां से आ

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी, पहले यह खेत की मेड़ों पर हुआ करती थी, अब खेत की मेंड़े पतली हो गयी हैं, उन पर इतनी जगह ही नहीं रह गयी है कि भटकटैया जैसे पौधे उसमें पैदा हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि सीधे तौर पर मल्टी नेशनल कंपनियों का रैकेट है और देश के जो बड़े-बड़े लोग हैं, वह इस रैकेट से जुड़े हुये हैं और अब घसीटे और रमकलिया सरसों के तेल को नहीं पा सकेंगे और केवल बड़े-बड़े लोग ही सरसों के तेल को पा सकेंगे।

मान्यवर, यह प्रश्न इसी साल आया है और गांवों में सरसों की खेती करना बन्द हो गया है, सरसों को बोना बन्द कर दिया है। छोटे-छोटे कोल्हू जो सरसों पेरते थे, अब तेल पेरने के लिये तैयार नहीं हैं, आपने उन पर रोक लगा दी है और लोगों में भय व्याप्त हो गया है। छोटे-छोटे बरतनों में लोग तेल लाने के लिये दौड़ रहे हैं और वह डर रहे हैं कि पता नहीं कहीं कोई मिलावट न हो और कोई बीमारी न हो जाये। सरकार जागरुक है और संवेदनशील है, तो सरकार की हनक पैदा होनी चाहिये। अगर सवार की रानों में ताकत होती है तो घोड़ा ठीक से दौड़ता है। मुझे विश्वास है कि नेता सदन की रानों में ताकत है, इसलिये मैं चाहता हूं कि वह प्रशासन को चुस्त करें और उस पर अंकुश लगायें और जो रैकेट है उसका परदाफास करें और उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को राहत दिलायें। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ तभी न्याय हो सकता है, जब कि जो पैनिक फैला हुआ है वह दूर हो। आप इस संबंध में प्रभावी कदम उठावें और वह उत्तर प्रदेश की जनता की जानकारी में आवें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जिन माननीय सदस्यों ने बातें प्रस्तुत कर दी हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप की पीठ से जो निर्देश होगें, उसके अनुसार प्रभावी कार्य सरकार द्वारा किये जायेंगे।

*श्री केशो मेहरा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। जब सरकार के पास दिल्ली से ड्राप्सी बीमारी के कारण लोगों के मरने का समाचार प्राप्त हुआ और इसका कारण तेल में मिलावट बताया गया तो स्वाभाविक है कि समाज का निर्धनतम वर्ग इससे प्रभावित होगा।

सरकार ने तुरंत ही प्रथम चरण में इस पर रोक लगाई। हमारे विद्वान सदस्यों ने मिलावट की बात कही कोई भी चीज में जब कोई मिलावट करता है तो उसके दाम कम होने चाहिये और उसकी उपलब्धता ज्यादा होनी चाहिये। आरजीमोन की बात कही जा रही है उसकी उपलब्धता इतनी नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आज की तारीख में बहुत बड़ी मात्रा में फसलों के उत्पादन में चाहे सब्जी हो, चाहे खाद्यान्न हो अनेक प्रकार के रासायनिक प्रयोग हो रहे हैं। आप बाजार में, मंडियों में सब्जियों को या अनाज को टेस्ट करेंगे तो पायेंगे कि उसमें विष है। जो दवायें प्रयोग की जाती हैं उनमें अंकित होता है इन दवाओं का प्रयोग करने के बाद, इनको छिड़कने के बाद 48 घंटे तक बाजार में न लायें मैं विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कहना चाहता हूं कि आज जिन चीजों का जिस ढंग से प्रयोग किया जाता है वह हानिकारक है। जो रसायन है वह नुकसानदेह है।

जिन परिस्थितियों में तेल की पिराई होती है चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी अंचलों में हो वह मैं बताना चाहता हूं। हमारे आगरा जनपद में बहुत बड़ी संख्या में कोल्हू हैं और छोटे-

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छोटे कोल्हू से तेल एकत्रित कर टैंकरों में भर कर अन्य राज्यों को तेल निर्यात होता है। आज वह सारा काम बंद हो गया है। आज 23 सितम्बर को यहां पर चर्चा हो रही है। यह समय सरसों, लाही, तोरई के बुआई का समय है कोई बोयेगा नहीं। यद्यपि सरकार ने प्रतिबंध हटा दिया है। अगर कोई दोषी इसके लिये पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जाय। मैं मांग करता हूं कि जितने ब्रांडेड आयल हैं ऐसी व्यवस्था की जाय कि वह आम जनता को मिल सके। यह जो रोक लगाई गयी है इसे हटा लिया जाय ताकि 45 रु० किलो आइल जो पहले था मिल सके।

यहां पर विदेशी षड्यंत्र की बात कही गयी है और उसमें सरकार के भागीदार होने की बात कही गयी यह निराधार है, निराधार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मैं माननीय नेता सदन से मांग करता हूं कि जो रोक लगाई गयी है उसे तत्काल हटा लिया जाय।

*डा० अशोक बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी आज आपने ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया उसके लिये धन्यवाद देता हूं। आज प्रदेश की जनता खाद्य तेलों में मिलावट से भयाक्रांत है यह पहली घटना इतने बड़े पैमाने पर देश के सामने आई हैं कि सरसों के तेल में मिलावट से ड्राप्सी बीमारी से लोग मर रहे हैं। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में यह पहली बार हुआ है जब खाद्यान्न में जहरीले पदार्थ इस तरह से मिलाये जा रहे हैं।

यहां का व्यापारी निरंकुश हो गया है और खाद्य तेलों में जहरीले पदार्थ मिला रहा है तो निश्चित रूप से सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है क्योंकि व्यापारियों ने सत्ता पक्ष की इलेक्शन के समय सहायता की है। और उसका लाभ आज वह मनमाने ढंग से ले रहा है और इस तरह का घृणित काम कर रहा है। यदि इस सरकार में हनक होती तो निश्चित रूप से व्यापारियों में ऐसी हिम्मत नहीं होती जिससे ड्राप्सी जैसी बीमारियां हो रही हैं। मान्यवर, सरकार आज तक यह पता नहीं लगा पायी है कि किस चीज की मिलावट की जा रही है ? मोबिल आयल 60 रुपये लीटर है कौन मिलायेगा ? भटकटैया इतने बड़े पैमाने पर पैदा नहीं होती है तो फिर कौन सी चीज मिलाई गयी जिससे इतना भय व्याप्त हो गया कि सरकार ने सरसों आदि की पेराई बंद करा दी ?

सरकार की प्रयोगशालायें हैं लेकिन सरकार पता नहीं लगा पा रही है कि क्या मिलाया गया है ? प्रदेश की जनता के सामने भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि सरसों का तेल खाने से कहीं बीमारी न हो जाय। इस समय सरसों और लाही की बुवाई का समय है किसान इनको बो नहीं रहा है। वह अनिश्चितता में है कि अगर बोयेंगे और आगे चलकर उसकी बिक्री नहीं होगी तो किसान का काम कैसे चलेगा ? दूसरी तरफ सरसों, लाही की बुवाई न होने के कारण आगे आने वाले दिनों में तेल की समस्या और गंभीर हो जायगी। यह भी सुना जा रहा है कि अमेरिका के पास बहुत बड़ा स्टाक पाम आयल का हो गया है इसलिये उसके तेल का आयात हो सके ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं। सरसों और लाही से लाखों किसानों का भविष्य जुड़ा हुआ है वहीं पर तेल की पेराई के लिये जो कोल्हू लगे हैं और जो स्पेलर लगे हैं वह बंद हो गये हैं जिससे लाखों लोगों के सामने बेरोजगारी का सवाल खड़ा हो गया है कड़ुवे तेल का सबसे ज्यादा प्रयोग गांव का आदमी करता है। वह अपनी 10 किलो सरसों कोल्हू पर ले जाकर तेल निकलवाता था वह आज बन्द होने के कारण किसान के सामने भी खाद्य तेल की समस्या खड़ी हो गयी है।

गांव-गांव में कोल्हू और स्पेलर कुटीर उद्योग के रूप में लगे हैं आज वह बंद हो गये हैं जिसके कारण एक तरफ तो जनता को सस्ते दामों पर तेल नहीं मिल पा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का रोजगार चौपट हो रहा है। सरकार के पास लेबोरेट्रीज हैं सरकार को पता लगाना चाहिये

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि किस प्रकार से यह मिलावट की गयी है ताकि जनता में जो तेल को लेकर भय व्याप्त हो गया है वह दूर हो सके ? सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं वह कानून बना सकती है और मिलावट करने वालों को खोजकर सजा दे सकती है लेकिन इसमें सरकार उदासीन है। आज तेल से जुड़े जो उद्यमी हैं उनका व्यापार बद होने से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मेरा खाद्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इसके लिये कोई योजना बनायें ताकि किसान तिलहन की बुवाई कर सके और जनता को उचित मूल्य पर तेल उपलब्ध हो सके।

*नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)—

मान्यवर, यह जो तेल में मिलावट के बारे में चर्चा चल रही है इसके संबंध में एक बड़ी साजिश चल रही है। कुछ पूंजीपति हैं .....

(समय 8.00 बजे)

..... और वह सरकार का पोषण करते हैं। पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की बात करते हैं उसी के तहत यह साजिश है। श्रीमन्, आज अमेरिका के पास पामोलिन का बहुत बड़ा स्टाक है कि वह समुद्र में फेंकने जा रही है। अमेरिका हर उत्पाद को जो सरप्लस होती है समुद्र में फेंक देता है।

मलेशिया में भी पामोलिन का बहुत बड़ा स्टाक है। आज एक साजिश के तहत और कुछ लोगों के संरक्षण में यह हो रहा है और भाजपा के लोग उन्हें संरक्षण दिये हुये हैं। श्रीमन्, यहीं पर एक बात कह देना चाहता हूं कि एक बड़े केन्द्रीय मंत्री का पुत्र जो देश के सबसे बड़े पामोलिन ऑयल का कंट्रेक्टर है। सरसों, अलसी, मूंगफली, सूरजमुखी इनके तेल न बिके और एक साजिश के तहत मनुष्य के जान की भी परवाह नहीं की गयी लोगों ने तेल में मिलावट करके यह कह दिया कि सरसों का तेल, मूंगफली के तेल और दूसरे तेल में मिलावट हो गयी और सभी तेलों पर प्रतिबंध लगा दिया। श्रीमन्, यह एक लम्बी साजिश है और इसलिए है कि हम लोग जो तिलहन उत्पादन करते हैं, चाहे अलसी, सरसों, तोरिया और लाही इनके बुवाई का सीजन है और किसान हांथ पर हांथ धरे बैठा हुआ है और वह सोचता है कि बोयें और बिके नहीं तो क्या होगा? आज बहुत सा स्टाक लोगों के पास है और वह रखे रहते हैं इसलिए कि अगली फसल के खर्चे के लिए, खाद, बीज के लिए और उसको बेचकर उस पैसे का उपयोग करते हैं। लेकिन आज स्थिति यह है कि उसे कोई खरीदने वाला नहीं है और किसान के पास खेती की लागत के लिए, खाद और बीज के लिए उसके पास पैसा नहीं है इसलिए अन्य फसलें भी प्रभावित हो रही है।

इसके साथ ही वह काश्तकार जो थोड़ा बहुत सूर्यमुखी, मूंगफली, सरसों आदि उगा लेता था और अपने प्रयोग के लिए कोल्हू में पेरवा लेता था। मेरे साथियों को अनुभव होगा कि अपने प्रयोग में लाते हैं। जब यह फसल होगी ही नहीं तो क्या खायेंगे? वह मजबूर होंगे और मलेशिया और अमेरिका के पास जो पामोलिन है वह खरीदकर लायेंगे और फिर मुनाफाखोरी के साथ उसका वितरण करेंगे और गरीब आदमी सरसों के तेल से वंचित रह जायेगा, आगे बात न बढ़ाकर मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ..... वह सरसों के तेल की बिक्री के लिए अगर कोई व्यापार नहीं होता है तो सरकार को खरीदना चाहिए। सरकार को जो आज लाही 1800 रुपए 1900 रुपये दो हजार रुपये प्रति कुंतल बिक रही है इस मूल्य पर खरीदना चाहिए। मूंगफली, अलसी इसके भी रेट आज निर्धारित कर देना चाहिए। किसानों को लाभकारी मूल्य सरकार को देना चाहिए।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों को जो तेल पेरनी की अनुमति दी गई है तो जो पैकेट का प्रतिबन्ध है उसको खत्म कर देना चाहिए।

किसान किस तरह से पैकिंग करेगा। किसान के पास कहां इतना घी रखा है, डालडा रखा है वह तो तेल से ही काम चलाता है। आपको किसानों को सरसों, लाही, तोरिया बोने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह जो विदेशी मुद्रा का भण्डार है उसको पाम आयल खरीदने पर खर्च नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, जब नेता विरोधी दल ने अगर कोई बात रखी हो तो यह सामान्य परम्परा है कि नेता सदन उसका उत्तर दें। आप मुख्य मंत्री जी को निर्देशित करें कि वह उत्तर दें।

* पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, बहुत गम्भीर समस्या पर ध्यान आकर्षित किया गया है इस पर गम्भीरता बनाए रखनी चाहिए। इसको हल्केपन से नहीं लेना चाहिए। विगत दिनों कुछ गम्भीर घटनाएं दिल्ली में हुई जिससे एक पेनिक फैल गया व एक संदेश चला गया कि आर्जीमोन की मिलावट है, या दूसरी चीजों की मिलावट है यह स्वाभाविक है। एक ऐसा माहौल बन गया जिससे सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई कि इसमें विदेशी हाथ है, किसी मल्टी-नेशनल कम्पनी का हाथ है। केन्द्र सरकार ने सारी आशंकाओं को देखते हुए सी०बी०आई० से जांच कराने का फैसला किया।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

उसकी रिपोर्ट तो तीन साल में आएगी।

श्री हुकुम सिंह—

एक गम्भीर सवाल था इसलिए किसी न किसी उच्च एजेंसी को तो जांच सौंपनी थी। अगर किसी विदेशी ताकत का हाथ है तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठे रहते? कोई जांच तो करवानी पड़ती? दिल्ली में बहुत से लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे थे और बीमारी फैल रही थी। इस प्रदेश ने यह सराहनीय कदम उठाया कि हम जनजीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हमने अपने अधिकारियों से कहा कि वह शैम्पलिंग करें चेकिंग करें। यही नहीं मान्यवर, हमने अविलम्ब कंट्रोल आर्डर जारी करके यह अधिकार लिया कि हम उत्पाद को चेक करें और स्टाक को भी चेक करें। कुछ जमाखोर नाजायज फायदा उठा सकते थे। यदि हमने इस आर्डर को जारी न किया होता। उपभोक्ताओं को परेशानी हुई।

आम जनता में एक माहौल बना, दूसरा कारण यह है कि कंट्रोल आर्डर जब लागू हुआ और चेकिंग शुरू हुई तो जिन लोगों का स्टाक पड़ा हुआ था और जिन्होंने मिलावट का तेल रखा था, स्वाभाविक है कि उन्होंने क्या किया होगा। आम जनता को कठिनाई हुई। जैसे ही स्थिति में सुधार दिखायी दिया, मैंने स्वयं आंकड़े इकट्ठे कराये और जैसे ही मैंने खाद्य विभाग अपने हाथ में लिया,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके दूसरे ही दिन यह निर्देश दिया कि जो ग्रामीण अंचल के कोल्हू हैं, उनके उत्पादन करने में कोई चेकिंग न हो। वैसे मान्यवर, पहले भी रोक नहीं थी, आज भी नहीं है, हमने स्पष्ट किया कि ग्रामीण अंचल में कोल्हू में उत्पादन करने में कोई रोक नहीं है। खुले तेल की बात है तो मान्यवर, कम से कम बाजार में आने से पहले उसकी टेस्टिंग तो हो जाय। टेस्टिंग करने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये। जितनी भी सरकारी सुविधा उपलब्ध थी, वह हमने दी और निजी क्षेत्र में जो सुविधा थी, वह दी। हमने यह कहा कि कम से कम उसमें लेवल लगा होना चाहिये कि इसे हमने फलां से टेस्ट करवाया है। बाजार में केवल तेल उपलब्ध हो चाहे लोगों की जान चली जाये, क्या यह उचित रहेगा?

मान्यवर, इस बात का हमें संतोष है कि उस बीमारी से जिस तरह का प्रकोप था, उससे कम से कम इस प्रदेश में कोई जान नहीं गई। कुछ लोग ओ०पी०डी० में भर्ती हुए परन्तु उसका कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा। माननीय नेता विरोधी दल जी ने कहा कि अगर इसी प्रकार का दबाव बना रहा तो किसान अपनी फसल नहीं बोयेगा। हमने अविलम्ब कहा कि कोल्हू से उत्पादन किया जाय और अधिकारियों को भी यह आदेश कर दिये हैं कि वह अनावश्यक रूप से किसी उत्पादक को परेशान न करें। उसका असर आना शुरू हो गया है। दूसरे जो एक्सपेलर है, उसके बारे में भी हम विचार कर रहे हैं। सम्भवतः एक-दो दिन में उस पर भी विचार करने बाद कार्यवाही कर दी जायेगी। जहां तक किसानों की बुवाई का सवाल है, एक महीने से यह प्रकरण रहा है, रिपोर्ट आने, कार्यवाही होने-क्या एक महीने में वह स्थिति पैदा हो जायेगी जो 11 महीने में नहीं हो पायी? आपने जो आशंका व्यक्त की है कि किसान नहीं बो पायेगा–तोरिया का समय तो जा चुका है, जहां बाढ़ आयी हुई है वहां अगले दो महीने तक बुवाई नहीं हो सकती है। ... लेकिन सारे काम मैंने किये हुए हैं। तोरी सरसों की भी करता हूं। केवल उस क्षेत्र को छोड़कर कि वह बाढ़ग्रस्त है बाकी जगह काम हो रहा है और आगे तक चलेगा। अक्टूबर के महीने के बाद तोरी की बोआई नहीं होती है। जहां तक सरसों की बात है। आपका क्षेत्र मान लें, आगरा का, कानपुर के आस पास का क्षेत्र ले लें यह तिलहन के लिये सबसे बढ़िया क्षेत्र आता है। सरसों के तेल में मिश्रण की जो बात कही गई तो उसके लिये कुछ कदम उठाने जरूरी थे कि मिलावट न हो इसलिये वह कदम उठाये गये ताकि वह सही-सही मिल सके।

आर्जीमोन की बात कही गई कि वह सरसों के तेल में मिलाया गया। इसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया। मान्यवर, मैं समझता हूं कि एक आदमी सुबह से लेकर शाम तक अगर इकट्ठा करे तो दो क्विंटल इकट्ठा नहीं कर सकता है उसका मूल्य 15-20 रुपये किलो से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन एक भ्रांति फैला दी गई सरसों के तेल में मिलावट की। यहां पर ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने पैसे के अलावा कुछ नहीं है। इन्सान के जीवन का कोई मोल नहीं है, उनके स्वास्थ्य का कोई मोल नहीं है। कुल 10 पैसा कमाने के लिये कुछ बेईमानों ने मिलावट की। यह नहीं सोचा कि हम क्या करने जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है ? मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 28 दिन के अन्दर 1,160 नमूने लेकर 300 क्षेत्रों का परीक्षण हो चुका है। अगर मिलावट पाई जाती है रिपोर्ट में आता है आर्जीमोन और किसी जहरीले पदार्थ की बात आती है तो जो भी दण्ड दिया जायेगा चाहे एन०एस०ए० हो, गैंगस्टर हो या और कोई

बेइमानों को बख्शा नहीं जायेगा। ऐसे आदमी के साथ मैं समझता हूं कि कोई भी हमदर्दी नहीं रख सकता है।

हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जन जीवन की रक्षा की थी ईश्वर की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वह जिम्मेदारी निभाई और उत्तर प्रदेश की जनता को मौत की नींद नहीं सोने दिया। आप लोगों से सहयोग चाहते हैं जो दिक्कते आई हैं उस सारे प्रकरण पर विचार कर रहे हैं और कार्यवाही की जायेगी।

विधान सभा के विशेष-सत्र के सुचारु रूप से संचालन में समुचित सहयोग हेतु सभी दल के नेताओं के प्रति श्री अध्यक्ष का आभार

श्री अध्यक्ष—

अब यह चर्चा समाप्त होती है। अब चूंकि कार्य सूची में अन्य कोई विषय नहीं है मैं अपनी तरफ से माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, माननीय नेता भारतीय कम्युनिस्ट, नेता, जनता दल, नेता किसान कामगार पार्टी, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और सभी माननीय सदस्यों को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं और अपना आभार प्रकट करता हूं कि इस विशेष सत्र में दो दिन की कार्यवाही में अच्छी संख्या में भाग लेकर इस सदन को व्यवस्थित ढंग से चलाया और आप सब का सहयोग मुझे मिला। जैसी मैंने अपेक्षा की थी वह पूरी हुई। इसके लिये सब का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करें।

सदन को अनिश्चितकाल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कुंवर रेवती रमण सिंह —

मान्यवर, मेरा यह आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और हम अनिश्चित काल के लिये उठ तो रहे हैं लेकिन माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करुंगा कि कम से कम शीतकालीन अधिवेशन 15 दिन का बुलाने की भी पूरी-पूरी आप चेष्टा करें और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह करुंगा कि बीच-बीच में विधान सभा का सत्र बुलाते रहें।

श्री अध्यक्ष—

अब हम जनगणमन के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित करेंगे।

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन–अधिनायक जय हे।

भारत-भाग्य-विधाता ॥

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-वंग।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग ॥

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे ॥

गाहे तव जय गाथा ॥

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत भाग्य विधाता ॥

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे ॥

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 8 बजकर 20 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई)

पी० एस० यू० पी०–एल० 348 विधान सभा (500) 1998 813 (डी० टी० पी०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा